संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 3/2026-एनडीए-I **दिनांक : 10.12.2025**

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 30.12.2025)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2026

(आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in)

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के पंजीकरण तथा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरने के ऑन-लाइन आवेदन पोर्टल के चार काड्र्स/मॉड्यूल हैं जिनमें से तीन यथा अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण तथा समान आवेदन प्रपत्र सभी परीक्षा आवेदनों के लिए एक समान हैं और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय भरे जा सकते हैं जबकि चौथा काड्र्स/मॉड्यूल परीक्षा विशेष से संबंधित है जिसे किसी परीक्षा की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है। आवेदक वेबसाइट https://upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें।

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जनरेट होती है जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान होती है। परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरने के बाद, आवेदन संख्या जनरेट की जाती है, जो परीक्षा विशिष्ट होती है और आवेदक द्वारा आयोग के साथ किसी भी भावी पत्राचार के लिए इसे यूआरएन के साथ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। जहाँ एक ओर यूआरएन एक ही रहेगा और वही हमेशा प्रयुक्त होगा वहीं दूसरी और आवेदन संख्या परिवर्तनीय होगी और प्रत्येक परीक्षा में बदलती रहेगी।

आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश देने हेतु विस्तृत अनुदेश और सभी प्रोफाइल/मॉड्यूल इस पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध हैं । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें और पहले से अपने दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने में कोई परेशानी न हो।

आईडी तथा अन्य विवरणों के आसान, सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

1. उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाता है।

2. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार https://upsconline.nic.in वेबसाइट का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉड्यूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। यह अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेन्यू बार में उपलब्ध हैं। वह उम्मीदवार जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना

अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक है उसे जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित विभिन्न दावों के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी और सहयोगी दस्तावेज यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथा मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क एवं केंद्र के साथ) जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

टिप्पणी 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:

आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपने फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) **>** प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेश **>** फोटो और हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

2.1 आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.2 इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र(ईपीआईसी/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/स्कूल फोटो पहचान-पत्र अथवा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा यूनिवर्सल पंजीकरण (यूआरएन) विवरण भरते समय उपलब्ध कराना होगा। । इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/व्यक्तित्व परीक्षण/एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इसी पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

2.3 आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख:

ऑनलाइन आवेदन 30.12.2025 को शाम 06.00 बजे तक भरे जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जो उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर उपलब्ध होंगे प्रवेश-पत्र किसी अन्य माध्यम जैसे कि डाक या ई-मेल से नहीं भेजे जाएंगे।

4. ओएमआर शीट में उत्तर चिन्हित करना

ओएमआर शीट (उत्तर पत्रक) में उत्तर लिखने और चिन्हित करने के लिए उम्मीदवार केवल काले बॉल पेन का प्रयोग करें। किसी अन्य रंग के पेन की अनुमति नहीं है। पेंसिल या स्याही वाले पेन का प्रयोग नहीं करें। उम्मीदवार ध्यान दें कि ओएमआर शीट में विवरण को एनकोड करने/भरने में विशेषकर अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के मामलें में कोई भी त्रुटि/चूक/विसंगति होने पर, उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जा सकता है। उम्मीदवार को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए "विशिष्ट अनुदेश" को ध्यान से पढ़ें।

5. गलत उत्तरों के लिये दंड :

उम्मीदवार नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के

लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

6. ऑनलाइन प्रश्न – पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)

यह आयोग उम्मीदवारों को सात दिन (एक सप्ताह) की समय सीमा के भीतर अर्थात् परीक्षा की तारीख के अगले दिन से 7वें दिन सायं 06.00 बजे तक परीक्षा के पेपरों में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देता है। ऐसे अभ्यावेदन यूआरएल URL https://upsconline.gov.in/miscellaneous/QPRep/के माध्यम से **"ऑनलाइन प्रश्न – पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)"**द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएं। ई – मेल/डाक/दस्ती रूप से अथवा किसी अन्य प्रकार से भेजे गए किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार किया नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा उम्मीदवार के साथ कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। 7 दिन की इस विंडो समाप्त होने के उपरांत,किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.उम्मीदवार सहायता डेस्क

आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक विशेष हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता चाहने वाले उम्मीदवार हेल्पलाइन **011-24041001** या ई-मेल आईडी-upscsoap@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन विंडो की समयावधि के दौरान अर्थात् **10.12.2025 से 30.12.2025** तक सभी कार्यदिवसों में **प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे** तक सक्रिय रहेगी। आवेदक शुल्क भुगतान,दस्तावेज अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का प्रयोग कर सकते हैं।

8.मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में),पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियाँ आदि अथवा कैमरा या ब्लू टूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण या उससे संबंधित सहायक सामग्री,चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में,जिसे परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है,का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने सहित उन्हें भावी परीक्षाओं में भाग लेने से विवर्जित भी किया जा सकता है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके अपने हित में बैग,मोबाइल फोन सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अथवा मूल्यवान/महंगी वस्तु परीक्षा स्थल पर न ले जाने की सलाह दी जाती है,क्योंकि सामान की सुरक्षा हेतु परीक्षा स्थल पर कोई व्यवस्था **नहीं** की जाएगी। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. कृपया,ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों में बताए गए अनुसार फोटोग्राफ अपलोड करने से संबंधित अनुदेशों का पालन करें।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व अर्थात परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से कम से कम 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को विलंब से परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों के लिए फेस-ऑथेंटिकेशन

सुरक्षित एवं निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर अनिवार्य रूप से फेस-ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फेस-ऑथेंटिकेशन/पहचान के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा-स्थल पर पहुंचे।

उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।
"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा.सं.7/2/2025-प.1(ख): राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेशके लिए **01 जनवरी, 2027** से शुरू होने वाले **157** वें **पाठयक्रम** हेतु और नौसेना अकादमी के **119** वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम (आईएनएसी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **12 अप्रैल, 2026** को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

यदि आवश्यक हो तो आयोग उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार होगी:-

अकादमी	सेवा	रिक्तियां		कुल
		पुरुष	महिला	
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी	सेना	198	10	**208**
	नौसेना	37	05	**42** *(सभी कार्यकारी शाखा)*
	वायु सेना			
	(i) फ्लाइंग	90	02	**92**
	(ii) ग्राउन्ड ड्यूटी (तकनीकी)	16	02	**18**
	(iii) ग्राउन्ड ड्यूटी (गैर-तकनीकी)	08	02	**10**
नौसेना अकादमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम)		21	03	**24** (*सभी कार्यकारी शाखा*)
कुल		370	24	**394**

टिप्पणी: भारतीय सेना मौजूदा और भविष्य के परिदृश्यों में यथापरिकल्पित बल की प्रचालनात्मक और प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर पुरूषों और महिलाओं के लिए प्रवेश के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग रिक्तियां प्रकाशित करती है।यद्यपि एनडीए/नौसेना अकादमी पाठ्यक्रमों के लिए पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों के लिए रिक्तियां एक समान अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की जा रही हैं और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एक समान लिखित परीक्षा के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है,एनडीए/नौसेना अकादमी में पुरुष और महिला की प्रविष्टियाँ अलग-अलग हैं और **अधिसूचित** रिक्तियों के अनुसार इन दोनों श्रेणियों के लिए चयन केवल लैंगिक पद्धति (जेंडर प्योर)से पृथक-पृथक रूप से किए जाते हैं। **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी में पुरुष और महिला श्रेणियों के लिए लिखित परिणाम और अंतिम मेरिट सूची की तैयारी भी इन श्रेणियों की अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार अलग से की जाएंगी।**

यह रिक्तियां अनंतिम है तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौ सेना अकादमी पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान: (i) उम्मीदवारों को अपने परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि नियुक्ति करते समय योग्यता क्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए, उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं में कुछ जोड़ने /परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।इसके अतिरिक्त आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सूचना की बार-बार पुष्टि किए जाने के मद्देनजर आयोग ने इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भरने और आवेदन विंडो बंद होने के बाद आवेदन के प्रपत्र के किसी भाग (भागों) में सुधार करने की सुविधा न देने का निर्णय लिया है। सेवा आबंटन पर विचार किए जाने हेतु उम्मीदवार द्वारा कम से कम एक वरीयता का चयन करना अनिवार्य है।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा केन्द्र:

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

1	अगरतला	28	गाजियाबाद	55	नवी मुंबई
2	आगरा	29	गोरखपुर	56	पणजी(गोवा)
3	अजमेर	30	गुरुग्राम	57	पटना
4	अहमदाबाद	31	ग्वालियर	58	श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर)
5	आइजोल	32	हैदराबाद	59	प्रयागराज (इलाहाबाद)
6	अलीगढ़	33	इंफाल	60	पुडुचेरी
7	अल्मोड़ा (उत्तराखंड)	34	इंदौर	61	पुणे
8	अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	35	ईटानगर	62	रायपुर
9	छत्रपति संभाजीनगर [औरंगाबाद (महाराष्ट्र)]	36	जबलपुर	63	राजकोट
10	बेंगलुरु	37	जयपुर	64	रांची
11	बरेली	38	जम्मू	65	संबलपुर
12	भोपाल	39	जोधपुर	66	शिलांग
13	भुवनेश्वर	40	जोरहाट	67	शिमला
14	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	41	कारगिल	68	सिलिगुडी
15	चंडीगढ़	42	कोच्चि	69	श्रीनगर
16	चेन्नई	43	कोहिमा	70	श्रीनगर (उत्तराखंड)
17	कोयंबटूर	44	कोलकाता	71	सूरत
18	कटक	45	कोझीकोड (कालीकट)	72	ठाणे
19	देहरादून	46	लेह	73	तिरूवनंतपुरम
20	दिल्ली	47	लखनऊ	74	तिरूचिरापल्ली
21	धर्मशाला	48	लुधियाना	75	तिरूपति

22	धारवाड़	49	मदुरै	76	उदयपुर
23	दिसपुर	50	मंडी	77	वाराणसी
24	फरीदाबाद	51	मुंबई	78	वेल्लोर
25	गंगटोक	52	मैसूर	79	विजयवाड़ा
26	गया	53	नागपुर	80	विशाखापटनम
27	गौतमबुद्धनगर	54	नासिक	81	हनुमानकोंडा (वारंगल अर्बन)

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन "पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ" पर आधारित होगा तथा यदि किसी एक केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। इसलिए आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद आयोग को अपने विवेकानुसार केन्द्रों में स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार है।

जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता: उम्मीदवार अविवाहित पुरुष/महिला हो और:

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iii) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जायरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन कर के आया हो।

बशर्ते उपर्युक्त वर्ग (ii)और (iii) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष/महिला उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म **01 जुलाई, 2007** से पहले तथा **01 जुलाई, 2010** के बाद न हुआ हो।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज उद्धरण जो विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्रों में दर्ज हो। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1:उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उम्मीदवारों को यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद में किसी स्तर पर, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि और उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्म तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो नियमावली के अधीन आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी 4: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि एक बार जमा कर दिए जाने पर किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में कुछ भी जोड़ने/हटाने/कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

टिप्पणी-5: उम्मीदवारों को इस बात का परिवचन देना है कि जब तक उनका समग्र प्रशिक्षण पूरा नहीं जाता, तब तक वे विवाह नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद विवाह कर लेता/लेती है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में विवाह कर लेगा/लेगी उसे वापस भेजा जाएगा और सरकार द्वारा उस पर किए गए व्यय की समस्त राशि उसे वापस लौटानी होगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं:

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए: किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए:— किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूल शिक्षा के 10+2 पैटर्न के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा.

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एसएसबी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एसएसबी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10 + 2 या समकक्ष प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें विधिवत अनुप्रमाणित फोटोप्रतियां''भर्ती महानिदेशालय, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लाक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में ''नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011'' को **10 दिसम्बर, 2026** तक भेजनी होंगी। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10 + 2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय,जैसा भी मामला हो,में इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में जहां

बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी।

अपवाद परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-1: वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2: वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट मात्र है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख **(अर्थात् 10 दिसम्बर, 2026)** तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने,परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3: जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से विवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4: जो उम्मीदवार सीपीएसएस/पीएबीटी(कंप्युटरीकृत पायलट चयन प्रणाली/पायलट एप्टीट्यूड बैटरीटेस्ट) में पहले असफल हो चुके हैं, वे वायु सेना में ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए पात्र होंगे यदि वे इस संबंध में आयोग की वेबसाइट तथा चयन किए गए केंद्रों पर उपलब्ध परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र में अपनी इच्छा (Willingness)भरते हैं।

(घ) शारीरिक मानकः

उम्मीदवार को **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा** (I), 2026 हेतु परिशिष्ट-IIIमें दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(ड.)वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।

4. शुल्क:

उम्मीदवारों (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों/ महिला उम्मीदवारों /नीचे टिप्पणी 2 में उल्लिखित जे.सी.ओ./ एन.सी.ओ./ओ.आर. के बच्चों को छोड़कर जिन्हें किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा) को 100/- रु.(मात्र एक सौ रुपए)को वीजा/मास्टरकार्ड/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान या किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

ध्यान दें-1:उम्मीदवार नोट कर लें कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यमों से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है और न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क के बिना प्रस्तुत आवेदन (जब तक शुल्क की माफी का दावा न किया गया हो) तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

ध्यान दें-2: एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए उसे आरक्षित रखा जा सकता है।

ध्यान दें–3:जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें फर्जी भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरन्त अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी

आवेदकों की सूची आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिन के भीतर दस्ती रूप में अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

टिप्पणी-1: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और टिप्पणी-2 में उल्लिखित उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-2: थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/ भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अधिकारियों के बच्चों को निर्धारित शुल्क देना अपेक्षित नहीं हैं यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था)/सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं।
(विशेष ध्यान दें: ऐसे सभी उम्मीदवारों को संबंधित प्रिंसिपल से शुल्क में छूट हेतु उनकी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और एस.एस.बी. परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा एस. एस. बी. परीक्षण/साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा)।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) **उम्मीदवार https://upsconline.nic.inवेबसाइट का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें।**उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉड्यूल-वार अनुदेशों तथा दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।यह अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेन्यू बार में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित विभिन्न दावों के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी और सहयोगी दस्तावेज के साथ यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) और चौथे मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क और केंद्र इत्यादि सहित) के साथ जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि विभिन्न दावों से के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहयोगी दस्तावेज जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

टिप्पणी 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:
आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपने फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) > प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेश > फोटो और हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रपत्र जमा करने तथा इस परीक्षा के लिए आवेदन विंडो बंद होने के बाद आवेदन प्रपत्र के किसी भी भाग(भागों) में सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-1: उम्मीदवारों द्वारा यथोचित तत्परता और सावधानी पूर्वक भरे जाने वाले विवरण में संशोधन के संबध में किसी प्रकार की पूछताछ, अभ्यावेदन आदि पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जागा क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया को समय से पूरा किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवारों के पास किसी एक फोटो पहचान-पत्र अर्थात् आधार कार्ड/मतदाता कार्ड(ईपीआईसी)/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/स्कूल पहचान-पत्र/ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र का विवरण होना चाहिए। उम्मीदवार को यूनिवर्सल पंजीकरण (यूआरएन) भरते समय इस फोटो आईडी का विवरण प्रदान करना होगा। इस फोटो आईडी का इस्तेमाल भविष्य में सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/एसएसबी में शामिल होते समय इस आईडी को अपने साथ रखें।

आईडी तथा अन्य विवरणों के आसान, सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

टिप्पणी-3: सभी उम्मीदवारों चाहे वे पहले ही सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र सेना बल के उम्मीदवार भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बॉएज और आर्टिफिसर्स, अप्रेंटिसों सहित), राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले मिलिट्री स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवारों को आयोग को सीधे आनलाईन आवेदन करना होगा।

(क) जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, (ख) सशस्त्र सेना बल में कार्यरत उम्मीदवार भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), और (ग) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों को छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अधिकारी, संबद्ध कालेज/स्कूल के प्रिंसीपल, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।उम्मीदवार नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबद्ध प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/बैठने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने संबंधी कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी-4: उम्मीदवार को अपने परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल भरते समय परीक्षा के लिए केन्द्र चयन का निर्णय सावधानी पूर्वक लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित ई-प्रवेश पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-5: जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए हों, उनको तुरंत अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवारों

को अपने आवेदनों के साथ फोटो पहचान-पत्र के अतिरिक्त आयु,शैक्षणिक योग्यताओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा परीक्षा शुल्क से छूट के संबंध में अपने किसी दावे के समर्थन में कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं करना है। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद में को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के **मई, 2026** में घोषित होने की संभावना है। लिखित परीक्षा में सफलतापूर्वक अर्हक हुए सभी उम्मीदवारों को महानिदेशक भर्ती की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा। www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करते हुए अनिवार्यत: उसी ई-मेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आईडी संघ लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन आवेदन भरते समय संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई है। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई उनकी ई-मेल आई डी वैध और सक्रिय हो। इसके बाद इन उम्मीदवारों को पूर्वोक्त वेबसाइट के माध्यम से चयन केन्द्रों का आबंटन किया जाएगा। किसी समस्या/स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवार, महानिदेशक भर्ती की वेबसाइट पर प्रदान किए गए टेलीफोन नंबरों पर या अपने प्रोफाइल पर लॉगइन करके फीडबैक/क्वेरी मॉड्यूल के जरिए महानिदेशक भर्ती से संपर्क कर सकते हैं।

टिप्पणी-6: जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें आयु और शैक्षिक योग्यता संबंधी अपने मूल प्रमाण-पत्र भर्ती निदेशालय, सेना मुख्यालय, वेस्ट ब्लाक-।।।, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 अथवा नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआईएंडआर अनुभाग, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौटा दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार पहले ही 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाणपत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात् :

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) प्रतिरूपधारक द्वारा परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण -पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या धमकाना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए ई-प्रवेश पत्र के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करना या जैसा भी मामला हो, उन्हें करने के लिए प्रेरित करना,

ऐसे उम्मीदवार पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

टिप्पणी: "यदि किसी उम्मीदवार के पास अनुचित साधन पाए जाते है या वह इसका प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो यह घटना परीक्षा से जुडे पदाधिकारियों के संज्ञान में आते ही उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में आगे बैठने की अनुमति नही दी जाएगी और आयोग के परामर्श से उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के बाद के पेपरों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

6. आवेदन करने की अंतिम तारीख:

(i) ऑन-लाइन आवेदन **30 दिसम्बर, 2025** को शाम **06.00** बजे तक भरे जा सकते हैं।

7. यात्रा भत्ता:

किसी विशेष प्रकार के कमीशन अर्थात् स्थायी अथवा अल्पकालिक के लिए एसएसबी साक्षात्कार हेतु प्रथम बार उपस्थित होने वाले उम्मीदवार भारतीय सीमा के अंदर आरक्षण एवं स्लीपर प्रभारों सहित एसी-3 टीयर में आने-जाने के रेल के किराए अथवा बस के किराए के हकदार होंगे। जो उम्मीदवार समान प्रकार के कमीशन के लिए पुनः आवेदन करते हैं, वे बाद में किसी अन्य अवसर पर यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

8.आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहारः

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [https://upsconline.gov.in उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं।डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के विवरण अर्थात् आवेदन आईडी तथा जन्मतिथि उपलब्ध होने चाहिएं।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध् में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **सहायता डेस्क दूरभाष सं. 011-24041001** से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने के संबंध् में कोई भी सूचना परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

(iii) सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधनीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें। विभिन्न पाठ्यक्रमों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
उम्मीदवार यह नोट कर लें कि परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा और उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई सूचना के आधार पर होगा। यह पात्रता की सभी शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

(iv) यदि उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग चूक के कारण किसी अन्य का ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होता है, तो सही प्रवेश-पत्र जारी किए जाने के अनुरोध सहित उसे तत्काल आयोग के संज्ञान में लाया जाए। उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि उन्हें किसी अन्य उम्मीदवार के संबंध में जारी **ई-प्रवेश पत्र** पर परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(vi) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आई डी और मोबाइल नंबर मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण: आयोग के साथ किए जाने वाले सभी पत्र-व्यवहार ई-मेल आईडी – upscsoap@nic.in पर किए जाने चाहिए और उनमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिएः

1. परीक्षा/पाठ्यक्रम संख्या और परीक्षा का वर्ष
2. यूआरएन नंबर (यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या)
3. आवेदन आईडी
4. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
5. उम्मीदवार का नाम (पूरा और बड़े अक्षरों में)
6. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।
7. मान्य और सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर।

विशेष ध्यान (i): जिन पत्रों में उपर्युक्त ब्यौरा नहीं होगा, उन पर कोई कार्रवाई न होगी।

विशेष ध्यान (ii):यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उम्मीदवारों को अपने एसएसबी केन्द्र और साक्षात्कार की तारीख के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग-आन करना चाहिए:-

www.joinindianarmy.nic.in

www.joinindiannavy.gov.in

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को भी एएफएसबी और तारीख चयन के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर ऑन-लाइन पंजीकरण करना होगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं वे अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् सम्बन्धित सेवा मुख्यालय के निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें या वेबसाइट को देखें:--

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध्-I, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. **20862673 (एक्स. 201)** या www.joinindianarmy.nic.in

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ.आई. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23011282/23010151 या ईमेलः officer@navy.gov.in **या** www.joinindiannavy.gov.in

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय (वी बी) कमरा नं. 838, 'ए' ब्लाक रक्षा कार्यालय कॉम्प्लेक्स, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु बुलावा-पत्र (काल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार **जून** 2026 **से जुलाई** 2026 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे। योग्यताक्रम सूची, कार्यभार ग्रहण अनुदेशों और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य संगत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.joinindianarmy.nic.in** का अवलोकन करें।

9.लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश:

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकाधिकार के आधार पर निर्धारित लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बुद्धिमत्ता परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सेवा चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे, जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौसेना शाखाओं और भारतीय नौसेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन होगा। वायु सेना के उम्मीदवारों को उपरोक्त के **अतिरिक्त कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) में भी अर्हता प्राप्त करनी होगी**।

जिन उम्मीदवारों ने वायु सेना को अपने विकल्प में शामिल किया है, उन्हें एसएसबी में अर्हक होने पर और अपनी इच्छा प्रकट करने पर सीपीएसएस देना होगा। इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा परीक्षण प्रारंभ होने से पहले चयन किए केंद्र पर सीपीएसएस देने की अपनी इच्छा या अनिच्छा प्रकट करते हुए एक परिवचन प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई उम्मीदवार सीपीएसएस में अनुत्तीर्ण हो जाता है या नियमित रूप से चश्मा पहनने (एचडब्ल्यूजी) की श्रेणी में होने की वजह से उनका परीक्षण नहीं होता है तो इच्छुक होने पर उसे वायु सेना ग्राउन्ड ड्यूटी के लिए चयनित किया जा सकता है।

9.1 अंकों को पूर्णांकित करना एवं टाई ब्रेकिंग सिद्धांत

अंकों को पूर्णांकित करने से संबंधित प्रावधान, जहां कहीं भी लागू हो, और अंकों में टाई के मामलों को हल करने के लिए प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

(क) अंकों को पूर्णांकित करना

परीक्षा के सभी चरणों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांक, मानक पूर्णांकन सिद्धांत, जहां भी लागू हो का प्रयोग करके दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किए जाएंगे। तद्नुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करते समय टाई संबंधी सभी मामलों का समाधान करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित प्राप्तांकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) टाई ब्रेकिंग सिद्धांत

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो "पेपर-II: सामान्य योग्यता परीक्षण" में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी।

(iv) यदि उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करने के उपरांत भी टाई रहता है, तो इसे आयोग के विवेकानुसार निपटाया जाएगा।

10. दो चरणों की चयन प्रक्रिया

चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड में रिपोर्ट करने पर पहले दिन प्रथम चरण का परीक्षण देना होगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा। वे उम्मीदवार जो चरण-II उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाणपत्र; और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ-साथ फोटो प्रति भी जमा करनी होंगी।

जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने उपस्थित होकर वहां परीक्षण देंगे वे अपने जोखिम पर इन परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायुसेना के लिएउम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वनिर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। वायु सेना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सेवा चयन बोर्ड में अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को उनकी इच्छा (Willingness), पात्रता और वायु सेना की उड़ान शाखा के लिए वरीयता के अनुसार सीपीएसएस में अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी।

विशेष टिप्पणी : वायु सेना की उड़ान शाखा के लिए प्रत्येक उम्मीदवार कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस)(पायलट अभिरुचि टेस्ट) में केवल एक बार शामिल हो सकेगा। अत: उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड ही उसके द्वारा बाद में दिए जाने वाले वायु सेना चयन बोर्ड केप्रत्येक साक्षात्कार में लागू होंगे। सीपीएसएस में अनुत्तीर्ण होने वाला उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा की वायु सेना की उड़ान शाखा या जनरल ड्यूटी (पायलट) शाखा या नौसेना वायु आयुध शाखा (नेवल एयर आर्म) में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता/सकती है।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पाठ्यक्रम में कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) परीक्षण हो चुका हो, उन्हें इस परीक्षा की वायु सेना शाखा के लिए केवल तभी आवेदन करना चाहिए, यदि उन्हें सीपीएसएस में अर्हक घोषित कर दिया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार सीपीएसएस में फेल हो गया हो या एचडब्लूजी (नियमित चश्मा पहनने वाला) होने के कारण उसकी सीपीएसएस के लिए परीक्षा न ली गई हो तो उस उम्मीदवार पर भारतीय वायु सेना, नौ सेना, थल सेना व एन ए वी ए सी की ग्रांउड ड्यूटी शाखा के लिए विचार किया जाएगा।

अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

11. अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश

इन शर्तों के अध्यधीन, अर्हक उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और सेवा चयन बोर्ड परीक्षण में उनके कुल अंकों के आधार पर एक एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की सेना, नौसेना, वायु सेना और भारतीय नौसेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में प्रवेश के लिए अंतिम आबंटन/चयन, उम्मीदवारों की पात्रता, मेडिकल फिटनेस और मेरिट-सह-वरीयता के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार किया जाएगा। जो उम्मीदवार एक से अधिक सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं, उन पर उनके वरीयता क्रम के संदर्भ में आबंटन/चयन के लिए विचार किया जाएगा और एक सेवा/पाठ्यक्रम में उनके अंतिम आबंटन/चयन के मामले में, उन्हें शेष सेवाओं/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पात्र उम्मीदवार को ऑन-लाइन पोर्टल (विवरण) के माध्यम से एक ज्वाइनिंग पत्र दिया जाएगा, जिसमें रिपोर्ट करने से संबंधित तारीख बताई जाएगी। ज्वाइनिंग पत्र मिलने के पश्चात, उम्मीदवार को www.joinindianarmy.nic.in से पाठ्यक्रम के लिए जॉइन करने से संबंधित अनुदेश डाउनलोड कर होंगे और दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। जो उम्मीदवार पहले से लिखित सूचना या अनुरोध प्रस्तुत किए बिना रिपोर्ट करने की विनिर्दिष्ट तारीख से 07 (सात) दिन के भीतर अकादमी में रिपोर्ट नहीं करते, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके पश्चात इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

12. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं:

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पहले किसी कोर्स में अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी थी उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते वे स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

13. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए(क) परीक्षा की योजना, और पाठ्यक्रम (ख) वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश (ग)प्रवेश हेतु शारीरिक मानक और (घ) सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण के संबंध में विस्तृत जानकारी क्रमशः परिशिष्ट I,II,III,और IVमें दी गई है।

टिप्पणी: आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अधिसूचना में दिए गए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा की अधिसूचना अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में प्रकाशित की जाती है। किसी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

(जे.के. मण्डल)
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम)

(क) परीक्षा की योजनाः

1. लिखित परीक्षा के विषय, निर्धारित समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्न प्रकार से होंगे:--

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित सामान्य योग्यता परीक्षा	01 02	2-1/2 घंटे 2-1/2 घंटे	300 600
कुल			900
सेना चयन बोर्ड परीक्षा / साक्षात्कार			900

2. **सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षा के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षा पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप में हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे।**
3. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा, केवल तोल और माप की मीट्रिक पद्धति से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे।
4. उम्मीदवारों को प्रश्न -पत्रों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. परीक्षा के किसी एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारणआयोग के विवेक के अनुसार होगा।
6. उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये कैलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणक सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लाएं।

(ख) परीक्षा का पाठ्यक्रम :

प्रश्न-पत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीजगणित:

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द-मारगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। सम्मिश्र संख्याएं- आधारभूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक

श्रेणी। वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। आरेखों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिक:

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का क्रैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमिति:

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग-ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषक ज्यामिति:

आयताकार कार्तीय निर्देशक पद्धति।दूरी सूत्र। एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्ततथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्केन्द्रतातथा अक्ष त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणित:

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का डोमेन, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकेंकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण:

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्ररेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण - अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा,उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेषहल, विभिन्न प्रकार की प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणो का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणित:

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल।अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता:

सांख्यिकीः आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण।ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण। केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकताः यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि घटना, परस्पर परवर्जित तथानिशेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ, पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न पत्र-II
सामान्य योग्यता परीक्षा
(कोड संख्या 02)
(अधिकतम अंक-600)

भाग 'क' अंग्रेजी:

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजीभाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और उसका प्रयोग, शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित पाठ की समझ तथा उसमें संबद्धता।

भाग 'ख' सामान्य ज्ञान

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सम-सामायिक घटनाक्रम शामिल होंगे।

इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र दर्शाने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमतैयार किया गया है। उल्लिखित विषयों को सर्वांश पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के उन उप-विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्यक्रम में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार द्वारा दिये गये उत्तरों से यह पता चलना चाहिए कि उसे सबंधित विषय की जानकारी है और वह इसे पूरी तरह समझता है।

खंड-'क' (भौतिकी):

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायुदाब मापी।

बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान की माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां।

ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र।

प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेस, मानव नेत्र।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। चुम्बक के रूप में पृथ्वी

स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग।

निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सामान्य सिद्धान्त:

सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, त़डित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-'ख' (रसायन शास्त्र):

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व, मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक, सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण, रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर)। वायु तथा जल के गुण-धर्म,

हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन-डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, ऑक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षार और लवण।

कार्बन-भिन्न रूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड-'ग' (सामान्य विज्ञान):

जड़ और चेतन में अंतर।

जीवन का आधार- कोशिकाएं, जीवद्रव्य और ऊतक ।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियां और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

भोजन-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। भोजन के अवयव। संतुलित आहार।

सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

खंड-'घ' (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि)

भारतीय इतिहास का व्यापक सर्वेक्षण जिसमें संस्कृति और सभ्यता पर विशेष बल हो।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन।

भारतीय संविधान और प्रशासन का बुनियादी अध्ययन।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभिक ज्ञान।

पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य,महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली ताकतें, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज,अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम।फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति।समाज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव।एक विश्व की संकल्पना, संयुक्तराष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद।वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-'ङ' (भूगोल):

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और देशांतर, समय कीसंकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पृथ्वी की गतियां और उनके प्रभाव।

पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूकंप तथा ज्वालामुखी।

महासागर धाराएं और ज्वार भाटा।

वायुमण्डल और इसकी संरचना, तापमान और वायुमण्डलीय दाब, भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, संघनन और वर्षणजलवायु के प्रकार, विश्व के प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण।

भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन तथामुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग,उनके लिए स्थान।

भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

खंड-'छ' (समसामयिक घटनाएं):

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। पूरे विश्व में होने वाली समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं।

प्रतिष्ठित व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक क्रियाकलापों और खेलकूद से संबंधित व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी:

इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों में से खण्ड क, ख, ग, घ, च तथा छ प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व संबधी परीक्षा:

सेना चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं चरण-। व चरण।। चरण।। में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति दी जाती है जो चरण-। में सफल रहते हैं । इसका विवरण निम्नानुसार हैः

(क) चरण-Iके अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षा तथा चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)*एवं विवरण परीक्षा (पीपी एवं डीटी) होती हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षा तथा पीपी एवं डीटी दोनों में संयुक्त रूप से उनकी क्षमता प्रदर्शन के आधार पर शार्टलिस्ट किया जाएगा ।

(ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षा तथा कांफ्रेंस शामिल है । ये परीक्षाएं 4 दिनकी अवधि में आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं का विवरण वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है ।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं नामतः साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षाओं में उनके समग्र कार्य-निष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आबंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक क्षमता प्रदर्शन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान की विभिन्न परीक्षाएं इस प्रकार तैयार की गई हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारी सम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने / नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जा सकने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारो की अनुशंसा की जाती है।

परिशिष्ट –II

वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. **परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी**

   क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो), उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए अच्छी किस्म का काला बाल पेन। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य के लिए रफ शीट निरीक्षक द्वारा दी जाएंगी।

2. **परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी**

   ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे कोई भी कीमती/महंगी वस्तु, मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल घडियां, अन्य आईटी गैजेट, पुस्तकें,बैग, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के

स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, आदि परीक्षा हाल में न लाएं।

मोबाइल फोन, ब्ल्ू०टूथ,पेजर एवं अन्य संचार यंत्र (यहां तक कि स्विच-ऑफ मोड़ में भी) या अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री (ई-प्रवेश पत्र, पेपर, रबड आदि में नोट्स) रखने अथवा उसका उपयोग उस परिसर में करने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही करने के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी कीमती/मूल्यवान वस्तु न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस संबंध में हुए किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का **एक तिहाई (0.33)** दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा। चाहे दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीके अपनाना पूर्णतः निषिद्ध है

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा और न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी उम्मीदवार परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे अथवा अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप काले बाल प्वांइट पेन से अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए,

बी, सी, डी यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए दिशा-निर्देश अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक पर संख्या न हो तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य के लिए दी गई शीट में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या और कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा,अत: उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रखरखाव तथा उन्हें भरने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।**उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को ही ध्यान में रखा जाएगा, अत: उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।**

10. **उत्तर अंकित करने का तरीका**

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है। प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3..... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी),(सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपके एक सही प्रत्युत्तर चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में 1 से 160 तक क्रम संख्याएं मुद्रित हैं। प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त मुद्रित हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय लेने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं, तब **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला करके अंकित कर देना है।**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बॉल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) •(c) (d)

11. **स्कैन किए जाने योग्य उपस्थिति सूची में प्रविष्टि**:
उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में अपने कॉलम के सामने **केवल काले बॉल पेन** से संगत विवरण भरना है जैसाकि नीचे दिया गया है:-
   (i) कॉलम (उपस्थिति/अनुपस्थिति) में [P] वाले गोले को काला करना है।
   (ii) परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के लिए संगत गोले को काला करें।
   (iii) परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।
   (iv) उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।
   (v) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे।

उम्मीदवार को उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को संख्या वाले किसी पत्रक के साथ तत्काल बदलवा लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केन्द्र	विषय	विषय कोड		अनुक्रमांक					

मान लो कि आप गणित के प्रश्न-पत्र के वास्ते दिल्ली केन्द्र पर परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बॉल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।

केन्द्र	विषय	विषय कोड		अनुक्रमांक					
दिल्ली	अंग्रेजी	0	1	0	8	1	2	7	6

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप काले बाल पेन से अपना वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके ई-प्रवेश पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप समय-सारणी में से समुचित विषय कोड ढूढ़ें। अब काले बॉल पेन से आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करेंगे। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उससे पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात् ही करना चाहिए। 'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के गणित प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें:

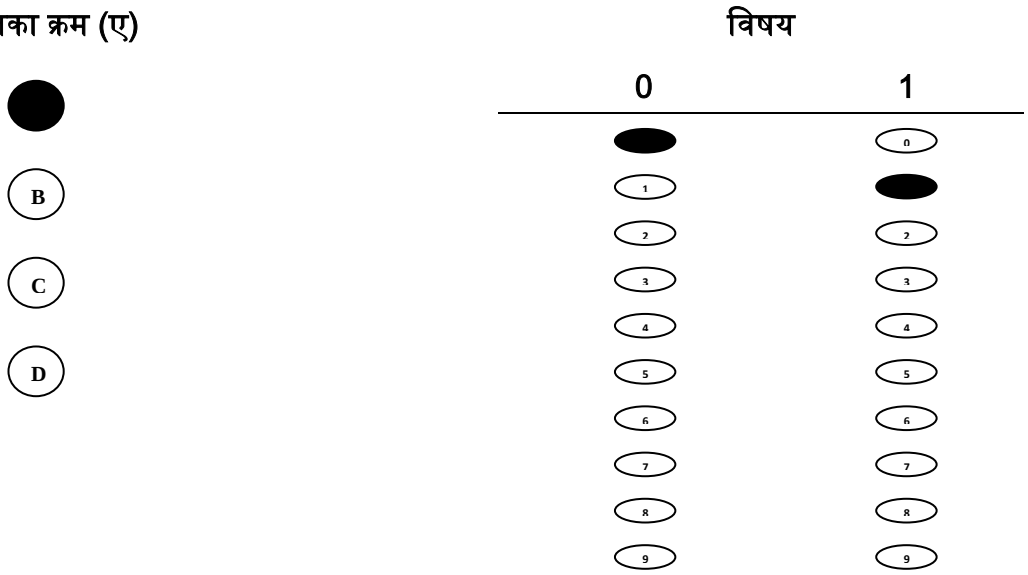

बस इतना करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे'0'के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को उसी प्रकार पूरी तरह काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप करेंगे।

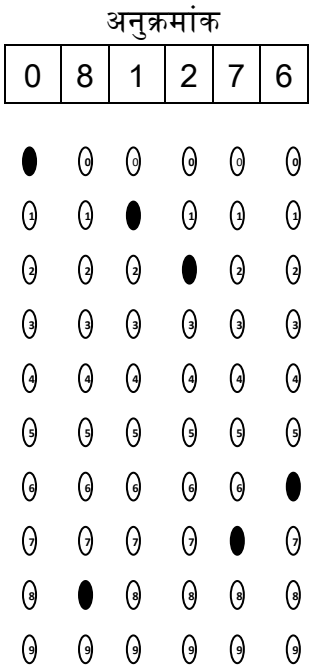

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट-III

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानदडों से संबंधित दिशा निर्देश

टिप्पणी: उम्मीदवारों का निर्धारित शारीरिक मानदडों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। नीचे दिए गए चिकित्सा स्वस्थता मानदंड प्रकाशन की तारीख को मौजूद दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं और इन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

परीक्षा में अर्हता प्राप्त कई उम्मीदवारों को चिकित्सा आधार पर बाद में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अतः उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी चिकित्सा जांच करवाना उनके हित में होगा जिससे परीक्षा के अंतिम चरण में पहुंच कर उन्हें निराशा न हो।

1. उम्मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि सेना चयन बोर्ड द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के बाद अपने छोटे मोटे दोष/बीमारियों का इलाज करवा लें ताकि सैनिक अस्पताल में की जाने वाली चिकित्सा जांच का निर्णय शीघ्र हो सके।

2. ऐसे कुछ दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं:--

(क) कान की मैल

(ख) डेवियेटिड नेजल सेप्टम

(ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस

(घ) अधिक वजन/कम वजन

(ङ) छाती कम चौड़ी होना

(च) बवासीर

(छ) गाइनिकोमेस्टिया

(ज) टांसिल

(झ) वेरिकोसिल

नोट: केवल अग्र बाजू के भीतर की तरफ अर्थात कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ स्थायी बॉडी टैटू बनवाने की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी बॉडी टैटू स्वीकार्य नहीं है तथा उम्मीदवार को आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए कमांडेंट चयन केन्द्र सक्षम प्राधिकारी होगा।

3. सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए परीक्षा देने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी प्रकार की चोट लगने या रोग संक्रमण होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे।वे अस्पताल के अफसर-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरंग रोगी चिकित्सा के भी हकदार होंगे, बशर्ते कि-

(क) चोट परीक्षा के दौरान लगी हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा की गई जांच के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना मुश्किल हो; अथवा

(ग) यदि चिकित्सा बोर्ड ऑबजर्वेशन के लिए उम्मीदवार को भर्ती करना ज़रूरी समझे।

नोट: वे विशेष सेवा (नर्सिंग) के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

4. चिकित्सा प्रक्रिया:

सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना चिकित्सा अफसर बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाएंगे। चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय होती है, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। किन्तु चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को अपील चिकित्सा बोर्ड से अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी।

5. अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई जांच के दौरान अनफिट घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड संबंधी प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

6. थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना (उडान और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओ) के लिए चिकित्सा मानक औरचिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया क्रमश: अनुबंध 'क', 'ख','ग' में दी गई है जो कि निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।

(i) सेना मेंअधिकारियों के प्रवेश के लिए : चिकित्सा मानकों और चिकित्सा प्रक्रिया के लिए www.joinindianarmy.nic.inपर

(ii) वायुसेना (उडान और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओ) मे अधिकारियों के प्रवेश के लिए चिकित्सा मानकों और चिकित्सा प्रक्रिया के लिए www.careerindianairforce.cdac.inपर

(iii) नौसेना में अधिकारियों के प्रवेश के लिए : चिकित्सा मानकों और चिकित्सा प्रक्रिया के लिए www.joinindiannavy.gov.in

नोट: मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय है, जो किसी को भी नहीं बताई जाएगी। भर्ती महानिदेशालय की किसी मेडिकल बोर्ड में कोई भूमिका नहीं है और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा।

महिला उम्मीदवारों का चिकित्सकीय परीक्षण

1. महिला उम्मीदवारों के चिकित्सकीय परीक्षण की सामान्य विधि और सिद्धांत, पुरुष उम्मीदवारों के जैसे ही होंगे, तथापि महिला उम्मीदवारों के चिकित्सकीय परीक्षण से संबंधित विशेष बिंदु अगले पैराग्राफों में दिए गए हैं।

2. उम्मीदवार से मासिक धर्म, स्त्रीरोगों और प्रसूति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रश्नावली के रूप में ली जाएगी।

3. उम्मीदवार का विस्तृत शारीरिक और प्रणालीगत परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी अथवा महिला स्त्रीरोग विशेषज्ञ के द्वारा ही किया जाएगा।

4. परीक्षण में निम्न जांच शामिल होगीः-

(क) बाह्य जननांग (External genitalia)

(ख) हेर्नियल छिद्र और मूलाधार (Hernial orifices and the perineum)

(ग) तनाव संबंधी मूत्र अनियमितता (Stress urinary incontinence) अथवाबाहर की तरफ गर्भाशय भ्रंश (Genital prolapsed) के प्रमाण

(घ) स्तन में गांठ और अति स्तन्यावण (Lump breast and galactorrhoea)के प्रमाण

5. सभी अविवाहित महिला उम्मीदवारों में, वीक्षण (speculum) अथवा प्रति योनि परीक्षण नहीं किया जाएगा।

6. प्रारम्भिक चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान सभी महिला उम्मीदवारों के पेट और पेल्विस (abdomen and pelvis) का अल्ट्रासाउंड स्कैन अनिवार्य है।

7. बाह्य जननांग में कोई भी असामान्यता पाए जाने पर हर मामले में अलग से विचार किया जाएगा। अतिरोमता या विशेष रूप से पुरुष के सदृश बालों के बढना(hirsutism)के साथ ही PCOS का रेडियोलॉजिकल प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

8. निम्नलिखित स्थितियों में महिला उम्मीदवारों को अनफिट घोषित किया जाएगा:-

(क) प्राथमिक अथवा द्वितीयक ऋतुरोध (Amenorrhoea)

(ख) गंभीर अतिरज (Menorrhagia)अथवा/और गंभीर डिस्मेनोरिया(Dysmenorrhea)

(ग) तनाव के कारण मूत्र अनियमितता (Stress urinary incontinence)

(घ) गर्भाशय ग्रीवा का जन्मजात बढ़ाव (Congenital elongation of cervix)अथवा सुधारात्मक शल्य चिकित्सा के बाद भी गर्भाशय का बाहर खिसकना।

(ङ) **गर्भावस्था**. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु गर्भावस्था अयोग्यता का एक कारण है।

(च) किसी भी आकार का जटिल गर्भाशय सिस्ट (Cyst)

(छ) 6 सेमी से बड़ा साधारण गर्भाशय सिस्ट (Cyst)

(ज) एंडोमेट्रिओसिस और अडोनोमायोसिस (Endometriosis and Adenomyosis)

(झ) किसी भी आकार का सबम्यूकस फ्राइब्रोइड (Submucous fibroid)

(ञ) ब्रॉड लिगामेंट अथवा मूत्रवाहिनी पर दबाव डालने वाला किसी भी आकार का सरवाइकल फाईब्रॉयड (cervical fibroid)

(ट) 3 सेमी. से अधिक व्यास का एकल फाइब्रायड गर्भाशय; दो से अधिक फाइब्रायड (प्रत्येक फाइब्रॉयड 15 mmव्यास से अधिक नहीं) अथवा फाइब्रॉयड्स जिसके कारण एनडोमेट्रियल केविटी(endometrial cavity) का विरूपण हो गया हो।

(ठ) धनुषाकार गर्भाशय(arcuate uterus)के अलावा जन्मजात गर्भाशय विसंगति।

(ड) तीव्र अथवा दीर्घकालिक पेलविक संक्रमण।

(ढ) यौन विकार

(ण) प्रत्येक मामले के आधार पर अन्य कोई स्थिति में स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा विचार किया जाएगा।

9. निम्नलिखित स्थितियों में **फिट** घोषित किया जाएगाः-

(क) 6 सेमी. तक एक कोशिकीय स्पष्ट अंडाशय सिस्ट (Ovarian cyst)

(ख) डग्लास (Douglas) की थैली में न्यूनतम तरल

<u>लेप्रोस्कोपिक सर्जरी(laproscopic surgery) अथवा लेप्रोटॉमी (laprotomy) के पश्चात् मेडिकल फिटनेस</u>- उम्मीदवार सिस्टेकटॉमी (cystectomy) अथवा म्योमेकटॉमी (myomectomy) करवाने के पश्चात फिट माने जाएंगे, यदि वे लक्षणहीन पाये जाते है, अल्ट्रासाउंड पेलविस (Pelvis) सामान्य हो, टिशुज के हिस्टोपेथॉलॉजी (histopathology),बेनाइन (Benign) और ऑपरेशन के बाद की गई जांच में एंडोमेट्रिओसिस (endometriosis) के संकेत न हों। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह के पश्चात् जब घाव पूर्णरूप से ठीक हो गया हो तो उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। लेप्रोटॉमी की शल्य प्रक्रिया के एक वर्ष पश्चात् उम्मीदवार को फिट मान लिया जाएगा।

<u>अनुबंध- क</u>

<u>थल सेना में अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानक और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया</u>

1. <u>परिचय</u>

(क) सशस्त्र सेनाओं की प्रमुख जिम्मेदारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सशस्त्र सेनाओं को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है। युद्ध की तैयारी के लिए सैन्यकर्मियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके साथ-साथ जब भी जरूरत हो जैसे कि आपदाओं के समय, सशस्त्र सेनाएं सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में शारीरिक स्वास्थ्य और सुदृढ़ मानसिक संतुलन वाले जवानों की जरूरत होती है। ऐसे उम्मीदवार समुद्र, दुर्गम क्षेत्रों और विषम परिस्थितियों में चिकित्सीय सुविधाओं के बिना भी अपने सैन्य दायित्वों के निर्वाह में सक्षम होने चाहिए जो उन परिस्थितियों में कठोर तनाव को झेल सकें। किसी रोग/ दिव्यांगता के कारण चिकित्सीय रूप से अनफिट कार्मिक न केवल कीमती संसाधनों की बरबादी करेगा बल्कि सैन्य ऑपरेशनों के दौरान अपने दल के अन्य सदस्यों के लिए भी मुसीबत और खतरे का कारण बन सकता है। इसलिए केवल चिकित्सीय रूप से योग्य अथवा फिट उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है जो युद्ध प्रशिक्षण के लिए योग्य हों।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में **'चिकित्सीय रूप से फिट'** कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने का दायित्व सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस का होता है।

(ग) हर सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए सेना में शामिल होने के समय अपनी पेशेवर विशिष्टता, यूनिट में सौंपा गया कार्य, आयु अथवा लिंग से परे हटकर मूलभूत स्तर की 'मेडिकल फिटनेस' होना अनिवार्यहै। फिटनेस के इसी मूलभूत स्तर को उनकी भावी पेशेवर विशिष्टताओं अथवा यूनिट कार्यों के लिए प्रशिक्षण के बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे युद्ध में उनकी तैनाती की तत्परता में भी वृद्धि होगी।

(घ) सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस के मेडिकल अफसरों द्वारा चिकित्सा जांच का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। ये मेडिकल अफसर सशस्त्र सेनाओं के बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद उनकी विशिष्ट कार्य परिस्थितियों से भली-भांति तैयार होते हैं। एक मेडिकल अफसर बोर्ड द्वारा इन चिकित्सा जांचों पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। **मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है। उम्मीदवार के नामांकन/कमीशन के दौरान किसी रोग/दिव्यांगता/चोट/आनुवांशिक रोग अथवा विकार के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो तो संदेह का लाभ राज्य को दिया जाएगा।**

<u>चिकित्सा मानक</u>

2. निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित चिकित्सा मानक सामान्य दिशानिर्देश हैं जो रोगों से संबंधित असीम ज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण नहीं हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति और नए उपकरणों/ट्रेड के प्रवेश के साथ सशस्त्र सेनाओं में काम करने के तरीकों में परिवर्तनों के चलते यह मानक भी परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के नीतिपत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं। इन दिशा-निर्देशों व सिद्धांतों के आधार पर मेडिकल अफसरों, विशेष मेडिकल अफसरों तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

3. **'चिकित्सीय रूप से फिट' करार दिए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही हो तथा वह ऐसे किसी भी रोग/दिव्यांगता/लक्षणों से मुक्त हो जो समुद्र व हवाई भूभागों सहित दुर्गम क्षेत्रों में तथा विषम परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता के बिना उसके सैन्य दायित्वों के निर्वहन में बाधक न हों। उम्मीदवार ऐसी किसी भी चिकित्सीय परिस्थितियों से मुक्त होना चाहिए जिसमें नियमित रूप से दवाओं अथवा चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग की जरूरत हो।**

(क) तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार स्वस्थ हो तथा उसके शरीर के किसी अंग अथवा प्रणाली में खराबी, जन्मजात विकृति/बीमारी के लक्षण न हों।

(ख) ट्यूमर/सिस्ट/लिम्फनोड्स में सूजन सहित शरीर के किसी भी भाग में कोई सूजन न हो तथा शरीर में कहीं साइनस अथवा नासूर की शिकायतन हो।

(ग) शरीर की त्वचा पर कहीं हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमारी के लक्षण/अपंगता न हो।

(घ) शरीर में हर्निया की शिकायत न हो।

(ङ) शरीर पर ऐसे कोई निशान न हो, जो कामकाज को बाधित करते हों या दिव्यांगता अथवा अक्षमता उत्पन्न करते हों।

(च) शरीर में कहीं भी धमनी व शिराओं से संबंधित खराबी न हो।

(छ) सिर और चेहरे में किसी प्रकार की खराबी जिसमें एकरूपता न होना, अस्थि भंग अथवा खोपड़ी की हड्डियों के दबाव के कारण विकृतियां, अथवा पूर्व में किए गए किसी मेडिकल ऑपरेशन के निशान तथा साइनस व नासूर इत्यादि जैसी खराबियां शामिल हैं, न हों।

(ज) रंगो की पहचान करने में खराबी तथा दृष्टि क्षेत्र में खराबी सहित किसी प्रकार की दृष्टि बाधिता न हो।

(झ) सुनने में किसी प्रकार की अक्षमता, कानों की प्रकोष्ठ-कर्णा वर्त प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी/अक्षमता न हो।

(ञ) किसी बीमारी के कारणवश बोलने में किसी प्रकार की बाधा न हो।

(ट) नाक अथवा जिह्वा की हड्डियों अथवा उपास्थिति में किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/जन्मजात विकृति/लक्षण न हों अथवा तालू, नाक में पॉलिप्स अथवा नाक व गले की कोई बीमारी न हो। नाक में कोई विकृति अथवा क्रोनिक टॉन्सिलइटिस की शिकायत न हो।

(ठ) गले, तालू टॉन्सिल अथवा मसूड़ों की कोई बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो अथवा दोनों जबड़ों के जोड़ों के सामान्य काम को बाधित करने वाली कोई बीमारी अथवा चोट न हो।

(ड) जन्मजात, आनुवांशिक, रक्तचाप और चालन विकारों सहित दिल तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता न हो।

(ढ) पलमोनरी टीबी अथवा इस रोग से संबंधित पुराने लक्षण अथवा फेफड़ों व छाती संबंधी कोई अन्य बीमारी/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी प्रकार की एलर्जी/प्रतिरक्षा स्थितियां, संयोजी ऊतक विकार तथा छाती के मस्कयूलो-स्केलेटल विकार शामिल हैं, न हों।

(ण) पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी जिसमें असामान्य लिवर तथा लिवर रोग तथा अग्न्याशय की अंतस्त्रवी, जन्मजात, आनुवाशिक बीमरियां/लक्षण तथा अक्षमताएं शामिल हैं, न हों।

(त) एंडोक्राइन प्रणाली तथा रेटिक्युलो एंडोथीलियल प्रणाली संबंधी किसी प्रकार का रोग/लक्षण /अक्षमतानहो।

(थ) जेनिटो-यूरीनरी प्रणाली संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी अंग अथवा ग्रंथि की दिव्यांगता, एट्रॉफी/हाइपरट्रॉफी शामिल हैं, नहो।

(द) किसी प्रकार का सक्रिय, अव्यक्त या छिपा हुआ अथवा जन्मजात यौन-रोग न हो।

(ध) किसी प्रकार के मानसिक रोग, मिर्गी, मूत्र नियंत्रण संबंधी अक्षमता अथवा उसका पुराना मामला न हो।

(न) मस्क्युलो स्केलेटल सिस्टम तथा खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी व अन्य अंगों सहित जोड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/लक्षण न हों।

(प) कोई जन्मजात अथवा आनुवांशिक रोग/लक्षण/दिव्यांगता न हो।

4.एसएसबी चयन प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षा आयोजित की जाएगी लेकिन चिकित्सीय जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो वह अस्वीकृति का कारण हो सकताहै।

5.उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर सामान्यतः जिन चिकित्सीय अनियमितताओं, कमियों या अक्षमताओं के कारण किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकृत किया जाता है, वे अधोलिखित हैं :-

(क) रीढ़ की हड्डी, छाती व कूल्हे तथा अन्य अंगों से संबंधित मस्क्युलो-स्केलेटल दिव्यांगता जैसे, स्कोलियॉसिस, टॉरटीकॉलिस, कायफॉसिस, मेरूदण्ड, पसलियों, वक्ष-अस्थि तथा अस्थि पिंजर की अन्य दिव्यांगताएं, विकृत अंग, उंगलियों, पैरो की उंगलियां तथा रीढ़ की हड्डी के जन्मजात विकार।

(ख) अंगों की दिव्यांगता विकृत अंग, हाथों व पैरों की उंगलियां, विकृत जोड जैसे कि क्यूबिटसवलगस, क्युबिटसवॅरस, नॉकनीज, बोलेग, हाइपर मोबाइल जोड़, हाथ व पैरों की कटी उंगलियां तथा शरीर के अंग, जो वास्तविक आकार से छोटे हों।

(ग) नेत्र व नेत्रज्योति : मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिगमेटिसम, कॉर्निया, लेंस, रेटिना में चोट, आँखों में भैंगापन एवं टॉसिस।

(घ) सुनने की क्षमता, कान, नाक व गला : सुनने की क्षमता अथवा श्रवण शक्ति कम होना, बाह्यकर्ण, कान की पट्टी की झिल्लियों, कान का भीतरी हिस्से में चोट, नाक का सेप्टम मुड़ा हुआ होना एवं होंठ, तालू में विसंगति, पेरी-ऑरिक्युलर साइनस तथा गर्दन की लिम्फेंडिनाइटिस/एडीनोपैथी। दानों कानों के लिए बातचीत तथा तेज फुसफुसाहट को सुनने की क्षमता 610 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(ङ) <u>दांतों की स्थिति</u> :

(i) जबड़ों की प्रारंभिक रोगात्मक स्थिति जो बढ़ भी सकता है और बार-बार भी हो सकता है।

(ii) ऊपरी और निचले जबड़े के बीच विसंगति जिससे खाना चबाने में और बोलने में दिक्कत होती है, की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(iii) रोग सूचक टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ क्लिकिंग एवं उसमें सूजन होना। मुंह का किनारों पर 30 सेंटीमीटर से कम खुलना तथा मुंह ज्यादा खोलने पर टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ का अपने स्थान से हटना।

(iv) कैंसर की सभी संभावित स्थितियां।

(v) मुंह खोलने की सीमा के साथ तथा उसके बिना सब-म्यूकस फाइब्रोसिस की नैदानिक पहचान।

(vi) पूरी तरह फैले कैलक्यूलस दंत संरचना में खराबी तथा/अथवा मसूड़ों से खून निकलना जिसके कारण दंत-स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो।

(vii) दांत ढीले होना, दो से अधिक दाँत हिलने पर या कमजोर होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होगी।

(viii) कॉस्मेटिक अथवा पोस्ट-ट्रामेटिक मैक्सिलो फैशियल सर्जरी/ट्रॉमा के बाद उम्मीदवार सर्जरी/चोट लगने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम 24 सप्ताह तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के लिए अनफिट ठहराया जाएगा।

(ix) यदि दांतों के रखरखाव में कमी के कारण भोजन चबाने, दंत-स्वास्थ्य एवं मुंह की स्वस्थता को बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण को कायम रखने में दिक्कत हो अथवा उम्मीदवार के कर्त्तव्यों के निर्वहन में दिक्कत हो तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(च) छाती: तपेदिक रोग अथवा तपेदिक होने के प्रमाण हों, दिल या फेफड़ों में घाव, छाती की दीवार पर मस्क्यूलो-स्केलेटल घाव हों।

(छ) पेट तथा जेनिटर-मूत्र प्रणाली: हर्निया, अन-डिसेंडेडटेस्टीस, वेरिकोसील, ऑर्गेनोमिगैली, सॉलिटरीकिडनी, हॉर्सशू किडनी, तथा किडनी/लिवर में सिस्ट होना, गॉल ब्लेडर में पथरी, रीनल एवं यूरेट्रिक पथरी, यूरो जिनाइटल अंगों में अपंगता अथवा घाव होना, बवासीर रोग तथा साइनस एवं लिम्फैडिनाइटिस रोग होना।

(ज) तंत्रिकातंत्र: झटके/दौरे पड़ना, बोलने में दिक्कत होना या असंतुलन होना।

(झ) त्वचा:विटिलिगो, हीमैंजियोमास, मस्से होना, कॉर्न की समस्या होना, त्वचा रोग, त्वचा संक्रमण, त्वचा पर कहीं वृद्धि तथा हाइपर हाइड्रॉसिस होना।

6. <u>राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने वाली महिला केडेट्स के कद एवं वजन संबंधी मानक (थल सेना):</u>

आयु (वर्षों में)	सभी आयु वर्ग के लिए न्यूनतम वजन	आयुः 17 वर्ष से 20 वर्ष	आयुः 20 वर्ष+ 01दिन - 30वर्ष	आयुः 30 वर्ष+ 01दिन - 40वर्ष	आयुः 40वर्ष से ऊपर
कद(सेमी)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन(कि.ग्रा.)	वजन(कि.ग्रा.)	वजन(कि.ग्रा.)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4

(क) सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश हेतु महिला कैडेट्स का न्यूनतम कद 152 से.मी. होना अनिवार्य है। गोरखा और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों का न्यूनतम कद 148 सेमी. स्वीकार्य होगा। परीक्षा के समय 18 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों को कद में 2 सेमी. की छूट दी

जाएगी। फ्लाईंग शाखा के लिए न्यूनतम कद 163 सेमी. अनिवार्य है। फ्लाईंग शाखा के लिए अन्य मानव शरीर के माप संबंधी मानक जैसे बैठने की उँचाई, टांगों की लंबाई और जाँघों की लंबाई अनिवार्य है।

(ख) सभी वर्गों के कार्मिकों का कद के अनुसार वजन का चार्ट नीचे दिया गया है। यह चार्ट BMI के आधार पर तैयार किया गया है। यह चार्ट उम्मीदवारों के विशिष्ट कद के अनुरूप न्यूनतम स्वीकार्य वजन को दर्शाता है। किसी भी स्थिति में न्यूनतम दर्शाए वजन से कम वजन स्वीकार्य नहीं होगा। अधिकतम स्वीकार्य वजन आयु वर्ग एवं कद के अनुसार दर्शाया गया है। स्वीकार्य सीमा से अधिक वजन उसी स्थिति में स्वीकार किया जाएगा यदि उम्मीदवार के पास बॉडी बिल्डिंग कुश्ती और मुक्केबाजी के राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में हो। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मापदंड पूरे किए जाने चाहिए:-

(i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक (Body Mass Index) 25 से कम होना चाहिए

(ii) कमर और कूल्हे (Waist Hip) का अनुपात पुरूषों के लिए 0.9 से कम तथा महिलाओं के लिए 0.8 से कम होना चाहिए।

(iii) कमर का घेराव (Waist Circumference) पुरूषों के लिए 90 सेमी से कम और महिलाओं के लिए 80 सेमी से कम होना चाहिए।

(iv) सभी जैवरासायनिक मेटाबॉलिक (Biochemical Metabolic) मापदंड सामान्य सीमा में होने चाहिए।

नोटः 17 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के कद और वजन का आकलन भारतीय पीडियाट्रिक अकादमी द्वारा 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए कद, वजन एवं BMI (शरीर द्रव्यमान सूचकांक)संबंधित दिशा-निर्देश जो कि समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, के अनुसार किया जाएगा।

7. <u>राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने वाले पुरुष कैडेट्स के कद-वजन मानक(थल सेना)</u>

सेना में प्रवेश की शाखा के आधार पर वांछित कद भिन्न-भिन्न होता है। शरीर का वजन कद के अनुपात में होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:-

आयु (वर्षमें)	सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन	आयुवर्गः 17 से 20 वर्ष	आयु वर्गः 20+01 दिन 30 वर्ष	आयु वर्गः 30+01 दिन से 40 वर्ष	आयु 40 वर्ष से अधिक
कद (से.मी.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0

148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9

182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(क) उपर्युक्त कद-वजन चार्ट सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए है। यह चार्ट बीएमआई के आधार पर बनाया गया है। इस चार्ट में किसी कद विशेष के उम्मीदवार का न्यूनतम स्वीकृत वजन दिया गया है। किसी भी मामले में न्यूनतम स्वीकृत वजन से कम वजन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिए गए कद के अनुसार अधिकतम स्वीकृत वजन को विभिन्न आयु-वर्गों में विभाजित किया गया है। अधिकतम स्वीकृत वजन सीमा

से अधिक वजन वाले उम्मीदवारों को केवल उन मामलों में स्वीकार किया जाएगा जहाँ वे राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती, बॉडी-बिल्डिंग एवं बॉक्सिंग खेलों में शामिल होने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में अधोलिखित मानक होंगे :-

(i) बॉडीमास इंडेक्स 25 से कम होना चाहिए।

(ii) कमर और कूल्हे का अनुपात पुरूषों के लिए 0.9 तथा महिलाओं के लिए 0.8 होगा।

(iii) कमर का घेरा पुरूषों के लिए 90 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से कम होगा।

(iv) सभी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक मानक सामान्य सीमाओं में होंगे।

नोट : 17 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के लिए कद तथा वजन का मापदंड '05 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए भारतीय पीडियाट्रिक अकादमी के कद, वजन बीएमआई विकास चार्ट' के दिशा निर्देशानुसार होगा जिसे समय समय-धित संशोधन किया जाता है।

(ख) सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए पुरुष/महिला उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम कद 157 सेमी या संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा यथा-निर्धारित है। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित उम्मीदवार न्यूनतम 152 सेमी कद के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

<u>नोट:</u> परीक्षा के समय 18 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए 02 सेमी की वृद्धि की गुंजाइश दी जाएग़ी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए न्यूनतम अपेक्षित कद 163 सेमी है। फ्लाइंग ब्रांच को बैठने की ऊंचाई, पैर की लंबाई और जांघ की लंबाई जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक मानकों की भी आवश्यकता होती है।

8. सभी अधिकारी एंट्री और प्री-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित जांच की जाएंगी परंतु यदि मेडिकल अधिकारी/मेडिकल बोर्ड चाहे या ठीक समझे तो इसके अलावा अन्य किसी बिन्दु पर भी जाँच कर सकते हैं।

(क) संपूर्ण हीमोग्राम

(ख) यूरिन आरई

(ग) चेस्ट एक्सरे

(घ) एब्डॉमिन एवं पेल्विस का यूएसजी

9. आयु वर्ग एवं भर्ती या प्रवेश के प्रकार के आधार पर नेत्र ज्योति संबंधी कुछ मानक भिन्न हो सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं :-

मानदण्ड	स्टैंडर्ड : 10+2 प्रवेश एनडीए ए(सेना), टीईएस एवं समकक्ष	स्नातक एवं समकक्ष प्रवेश सीडीएसई, आईएमए, ओटीए, यूईएस, एनसीसी, टीजीसी एवं समकक्ष	स्नातकोत्तर एवं समकक्ष प्रवेश: जेएजी, एईसी, एपीएस, आरवीसीटीए, एएमसी, एडीसी, एसएल एवं समकक्ष
अनुपचारित दृष्टि (अधिकतम स्वीकृत)	6/36 एवं 6/36	6/60 एवं 6/60	3/60 एवं 3/60

बीसीवीए	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6
मायोपिया	<u>≤</u>-2.5 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित <u>≤</u> -/+2.0 डी सीवीईएल)	<u>≤</u>-3.50 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित <u>≤</u> -/+2.0 डी सीवीईएल)	<u>≤</u>-5.50 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित <u>≤</u> -/+2.0 डी सीवीईएल)
हाइपर मेट्रोपिया	<u>≤</u>+2.5 डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित <u>≤</u> -/+2.0 डी सीवीईएल)	<u>≤</u>+3.50 डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित <u>≤</u> -/+2.0 डी सीवीईएल)	<u>≤</u>+3.50 डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित <u>≤</u> -/+2.0 डी सीवीईएल)
लौसिक/समकक्ष सर्जरी	अनुमति नही है	अनुमति*	अनुमति*
रंग अवधारणा	सी पी -II	सी पी -II	सी पी -II

***लेसिक अथवा समकक्ष केराटो-रिफ्रैक्टिव प्रक्रिया**

(क) यदि कोई उम्मीदवार केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया करवाता है तो उसे प्रक्रिया की तारीख व सर्जरी किस प्रकार की है, इस बात का उल्लेख करते हुए उस मेडिकल सेंटर से इस आशय का एक प्रमाणपत्र/ऑपरेटिव नोट्स प्रस्तुत करने होंगे जहां सर्जरी की गई है।

नोट: इस तरह के प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में नेत्र रोग विशेषज्ञ को "स्पष्ट दृष्टि हेतु सुधारात्मक प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण अनफिट" के विशिष्ट पृष्ठांकन के साथ उम्मीदवार को अस्वीकार करना होगा।

(ख) इस संबंध में 'फिट 'करार देने के लिए अधोलिखित का ध्यान रखा जाएगा।

(i) सर्जरी के समय उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक हो।

(ii) लासिक सर्जरी के बाद न्यूनतम 12 माह का समय हो गया हो।

(iii) केन्द्र में कॉर्निया की मोटाई 450μ के बराबर या उससे अधिक हो।

(iv) आईओएल मास्टर द्वारा अक्षीय लंबाई 26मिमी के बराबर या उससे अधिक हो।

(v) +/-1.0 डी एवं सिलिंडर से कम या उसके बराबर अवशिष्ट अपवर्तन हो, बशर्ते वह उस वर्ग में मान्य हो जिसमें उम्मीदवार द्वारा आवेदन किया गया हो।

(vi) सामान्य स्वस्थ रेटिना।

(vii) अतिरिक्त मापदंड के रूप में कॉर्निया की टोपोग्राफी और एक्टेशिया मार्कर को भी शामिल किया जा सकता है।

वे उम्मीदवार जिन्होंने रेडियल केराटोटॉमी करवाई है, वे स्थायी रूप से अनफिट माने जाएंगे।

10. चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त होने वाला फॉर्म एएफएमएसएफ-2 ए है।

11. चिकित्सा जांच बोर्ड की कार्यवाही: अफसरों के चयन और प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चिकित्सा जांच बोर्ड का आयोजन सर्विस चयन बोर्ड (एसएसबी) के निकट नियत सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पतालों में किया जाता है। इन चिकित्सा बोर्ड को 'विशेष मेडिकल बोर्ड' (एसएमबी) कहा जाता है। एसएसबी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पहचान दस्तावेजों सहित सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पताल के पास भेजा जाता है। अस्पताल के स्टॉफ सर्जन उम्मीदवार की पहचान करके उसे एएफएमएसएफ-2 में संबंधित भाग भरने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, नेत्ररोग, ईएनटी तथा डेंटल विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा जांच आयोजित करवाते हैं। स्त्री-रोग विशेषज्ञ भी महिला उम्मीदवारों की जांच करते हैं। इन विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की जांच से संतुष्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस संबंधी घोषणा की जाती है। यदि विशेष मेडिकल बोर्ड (एसएमबी) द्वारा किसी उम्मीदवार को 'अनफिट' घोषित किया जाता है, तो उसे उम्मीदवार 'अपील मेडिकल बोर्ड' (एएमबी) के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एएमबी से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष एसएमबी द्वारा किया जाएगा।

12. <u>विविध पहलू</u> :

(क) परीक्षण अथवा जांच के नैदानिक तरीके डीजीएएफएमएस कार्यालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

(ख) महिला उम्मीदवारों की मेडिकल जांच महिला मेडिकल अफसरों द्वारा की जाएगी परंतु यदि महिला डॉक्टर मौजूद न हों तो महिला परिचारिकाओं की उपस्थिति में पुरूष डॉक्टरों द्वारा जांच की जाएगी।

(ग) सर्जरी के बाद फिटनेस देना :

सर्जरी के बाद उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा परंतु सर्जरी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घाव अच्छी तरह से भर गए हों और उस अंग विशेष की शक्ति पर्याप्त रूप से मिल गई हो। उम्मीदवारों को हर्निया की ओपन/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 01 वर्ष बाद तथा कॉल सिस्टेक्टमी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद किसी उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। किसी अन्य सर्जरी के मामले में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद और ओपन सर्जरी के 12 माह बाद ही फिटनेस दी जाएगी। उम्मीदवार को चोट लगने, मांस फटने और जोड़ों में किसी प्रकार की चोट लगने पर सर्जरी की अवधि को ध्यान में न रखते हुए अनफिट घोषित किया जाएगा।

<u>अनुबंध 'ख'</u>

<u>नौसेना में अफसरों के प्रवेश के लिए चिकित्सा जांच के चिकित्सा मानक और प्रक्रिया</u>

<u>चिकित्सा बोर्ड के संचालन की प्रक्रिया</u>

1. सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा मेडिकल अफसरों के एक बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सा जांच (विशेष मेडिकल बोर्ड) से होकर गुजरना होगा। केवल चिकित्सा बोर्ड द्वारा

फिट घोषित उम्मीदवारों को ही अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। तथापि, चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष अनफिट घोषित हुए उम्मीदवारों को उनके परिणामों की जानकारी देंगे और अपील चिकित्सा बोर्ड की प्रक्रिया बताएंगे जिसे विशेष मेडिकल बोर्ड के 42 दिन के भीतर कमान अस्पताल या समकक्ष में पूरा करना होगा।

2. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अपील मेडिकल बोर्ड (एएमबी) द्वारा अनफिट घोषित किया जाता है, वे अपील मेडिकल बोर्ड पूरा होने के एक दिन के भीतर रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एएमबी के अध्यक्ष एएमबी के जांच-परिणामों को चुनौती देने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाएगा कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) के संचालन के लिए डीजीएएफएमएस द्वारा मामले की मेरिट के आधार पर ही मंजूरी प्रदान की जाएगी और इसे उम्मीदवार का अधिकार नहीं माना जाएगा। यदि उम्मीदवार आर एम बी के लिए अनुरोध करना चाहता/चाहती है तो उसे डीएमपीआर, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सेना भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011- को अपना अनुरोध भेजना होगा एवं उसकी एक प्रति एएमबी के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। डीजीएएफएमएस का कार्यालय उम्मीदवार को आरएमबी के लिए उपस्थित होने की तारीख एवं स्थान (केवल दिल्ली और पुणे) के विषय में जानकारी प्रदान करेगा।

3. स्पेशल मेडिकल बोर्ड के दौरान, अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जांच की जाएंगी। तथापि, उम्मीदवार की जांच करने वाले मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर या सूचित किए जाने पर कोई अन्य जांच करवाने के लिए कह सकते हैं:-

(क) कम्प्लीट हीमोग्राम
(ख) यूरिन आरई/एमई
(ग) एक्स-रे चेस्ट पीएव्यू
(घ) यूएसजी एब्डोमन और पेल्विस
(च) लीवर फंक्शन टेस्ट्स
(छ) रीनल फंक्शन टेस्ट्स
(ज) एक्स रे लंबोसैक्रल स्पाइन, एंटीरियर-पोस्टीरियर एंड लैटरल व्यूज़
(झं) एलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी)

<u>एन्ट्री के समय अफसरों (पुरुष/महिला) के लिए शारीरिक मानदंड</u>

4. उम्मीदवार को विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदंडों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ (फिट) होना चाहिए:-

(क) उम्मीदवार शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी भी बीमारी/अक्षमता से मुक्त होना चाहिए जो तटवर्ती और समुद्री ड्यूटी पर विश्व के किसी भी हिस्से में शांति एवं युद्ध परिस्थितियों में सक्षम कार्य-निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

(ख) उम्मीदवार में किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दोषों अथवा कम वजन के लक्षण नहीं होने चाहिएं। उम्मीदवार को अधिक वजन का या मोटा नहीं होना चाहिए।

5. वजन

कद-वजन तालिकाः नौसेना

कद मीटर में		17 वर्ष तक	17 वर्ष + 1 दिन से 18 वर्ष तक		18 वर्ष + 1 दिन से 20 वर्ष तक		20 वर्ष + 1 दिन से 30 वर्ष तक		30 वर्ष से ऊपर	
	न्यूनतम वजन किलो ग्राम में	अधिक तम वजन किलो ग्राम में	न्यूनत म वजन किलो ग्राम में	अधिक तम वजन किलो ग्राम में	न्यूनत म वजन किलो ग्राम में	अधिक तम वजन किलो ग्राम में	न्यूनत म वजन किलो ग्राम में	अधिक तम वजन किलो ग्राम में	न्यूनत म वजन किलो ग्राम में	अधिक तम वजन किलो ग्राम में
1.47	37	45	40	45	40	48	40	50	40	52
1.48	37	46	41	46	41	48	41	50	41	53
1.49	38	47	41	47	41	49	41	51	41	53
1.50	38	47	42	47	42	50	42	52	42	54
1.51	39	48	42	48	42	50	42	52	42	55
1.52	39	49	43	49	43	51	43	53	43	55
1.53	40	49	43	49	43	51	43	54	43	56
1.54	40	50	44	50	44	52	44	55	44	57
1.55	41	50	44	50	44	53	44	55	44	58
1.56	41	51	45	51	45	54	45	56	45	58
1.57	42	52	46	52	46	54	46	57	46	59
1.58	42	52	46	52	46	55	46	57	46	60
1.59	43	53	47	53	47	56	47	58	47	61
1.6	44	54	47	54	47	56	47	59	47	61
1.61	44	54	48	54	48	57	48	60	48	62
1.62	45	55	49	55	49	58	49	60	49	63
1.63	45	56	49	56	49	58	49	61	49	64
1.64	46	56	50	56	50	59	50	62	50	65
1.65	46	57	50	57	50	60	50	63	50	65
1.66	47	58	51	58	51	61	51	63	51	66
1.67	47	59	52	59	52	61	52	64	52	67
1.68	48	59	52	59	52	62	52	65	52	68
1.69	49	60	53	60	53	63	53	66	53	69
1.7	49	61	53	61	53	64	53	66	53	69
1.71	50	61	54	61	54	64	54	67	54	70
1.72	50	62	55	62	55	65	55	68	55	71
1.73	51	63	55	63	55	66	55	69	55	72
1.74	51	64	56	64	56	67	56	70	56	73
1.75	52	64	57	64	57	67	57	70	57	74
1.76	53	65	57	65	57	68	57	71	57	74
1.77	53	66	58	66	58	69	58	72	58	75
1.78	54	67	59	67	59	70	59	73	59	76
1.79	54	67	59	67	59	70	59	74	59	77
1.8	55	68	60	68	60	71	60	75	60	78

1.81	56	69	61	69	61	72	61	75	61	79
1.82	56	70	61	70	61	73	61	76	61	79
1.83	57	70	62	70	62	74	62	77	62	80
1.84	58	71	63	71	63	74	63	78	63	81
1.85	58	72	63	72	63	75	63	79	63	82
1.86	59	73	64	73	64	76	64	80	64	83
1.87	59	73	65	73	65	77	65	80	65	84
1.88	60	74	65	74	65	78	65	81	65	85
1.89	61	75	66	75	66	79	66	82	66	86
1.9	61	76	67	76	67	79	67	83	67	87
1.91	62	77	67	77	67	80	67	84	67	88
1.92	63	77	68	77	68	81	68	85	68	88
1.93	63	78	69	78	69	82	69	86	69	89
1.94	64	79	70	79	70	83	70	87	70	90
1.95	65	80	70	80	70	84	70	87	70	91

पुरुष उम्मीदवारों के लिए टिप्पणियाँ:-

(क) सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए कद के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम वजन एक समान होगा। निर्धारित न्यूनतम वजन से कम वजन वाले उम्मीदवारों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ख) निर्धारित वजन से अधिक वजन वाले पुरुष उम्मीदवार आपवादिक स्थितियों में केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब वे बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी अथवा मसक्यूलर बिल्ड के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में, निम्नानुसार मानदंड पूरे किए जाने चाहिए:-

(i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बॉडी मास इंडेक्स) 25 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) कमर: कूल्हे का अनुपात 0.9 से कम हो।

(iii) ब्लड शुगर फास्टिन्ग और पोस्ट प्रांडियल,ब्लड यूरिया, क्रिटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, HbA1C% आदि जैसे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर सामान्य स्तर(रेंज) में हों।

(ग) फिटनेस केवल चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।

(घ) न्यूनतम स्वीकार्य कद 157 सेमी है। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को जो नीचे वर्णित क्षेत्रों के स्थाई निवासी हों, तथा प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी उम्मीदवारों को कद में छूट दी जाएगी:

क्रम संख्या	**श्रेणी**	**पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कद**
(i)	लद्दाख क्षेत्र से आदिवासी	155 से॰मी॰
(ii)	अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप	155 से॰मी॰
(iii)	गोरखा, नेपाली, असमिया, गढ़वाली, कुमाऊँनी और उत्तराखंड	152 से॰मी॰
(iv)	भूटान, सिक्किम और उत्तर पूर्व क्षेत्र	152 से॰मी॰
(v)	अति प्रतिभाशाली खिलाड़ी उम्मीदवार	155 से॰मी॰

<u>महिला उम्मीदवारों के लिये टिप्पणियाँ:-</u>

(क) सभी वर्गों के कार्मिकों का कद के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम वजन तय मानकों के अनुसार होगा। निर्धारित न्यूनतम वजन से कम वजन वाले उम्मीदवारों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ख) निर्धारित सीमा से अधिक वजन वाले उम्मीदवार आपवादिक स्थितियों में केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब वे बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी और मस्क्यूलर बिल्ड के संबंध में दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाने चाहिएं:-

(i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बॉडी मास इंडेक्स) 25 से अधिक नहीं होना चाहिए

(ii) महिलाओं के लिए कमर: कूल्हे का अनुपात 0.8 से कम होना चाहिए।

(iii) ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल, ब्लड यूरिया (Blood urea), क्रियेटीनाइन (Creatinine), कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol), HbA1C% आदि जैसे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर सामान्य स्तर (रेंज) में हों।

(ग) फिटनेस केवल चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा ही दी जा सकती है।

(घ) महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य कद 152 सेमी. है। तथापि, निम्नांकित क्षेत्रों के मूल निवासी उम्मीदवारों को कद में छूट की अनुमति है।

क्रम सं.	**वर्ग**	**महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कद**
(i)	लद्दाख क्षेत्र के आदिवासी	150 सेमी.
(ii)	अंडमान एवं निकोबार ,लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप	150 सेमी.
(iii)	गोरखा ,नेपाली ,असमिया ,गढ़वाली ,कुमाऊँनी और उत्तराखंड	147 सेमी.
(iv)	भूटान ,सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	147 सेमी.

(च) नौसेना में कार्यकारी शाखा (Executive branch) के पायलट/प्रेक्षकविशेषज्ञ (Observer Specialisations) अधिकारी के रूप में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को कद में उपर्युक्त छूट की अनुमति नहीं होगी।

6. उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच के दौरान, निम्निलिखित प्रमुख बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाएगाः-

(क) उम्मीदवार पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हो हालाँकि, इस संबंध में जिम्मेदारी नामांकन अधिकारी (Enrolling Officer) की होगी। चिकित्सा अधिकारी, जाँच के दौरान उसके द्वारा पाई गई किसी भी कमी को नामांकन अधिकारी के संज्ञान में लाएगा।

(ख) श्रवण-शक्ति अच्छी हो और कान, नाक अथवा गले की किसी भी बीमारी के लक्षण न हों।

(ग) दोनों नेत्रों की दृष्टि क्षमता अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप हो। उनके नेत्र चमकदार, साफ हों और भेंगापन अथवा असामान्यता रहित हो। आंखों की पुतलियों की गति सभी दिशाओं में पूरी और निर्बाध हों।
(घ) बोलने की क्षमता बाधा रहित हो।
(च) ग्रन्थियों में किसी प्रकार की सूजन न हो।
(छ) छाती सुगठित हो और हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ हों।
(ज) उम्मीदवारों के सभी अंग सुगठित एवं सुविकसित हों।
(झ) किसी भी प्रकार या किसी भी स्तर पर हर्निया के लक्षण न हों।
(ट) सभी जोड़ों के कार्य निर्बाध एवं त्रुटि रहित हों।
(ठ) पैर एवं पंजे सुविकसित हों।
(ड) किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति अथवा खराबी न हो।
(ढ) पिछली किसी भी प्रकार की गंभीर एवं लंबी बीमारी के लक्षण जो कि शारीरिक अपंगता को दर्शाता/दर्शाते हों, न हों।
(त) भली-भांति चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में मजबूत दांत हों।
(थ) जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी बीमारी न हो।

उम्मीदवार अक्सर अज्ञानतावश बीमारी के संबंध में पारिवारिक इतिहास की जानकारी नहीं देते हैं। कभी-कभी अस्वीकृति के डर से जानबूझकर बीमारी को छिपाने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी प्रकार के दौरे, कुष्ठ, मिर्गी या तपेदिक का कोई संबंधित पारिवारिक इतिहास है तो ऐसे सभी मामलों में भर्ती चिकित्सा अधिकारी को एएफएमएसएफ -2 ए (AFMSF-2A) के संबंधित पैरा में बताना चाहिए, तथापि, जैविक रोग/शारीरिक विकृति के किसी भी लक्षण के लिए उम्मीदवारों की गहन नैदानिक जांच करना अनिवार्य है। भर्ती चिकित्सा अधिकारी को या तो उम्मीदवार को अस्वीकार करना चाहिए या संबंधित कॉलम में बीमारी का पृष्ठांकन करना चाहिए, यदि यह स्वीकार्य प्रकृति का है।

7. उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

(क) कमजोर शारीरिक संरचना, अपूर्ण विकास, जन्मजात विकृति, मांसपेशी क्षय (मसक्यूलर वेस्टिंग)।

नोट: मांसपेशीय विकृति को पूर्ण रूप से, कार्यों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से आंका जाना चाहिए।

(ख) सिर की विकृति जिसमें फ्रेक्चर से उत्पन्न विकृति अथवा खोपड़ी की हड्डियों के संकुचन से उत्पन्न विकृति शामिल है।

(ग) **स्कोलिओसिस का निर्धारण** - लंबर स्पाइन के लिए 10 डिग्री और डोर्सल स्पाइन के लिए 15 डिग्री तक का इडियोपैथिक स्कोलियोसिस स्वीकार्य होगा बशर्ते कि-

(i) उम्मीदवार लक्ष्णहीन हो।

(ii) स्पाइन में ट्रॉमा का कोई इतिहास न हो।

(iii) छाती में कोई विषमता /कंधों में असंतुलन अथवा लंबर स्पाइन (lumber spine) में पेल्विक ऑब्लिक्विटी (pelvic obliquity) न हो।

(iv) तंत्रिका (न्यूरोलॉजिकल) संबंधी कोई कमी न हो।

(v) रीढ की हड्डी (स्पाइन) में जन्मजात विकृति न हो।

(vi) सिनड्रॉमिक लक्षण नहीं हो।

(vii) ईसीजी सामान्य हो।

(viii) रीढ की हड्डी के पूर्ण लचीलेपन पर कोई विकृति नहीं हो।

(ix) चलने की रेंज में कोई बाधा नहीं हो।

(x) संरचनात्मक असामान्यता का कारण बनने वाली कोई मूलभूत कमी न हो।

(घ) आनुवांशिक अथवा गैर-आनुवांशिक अस्थि-पंजर संबंधी विकृति और अस्थियों या संधियों की बीमारी या अक्षमता।

नोटः- रूडीमेंटरी सरवाइकल रिब जिसमें कोई भी संकेत या लक्षण न दिखाई देते हों, स्वीकार्य है।

(च) धड़ एवं अंगों की विषमता, अंग-छेदन सहित गतिशीलता में असमान्यता।

(छ) पैरों एवं पंजों की विकृति।

(i) **हाइपर एक्स्टेंसिबल फिंगर ज्वाइंट्स -** हाइपर-एक्स्टेंसिबल फिंगर ज्वाइंट्स के लिए सभी उम्मीदवारों की भली-भांति जांच की जाएगी। 90 डिग्री के परे पीछे की तरफ झुकी उँगलियों का बढ़ाव हाइपर एक्स्टेंसिबल माना जाएगा और अनफ़िट समझा जाएगा। हाइपर लैकसिटी/ हाइपरमोबिलिटी के लक्षणों के लिए अन्य जोड़ों जैसे घुटना, कोहनी, रीढ़ और अंगूठे की भी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। मुमकिन है कि व्यक्ति के दूसरे जोड़ों में हाइपर लैकसिटी के लक्षण ना दिखें, लेकिन उँगलियों के जोड़ों की हाइपर एक्स्टेंसिबिलिटी के अलग से दिखने को भी अनफ़िट समझा जाएगा क्योंकि यदि उम्मीदवार को उपर्युक्त कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुज़रना पड़े तो बाद में विभिन्न प्रकार की परेशानी उभर सकती हैं।

(ii) **मालेट फिंगर -** डिस्टल इंटर-फेलेंजीयल ज्वाइंट पर एक्सटेंसर मेकेनिज़्म ना हो पाने से मालेट फिंगर होता है। क्रोनिक मालेट डीफॉर्मिटी (PIP) और एमसीपी (MCP) ज्वाइंट में सेकंडरी परिवर्तनों की वजह बन सकती है जिसके परिणामस्वरूप हाथ से कार्य करने में कठिनाई हो सकती है। फ्लेक्सन और एक्स्टेंसन दोनों में डीआईपी (DIP) जोड़ों में मूवमेंट की सामान्य रेंज 0-80 डिग्री है और पीआईपी (PIP) ज्वाइंट में 0-90 डिग्री है। मालेट फिंगर में, उम्मीदवार उँगलियों के डिस्टल फलंक्स (distal phalanx) को पूरी तरह फैलाने/ सीधा करने में असमर्थ रहता है।

(कक) हल्के लक्षणों वाले उम्मीदवार जैसे- बिना किसी ट्रॉमा, प्रेशर सिमटम्स और फंक्शनल डेफ़िसिट के जिनका एक्सटेंशन लैग 10 डिग्री से कम है, को फिट घोषित किया जाना चाहिए।

(कख) उँगलियों की स्थायी विकृति वाले उम्मीदवार अनफिट घोषित किए जाएंगे।

(iii) **पॉलीडैक्टिली** - ऑपरेशन के 12 सप्ताह के उपरांत फिटनेस की जांच की जा सकती है। यदि हड्डी की कोई असामान्यता (एक्स –रे) नहीं हो, घाव अच्छी तरह से भर गया हो, निशान हल्का पड़ने लगा हो और न्यूरोमा या चिकित्सा जांच का कोई प्रमाण न हो तो फिट घोषित किया जा सकता है।

(iv) **सिंपल सिंडैक्टिली** - ऑपरेशन के 12 सप्ताह के उपरांत फिटनेस की जांच की जा सकती है। यदि हड्डी की कोई असामान्यता (एक्स –रे) नहीं है, घाव अच्छी तरह से भर गया हो और निशान हल्का पड़ने लगा हो और वेबस्पेस संतोषजनक हो तो फिट घोषित किया जा सकता है।

(v) **<u>जटिल सिंडैक्टिली</u>** - अनफिट ।

(vi) **<u>पोलीमेजिया</u>** - उम्मीदवारों को ऑपरेशन के 12 सप्ताह की अवधि के उपरांत फिट माना जाएगा यदि ऑपरेशन के बाद कोई कठिनाई न हो और सर्जरी के घाव अच्छी तरह से भर गए हो तथा कोई अन्य रोग नहीं हो।

(vii) **<u>हाइपरोसटोसिस फ्रंटलिस इंटर्ना</u>**. कोई अन्य मेटाबोलिक असामान्यता ना होने की स्थिति में फिट माना जाएगा।

(ज) **<u>ठीक हुए फ्रेक्चर</u>**-

(i) सभी इंट्रा-आर्टिक्युलर फ्रेक्चर विशेषतः मुख्य जोड़ों (कंधा, कोहनी, कलाई, कूल्हा, घुटना और टखना) सर्जरी के साथ अथवा सर्जरी के बगैर, प्रत्यारोपण के साथ अथवा उसके बगैर, अनफ़िट माने जाएंगे।

(ii) पोस्ट ऑपरेटिव इंप्लांट के साथ सभी अतिरिक्त आर्टिकुलर फ्रेक्चर को अनफ़िट माना जाएगा और इंप्लांट हटाने के न्यूनतम 12 सप्ताह के बाद फ़िटनेस देने के लिए विचार किया जाएगा।

(iii) सभी लंबी हड्डियों (ऊपरी और निचले दोनों लिंब्स) की आर्टिकुलर चोटों जिनका उपचार पारंपरिक ढंग से किया गया हो, के बाद मूल्यांकन की न्यूनतम अवधि नौ (09) माह होगी। उम्मीदवार को तभी फिट माना जाएगा यदि :

(कक) माल-एलाइमेंट/माल-यूनियन का कोई प्रमाण न हो।

(कख) कोई न्यूरो वैस्कूलर दोष न हो।

(कग) मुलायम उत्तक की कोई क्षति न हो।

(कघ) गतिविधियों में कोई कमी न हो।

(कड) ऑस्टियोमेलिटिस/सीक्वेस्ट्रा फारमेशन का कोई लक्षण न हो।

झ)) **<u>क्यूबिटस रेकरवेटम</u>** >10 डिग्री अनफ़िट है।

(ट) **<u>क्यूबिटस वेलगस</u>**

(i) **<u>केरियिंग एंगल मापना</u>** - बांह और कलाई के सरफ़ेस मार्जिन से एक्सिस को मापने के लिए प्रोट्रैक्टर गोनियोमीटर (protractor goniometer) का प्रयोग करते हुए कोहनी को पूरा फैलाकर कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) का पारंपरिक तरीके से निर्धारण किया जाता है। यद्यपि, बांह और कलाई में मुलायम ऊतकों के विकास में विविधताओं के कारण मापे गए परिणामों में असंगति आ जाती है। अभी तक कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) को मापने की कोई एकसमान विधि नहीं है। यद्यपि एक्रोमियन (acromion), ह्यूमेरस (humerus) के मीडियल (medial) और लेटरल एपीकोनडयल्स (lateral epicondyles) पर बोनी लैंडमार्क्स (bony landmarks) की पहचान डिस्टल रेडियल (distal radial) और अलनर स्टिलोय्ड (ulnar styloid) प्रक्रिया के माध्यम से कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) को मापने की संस्तुति की जाती है। बॉह और कलाई के दो ड्रॉयिंग एक्सस (drawing axes) के साथ केरियिंग एंगल (carrying angle) को एक मैनुअल गोनियोमीटर (manual goniometer) द्वारा मापा जाता है। बॉह का एक्सिस एक्रियोमन (axisacromion) के क्रेनियल सर्फेस (cranial surface) के लेटरल बॉर्डर (lateral border) के ह्यूमेरस (humerus) के लेटरल (lateral) और मीडियल एपीकोनडयल्स (medial epicondyles) के मध्यबिंदु तक निर्धारित है। कलाई का एक्सिसह्यूमेरस (axishumerus) के लेटरल (lateral) और

मीडियल एपिकोनडयल्स (medial epicondyles) के मध्यबिंदु से डिस्टल रेडियल (distal radial) और अल्नर स्टायलॉयड (ulnar styloid) प्रक्रियाओं के मध्यबिंदु द्वारा निर्धारित होता है।

(ii) क्यूबिटस वेलगस मुख्य रूप से चिकित्सकीय निदान होना चाहिए। रेडियोग्राफिक जांच करने के लिए सुझाए गए निर्देशों में निम्नलिखित शामिल है:-

(कक) ट्रॉमा का पिछला इतिहास

(कख) कोहनी के आसपास निशान

(कग) कोणों की असमानता

(कघ) डिस्टल न्यूरोवसक्यूलर डेफ़िसिट

(कच) हिलने-डुलने की सीमित सीमा (रेंज)

(कछ) यदि ओर्थोपीडिक सर्जन द्वारा ज़रूरी समझा जाता है

(ठ) **<u>कोहनी के जोड़ पर हायपरएक्स्टेशन</u>** - किसी व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से हाइपरएक्स्टेंडेड कोहनी हो सकती है। यह कोई चिकित्सा समस्या नहीं है, लेकिन सैन्य जन समुदाय जिस तरह की तनावपूर्ण और थकाने वाली परिस्थितियों का सामना करता है उसमें यह फ्रेक्चर अथवा लंबे समय तक रहने वाले दर्द की वजह बन सकती है। कोहनी को न्यूट्रल पोजिशन के 10 डिग्री के भीतर वापस लाने में असमर्थता भी रोज़मर्रा के कार्यकलापों में बाधा बन सकती है।

(i) मापन मापदंड (Measurement modality)। गोनियोमीटर (Goniometer) के प्रयोग द्वारा मापा जाता है।

(ii) सामान्य कोहनी प्रसार 0 डिग्री है। यदि मरीज का जोड़ों के ट्रामा का कोई पुराना मामला नहीं है तो 10 डिग्री तक हाइपरएक्सटेंशन सामान्य सीमा के भीतर है। यदि किसी को 10 डिग्री से ज़्यादा का हाइपरएक्सटेंशन है तो उसे अनफ़िट माना जाएगा।

8. ***आंख***

(क) आंख या पलकों की विकृति या रोग ग्रस्त स्थिति जिसके अधिक बढ़ने या दुबारा होने की संभावना हो।

(ख) किसी भी स्तर का प्रत्यक्ष दिखने वाला भेंगापन।

(ग) सक्रिय ट्रेकोमा या उसकी जटिलता या रोगोत्तर लक्षण।

(घ) निर्धारित मानकों से कम दृष्टि तीक्ष्णता।

<u>टिप्पणियाँ:-</u>

1. एनडीए/एनए अफसरों की एंट्री हेतु दृष्टि संबंधी मानक निम्नानुसार हैं:-

मानदंड	**एनडीए/एनए**
अनउपचारित दृष्टि	6/12 6/12
उपचारितदृष्टि	6/6 6/6
निकट दृष्टि (myopia)संबंधी सीमाएं	-1.0D Sph
दीर्घ दृष्टि संबंधी (hypermetropia) सीमाएं	+2.0 D Sph
अबिंदुकता (निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि से सीमाओं के भीतर)	±1.0 D Cyl
दोनों आंखों की दृष्टि	III

रंगों की समझ	सीपी पास*

* एस एम बी के दौरान सीपी दोष का मूल्यांकन केवल इशिहारा परीक्षण (Ishihara test) द्वारा किया जाएगा। तथापि, एएमबी/आरएमबी के दौरान स्पष्टीकरण के लिए, जैसा लागू हो, एनोमलोस्कोप का उपयोग किया जाना चाहिए।

2. **कैराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी** अघोषित रिफ्रेक्टो-करेक्टीव प्रक्रिया जैसे कि पीआरके/लैसिक/स्माइल इत्यादि का पता लगाने के लिए एसएमबी के दौरान उम्मीदवारों के लिए केराटोमेट्री की जाएगी। इसके मान एसएसबी में दर्ज किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने किसी भी प्रकार की रिफ्रैक्टिरी सर्जरी (पीआरके, लैसिक, स्माइल) करवाई हो उन्हें सभी शाखाओं में एंट्री के लिए फिट माना जा सकता है (सबमरीन, डाइविंग और मार्को काडर को छोड़कर) और उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(क) 20 वर्ष की आयु से पहले कोई सर्जरी न हुई हो।

(ख) जांच के कम से कम 12 महीने पूर्व हुई अनकंप्लीकेटेड सर्जरी। (उम्मीदवार भर्ती चिकित्सा परीक्षा के समय एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें रिफ्रेक्टिव सर्जरी के प्रकार, सर्जरी की तारीख तथा ऑपरेशन पूर्व संबंधित नेत्र में रिफ्रैक्टिव दोष का उल्लेख किया गया हो।

(ग) **पोस्ट लैसिक स्टैंडर्ड्स.** उम्मीदवार को फिट तब माना जाएगा जब आईओएल मास्टर या ए स्कैन द्वारा मापित एक्सियल लेंग्थ 26mm के बराबर अथवा उससे कम हो या पेकीमीटर (Pachymeter) द्वारा मापित सेंट्रल कॉर्नियल थिक्नेस 450 माइक्रोन्स के बराबर या उससे अधिक हो।

(घ) रेजिडुअल रिफ्रैक्शन ±1.0 डी स्फैरिकल या सिलिंड्रिकिल (Sph or Cyl) से कम हो या बराबर हो बशर्ते जिस वर्ग (केटेगरी) के लिए आवेदन किया गया हो यह उसकी अनुमत सीमा के अंदर हो। लेकिन पायलट तथा ऑबजर्वर एंट्री के लिए यह शून्य (Nil) होना चाहिए।

(च) प्री-ऑपरेटिव रिफ्रेक्टिव एरर+/-6.0 डी से अधिक नहीं होना चाहिए।

(छ) रेटिना संबंधी सामान्य जांच।

3. सबमरीन, डाइविंग एवं एमएआरसीओ जैसे विशिष्ट संवर्गों के लिए कैराटो रिफ्रैक्ट्री सर्जरी (पीआरके (PRK), लैसिक (LASIK), स्माइल (SMILE)) स्वीकार्य नहीं है। **रेडियल केराटोटॉमी कराने वाले उम्मीदवार सभी शाखाओं के लिए स्थायी रूप से अनफिट हैं।**

4. **टॉसिस (Ptosis)**-उम्मीदवार को सर्जरी के बाद फिट माना जाएगा यदि सर्जरी के एक वर्ष बाद कोई पुनरावृति न हो, सामान्य दृश्य क्षेत्र (visual field) के साथ दृश्य एक्सिस (visual axis) स्पष्ट हो और ऊपरी पलक सुपीरियर लिम्बस के 02 mm नीचे हो। जो उम्मीदवार इसके लिए सर्जरी से नहीं गुजरे हैं, उन्हें फिट माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित मानदंडो में से किसी एक पर खरा उतरते हैं:-

(क) माइल्ड टॉसिस (Mild ptosis)

(ख) स्पष्ट दृश्य धुरी (Clear visual axis)

(ग) सामान्य दृश्य क्षेत्र (Normal visual field)

(घ) असामान्य अध:पतन/हेड टिल्ट के कोई लक्षण नहीं हों

5. **एक्सोट्रोपिया (Exotropia)-** अनफ़िट।

6. **एनिसोकोरिया (Anisocoria)-** यदि पुतलियों के बीच आकार का अंतर >01mm हो, तो उम्मीदवार को अनफिट समझा जाएगा।

7. **हेटिरोक्रोमिया इरिडम (Heterochromia Iridum)**.-अनफ़िट।

8. **स्फिन्कटर टीयर्स (Sphincter Tears) -** यदि पुतलियों के बीच आकार में <01mm का अंतर हो, कॉर्निया, लेंस और रेटीना में बिना किसी ज्ञात रोग के प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेज तेज़ हों तो फिट माना जाएगा।

9. **स्यूडोफाकिया (Pseudophakia)**- अनफ़िट।

10. **लेंटिकुलर ओपासिटीस (Lenticular Opacities)**- लेंटिकुलर ओपेसिटीस की वजह से कोई दृष्टिगत ह्रास, अथवा विजुवल एक्सिस में उसका होना अथवा पुतलियों के आसपास 07mm तक हो, जो ग्लेयर फिनॉमिना (glare Phenomenon) का कारण बन सकती है, को अनफ़िट माना जाना चाहिए। फिटनेस का निर्णय करते हुये आंखें फूलने की प्रवृति (opacities) जो संख्या अथवा आकार में न बढ़े, को भी ध्यान में रखना चाहिए। किनारों में स्मॉल स्टेशनरी लेंटिक्युलर ओपेसिटीज़ (small stationary lenticular opacities) जैसे जन्मजात ब्लू डॉट कैटेरेक्ट (congenital blue dot cataract) जिससे विजुवल एक्सिस/विजुवल फील्ड (visual axis/visual field) प्रभावित न होता हो, पर स्पेशलिस्ट द्वारा विचार किया जा सकता है (संख्या में 10 से कम होना चाहिए और 04mm__का सेंट्रल एरिया सुस्पष्ट होना चाहिए)।

11. **ऑप्टिक नर्व ड्रूसेन (Optic Nerve Drusen)**- अनफ़िट।

12. **हाई कप डिस्क अनुपात (High Cup Disc Ratio)** - उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी भी अवस्था के पाये जाने पर अनफिट घोषित किया जाएगा:-

(i) कप डिस्क अनुपात में आंतरिक नेत्र समरूपता >0.2 है।

(ii) ओसीटी पर आरएनएफएल विश्लेषण द्वारा रेटिनल तंत्रिका फाइबर परत दोष देखा गया।

(iii) दृष्टि क्षेत्र विश्लेषण द्वारा दृश्य क्षेत्र दोष।

13. **केराटोकोनस (Keratoconus)** –अनफ़िट।

14. **लेटिस (Lattice)**-

(क) निम्नलिखित लेटिस डिजनरेशन (lattice degenerations) होने पर उम्मीदवार को अनफ़िट समझा जाएगा:-

(i) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर्स से अधिक तक रहने वाले सिंगल सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Single cirumferential lattice)।

(ii) किसी एक या दोनों आंखों में टू सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Two circumferential lattices) जिनमें से प्रत्येक का विस्तार एक क्लॉक आवर से अधिक होता है।

(iii) रेडियल लैटिस।

(iv) एट्रोफीक होल/फ्लैप टियर्स (अनलेजर्ड) के साथ कोई लेटिस

(v) पोस्टीरियर (Posterior) से इक्वेटर (equator) तक लेटिस डिजनरेशन (Lattice degeneration)।

(ख) निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत लेटिस डिजनरेशन (lattice degeneration) के साथ उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा:-

(i) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर्स से कम होल्स के बिना सिंगल सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Single circumferential lattice)।

(ii) एक या दोनों आंखों में एक क्लॉक आवर्स से कम होल्स के बिना दो सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Two circumferential lattices)।

(iii) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर से कम, होल्स/फ्लैप टीयर के बिना पोस्ट लेजर डिलीमिटेशन सिंग्ल सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस।

(iv) लेजर डीलिमिटेशन के बाद टू सर्कमफ्रेन्शियल लेटिस (Two circumferential lattices), छेद/फ्लैप टियर के बिना, जिनमें से प्रत्येक एक या दोनों आँखों में एक क्लॉक आवर से कम का विस्तार हो।

9. ***<u>कान, नाक तथा गला</u>***

(क) **<u>कान</u>**- बार-बार कान में दर्द होना या इसका कोई पुराना इतिहास हो, टिनीटस या चक्कर आना, श्रवण बाधित, बाहरी छिद्र की बीमारी जिसमें एट्रेसिया, एक्सोस्टोसिस या नियोप्लाज़्म शामिल हैं जो ड्रम की पूर्ण जांच को रोकते हैं। टिमपेनिक झिल्ली का ठीक न हुआ छिद्र, कान का बहना, या अक्यूट या क्रोनिक सुपप्यूरेटिव ओटिटिस मीडिया के लक्षण, रेडिकल या संशोधित रेडिकल मास्टॉयड ऑपरेशन का प्रमाण।

<u>टिप्पणियाँ:-</u>

1. उम्मीदवार दोनों कानों से अलग-अलग 610 सेमी की दूरी से तेज फुसफुसाहट सुन पाता हो। सुनने के समय उसकी पीठ परीक्षक की तरफ होनी चाहिए।

2. **ऑटिटिस मीडिया (Otitis Media):** किसी भी प्रकार का मौजूदा ऑटिटिस मीडिया (Otitis Media) अस्वीकृति का कारण बनेगा। टिंपैनिक मेंब्रेन के 50% से कम पार्स टेंसा (pars tensa) को प्रभावित करने वाले टिम्पेनिक मेंब्रेन के रूप में ठीक हो चुके क्रोनिक ओटिसिस मीडिया के प्रमाण का ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और अगर प्योर टोन ऑडियोमेट्री (पीटीए) और टिम्पेनोमेट्री सामान्य हैं तो यह स्वीकार्य होगा। क्रोनिक ओटिटिस मीडिया के लिए टिम्पेनोप्लास्टी और मायरिंगोप्लास्टी/मायरिंगोटॉमी के सभी मामलों में स्थायी अस्वीकृति होगी।

(i) निम्नलिखित परिस्थितियां उम्मीदवार के अनफ़िट होने का कारण बन सकती हैं:-

(कक) रेसिडुअल परफोरेशन।

(कख) फ्री फील्ड हियरिंग (free field Hearing) और/अथवा पीटीए पर रेसीडूअल हियरिंग लॉस Residual hearing loss।

(कग) किसी अन्य प्रकार की टिमनोप्लास्टी (टाइप 1 टिमनोप्लास्टी के अलावा) या कान के मध्यवर्ती भाग की सर्जरी (जिसमें ऑसिकुलोप्लास्टी, स्टेपेडोटॉमी, कैनाल वॉल डाउन मास्टोइडेक्टोमी, एटिकोटॉमी, एटिको-एंट्रोस्टॉमी आदि शामिल हैं।)।

(कघ) इंप्लांट किया गया हियरिंग डिवाइस (जैसे कोहिलर इंप्लेंट, बोन कंडक्शन इंप्लांट, मिडिल इयर इंप्लांट आदि)।

(ख) **<u>बाहरी श्रवण नलिका की हड्डी का बढ़ना</u>** कोई भी उम्मीदवार जिसके एक्सोस्टोसिस, ऑस्टियोमा, फाइब्रस डिसप्लासिया (exostosis, osteoma, fibrous dysplasia) आदि जैसे बाहरी श्रवण नलिका में नैदानिक रूप से प्रत्यक्ष बोनी ग्रोथ पाया जाता है तो उसे अनफ़िट घोषित किया जाएगा। ओपरेशन किए गए मामलों का मूल्यांकन कम से कम 4 हफ्तों की अवधि के बाद किया जाता है। पोस्ट सर्जरी हिस्टोपैथोलॉजी (histopathology) रिपोर्ट और एचआरसीटी टेम्पोरल बोन (HRCT Temporal bone) अनिवार्य होगी। यदि हिस्टॉपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में नियोप्लासिया दर्शाया गया है या एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में आंशिक रिमुवल या गहरे विस्तार का संकेत मिलता है तो ऐसे उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ग) **<u>नाक</u>** नाक की हड्डियों या उपास्थियों का रोग, मार्क्ड नेजल एलर्जी, नेजल पोलिप्स, एट्रोफिक रायनाइटिस, एक्सेसरी साइनस के रोग तथा नैसोफैरिक्स।

सेप्टल परफोरेशन: नेज़ल सेप्टल परफोरेशन, एनटीरियर कारटिलेजिनस या पोस्टिरर बोनी परफोरेशन (Nasal septal perforation, anterior cartilaginous या posterior bony perforation) हो सकता है। कोई भी सेप्टल परफोरेशन (septal perforation) जिसका सबसे बड़ा आयाम (ग्रेटेस्ट डायमेंशन) 01 सेमी से अधिक है, अस्वीकृति का कारण है। एक सेप्टल परफोरेशन (septal perforation) जो चाहे किसी भी आकार का हो, नेज़ल डिफॉरमिटी, नेज़ल क्रस्टिंग एपिसटैक्सिस (nasal deformity, nasal crusting epistaxis) और ग्रेनुलेशन (granulation) से संबंधित हो, अस्वीकृति का कारण है।

(i) **<u>नेसल पोलिपोसिस (Nasal polyposis)</u>** इसे क्रोनिक राइनोसिनसाइटिस के साथ पॉलीपोसिस (CRSWNP) के नाम से भी जाना जाता है। नेज़ल पोलिपोसिस ज़्यादातर एलर्जी, अस्थमा एनएसएआईडी (NSAID) के प्रति संवेदनशीलता और संक्रमण अर्थात् बैक्टीरियल और फंगल से संबद्ध है। इनमें से अधिकांश रोगियों में रोग के दुबारा होने की संभावना अधिक होती है और नेज़ल/ऑरल सेटेरॉयड के साथ दीर्घकालिक प्रबंधन की आश्यकता होती है और प्रतिकूल मौसम और तापमान वाली परिस्थितियों के लिए ये अनफ़िट हैं। किसी भी व्यक्ति में जांच के दौरान यदि नेज़ल पोलिपोसिस पाया जाता है या कभी भी नेज़ल पोलिपोसिस (nasal polyposis) के लिए उनकी सर्जरी हुई हो तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

(घ) ***गला*** - थ्रोट पैलेट, जीभ, टॉन्सिल, मसूड़े के रोग तथा जबड़े के जोड़ों के सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाला रोग या चोट।

नोट:- टोंसिलाइटिस के दौरों से जुड़ी पुरानी समस्याओं के बिना टॉन्सिल का सामान्य रूप से बढ़ना (Hypertrophy) स्वीकार्य है।

(ङ) ***लैरिंग्स के रोग तथा बोलने में कठिनाई*** - आवाज समान्य होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हकलाने वाले उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. ***दांतों की स्थिति:-*** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठीक ढंग से चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक और स्वस्थ दांत मौजूद हों।

(क) एक उम्मीदवार के 14 डेंटल प्वाइंट्स (Points) होने चाहिएं ताकि उस व्यक्ति के दांतों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। 14 से कम डेंटल प्वाइंटस अस्वीकृति का कारण हैं। दूसरे जबड़े में तदनुरूपी दांतों के साथ अच्छी अवस्था वाले दांतों के प्वाइंट निम्नानुसार हैं:-

(i) सेंट्रल इनसीजर (incisor), लेटरल इनसाइजर, केनाइन, प्रथम प्रीमोलर, द्वितीय प्रीमोलर के साथ अल्प विकसित (under developed) तृतीय मोलर प्रत्येक के लिए 1 प्वाइंट ।

(ii) प्रथम मोलर, द्वितीय मोलर तथा पूरी तरह विकसित तृतीय मोलर प्रत्येक के लिए दो प्वाइंट होंगे।

(iii) जब सभी 32 दांत मौजूद हों तो कुल 22 या 20 प्वाइंट होंगे जो इस बात पर निर्भर होगा कि तीसरे मोलर विकसित हैं या नहीं।

(ख) प्रत्येक जबड़े में सही ढंग से काम करने वाले निम्नलिखित दांत होने चाहिएं।

(i) 6 एंटेरियर में से कोई 4

(ii) 10 पोस्टेरियर में कोई 6

ये सभी दांत स्वस्थ/दुरुस्त करने योग्य होने चाहिए।

(ग) गंभीर रूप से पायरिया ग्रस्त उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि दंत चिकित्सा अधिकारी की राय में पायरिया को बिना दांत निकाले ही ठीक किया जा सकता है तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा। मेडिकल/डेंटल अधिकारी प्रभावित दांत के संबंध में चिकित्सकीय दस्तावेज़ में टिप्पणी लिखेंगे।

(घ) डेंटल प्वाइंट की गिनती करते समय कृत्रिम दांतों को शामिल नहीं किया जाएगा।

11. ***गर्दन-***

(क) बढ़े हुए ग्लैंड, ट्यूबरक्यूलर या गर्दन अथवा शरीर के अन्य भाग में अन्य रोगों के कारण।

<u>टिप्पणी:</u>- ट्यूबरक्यूलर ग्लैंड को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन के कारण आए निशानों के कारण उम्मीदवारी समाप्त नहीं की जाएगी बशर्ते पिछले पांच वर्षों में कोई सक्रिय रोग न हो तथा छाती नैदानिक (Clinically) दृष्टि से तथा रेडियोलॉजी के अनुसार दोषरहित हो।

(ख) थायराइड ग्लैंड के रोग।

(ग) <u>**छाती**</u> अस्वीकृति के मानदंड निम्नलिखित है:-

(कक) छाती की विकृति, जन्मजात या जन्म के बाद।

(कख) 5 सेंमी से कम विस्तार।

(कग) पुरुषों में सुस्पष्ट रूप से बायलेटरल/यूनिलेटरल गाइनेकोमास्टिया (bilateral/unilateral gynaecomastia)। उम्मीदवारों को 12 हफ्तों के पश्चात् ऑपरेशन के बाद फिट माना जाएगा, यदि:

(कघ) सर्जिकल घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है और कोई अन्य बीमारी नहीं है।

(कड) सर्जरी के बाद कोई समस्या नहीं है।

(कच) सर्जिकल निशान पूरी तरह से ठीक होने चाहिए और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या पैदा होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

(कछ) सामान्य शारीरिक जांच सामान्य है।

(कज) एंड्रोकाइन वर्कअप सामान्य है।

12. ***<u>त्वचा तथा यौन संचारित संक्रमण (एस टी आई)</u>***

(क) त्वचा रोग जब तक अस्थायी या मामूली न हो।

(ख) ऐसे निशान जो अपने आकार या अपनी सीमा के कारण दिव्यांगता/ या चिह्नित विकृति का कारण बनते हैं या होने की संभावना रखते हैं।

(ग) हाइपरहाइड्रोसिस- पामर, प्लांटर या एक्सीलेरी।

(घ) जन्मजात, सक्रिय या गुप्त, यौन-संचारित रोग (Sexually transmitted disease)।

नोटः- ऊसन्धि (ग्रोइन) या पुरुष जननांग/स्त्री जननांग पर पुराने ठीक हो चुके निशान जो पिछले एसटीआई का संकेत देते हैं, होने की स्थिति में गुप्त यौन संचारित रोग का पता लगाने के लिए एसटीआई (एचआईवी सहित) के लिए रक्त की जांच की जाएगी।

13. ***श्वसन तंत्र***

(क) पुरानी खांसी या ब्रोन्कियल अस्थमा संबंधी पुराने मामले।

(ख) फेफड़े के क्षयरोग का प्रमाण।

(ग) छाती की रेडियोलॉजिकल जांच किए जाने पर ब्रांकाई, फेफड़े या फुफ्फुस आवरणों (Pleurae) जैसी बीमारियों के प्रमाण पाए जाने की स्थिति में उम्मीदवार अयोग्य होंगे।

नोटः- छाती की एक्स-रे जांच निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाएगी:-

(i) सेवा में एक कैडेट के रूप में प्रवेश या सीधे प्रवेश पर।

(ii) शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के मामले में स्थायी कमीशन प्रदान करते समय।

14. ***हृदय तंत्र हृदय-वाहिका तंत्र (कार्डियो-वस्कुलर सिस्टम)***

(क) हृदय या धमनियों का कार्यात्मक या जैविक रोग, वक्ष परीक्षण (ओसकल्टेशन) में सरसराहट (murmurs) या क्लिक की उपस्थिति।

(ख) क्षिपहृदयता (Tachycardia) (विश्रामावस्था में नाड़ी की गति दर लगातार 96 प्रति मिनट से अधिक रहना), मंदनाड़ी (bradycardia) (विश्रामावस्था में नाड़ी की गति दर लगातार 40 प्रति मिनट से कम रहना), परिधीय नाड़ी की कोई भी असामान्यता।

(ग) **रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)** उम्मीदवार जिनका रक्त दाब लगातार 140/90mm Hg से अधिक होता है, उन्हें अस्वीकार किया जाएगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन (White coat hypertension) और परसिसटेंट हाइपरटेंशन (persistent hypertension) के बीच के अंतर को देखने हेतु 24 घंटे की एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) (24h ABPM) से होकर गुजरना होता है। जहां भी संभव हो, उम्मीदवारों को एएमबी में एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का 24h ABPM सामान्य है और कोई टार्गेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, को हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन के बाद फिट माना जा सकता है।

(घ) **इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी)**- एसएमबी में देखी गई कोई ईसीजी असामान्यता अस्वीकृति का आधार होगी। ऐसे उम्मीदवारों की जांच एएमबी के दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा संरचनात्मक असामान्यता होने पर इकोकार्डियोग्राफी की मदद से की जाएगी और आवश्यक होने पर स्ट्रैस (तनाव) टेस्ट भी करवाया जा सकता है। अपूर्ण RBBB, इंफीरियर लीड्स में T वेव इंवर्शन, V1-V3 में T इंवर्शन (पर्सिस्टेंट जुवेनाइल पैटर्न), वोल्टेज़ क्राइटेरिया (थिन चेस्ट बॉल के कारण) द्वारा LVH जैसी हल्की ईसीजी असामान्यता बिना किसी संरचनात्मक रोग के विद्यमान

हो सकती हैं। ऐसे सभी मामलों में इकोकार्डियोग्राफी की जानी चाहिए ताकि छिपे हुए संरचनात्मक हृदय रोग की संभावना को खारिज किया जा सके तथा सीनियर एडवाइज़र (मेडिसन)/कार्डियोलोजिस्ट की सलाह ली जानी चाहिए। यदि इकोकार्डियोग्राफी तथा स्ट्रैस टेस्ट (यदि डॉक्टर द्वारा निदेशित हो) सामान्य हैं तो उम्मीदवार को फिट घोषित कर दिया जाएगा।

15. *उदर (एब्डोमन)*

(क) गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट संबंधी किसी रोग का प्रमाण, लिवर, पित्ताशय या तिल्ली में वृद्धि, पेट को छूने पर अहजता या दर्द, पेप्टिक अल्सर का पूर्व विवरण/प्रमाण या बड़ी उदर शल्य चिकित्सा का पूर्व विवरण। अधिकारी स्तर पर प्रवेश करने वाले सभी उम्मीदवारों को आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की असामान्यता का पता लगाने के लिए उदर तथा पेलविक अंगों की अल्ट्रासाउंड जांच करवानी होगी।

(ख) किसी भी प्रकृति के हाइपरबिलिरूबिनमिया के कारण अनफिट माना जाएगा, सिवाय असंयुग्मित हाइपर बिलिरूबिनमिया के, जहां आनुवंशिक अध्ययन गिल्बर्ट सिंड्रोम को एटीऑलॉजिकल कारक के रूप में पुष्टि करते हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है :-

(i) कुल सीरम बिलीरुबिन < 3mg/dl, सामान्य ट्रांसएमिनेस, PT/INR और एल्ब्यूमिन के साथ असंयुग्मित हाइपरबिलिरुबिनेमिया।

(ii) एचबीएस एजी और एंटी एचसीए नेगेटिव होना चाहिए।

(iii) पीबीएस, रेटिकुलोसाइट गणना, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज स्तर, (एलडीएच), विट बी 12 और एचबी एलेक्टोफ़ोरोसिस पर कोई असामान्यता नहीं होनी चाहिए।

(iv) यकृत की सामान्य अल्ट्रासोनोग्राफी और फाइब्रोस्कैन।

(v) UGT1A1 जीन के आनुवंशिक विश्लेषण द्वारा गिल्बर्ट सिंड्रोम का निदान।

(ग) <u>ऑपरेशन पश्चात् मूल्यांकन</u>- सामान्य परिस्थितियों में फिटनेस के मूल्यांकन के लिए ऑपरेशन के बाद की अवधि :-

(i) **<u>हर्निया</u>**- जिनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो उन्हें फिट घोषित किया जा सकता है (बशर्ते):-

(कक) एनटेरियर एब्डौमिनल वॉल हर्निया के ऑपरेशन के 24 सप्ताह गुजर चुके हों। उम्मीदवार को इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(कख) पेट की मासपेशियों (एब्डौमिनल मसक्यूलेचर) का सामान्य टोन उत्तम होनी चाहिए।

(कग) हर्निया की कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन से जुड़ी कोई जटिलता नहीं हुई हो।

(ii) **<u>अन्य दशाएं-</u>** जिनका निम्नलिखित कारणों से ऑपरेशन हुआ हो उन्हें फिट घोषित किया जा सकता है, बशर्ते-

(कक) ओपन कॉलिसिसटेक्टॉमी 24 सप्ताह (इनसीजिनल हर्निया न होने के मामले में)।

(कख) लैप्रोस्क्रोपिक कॉलिसिसटेक्टॉमी 08 सप्ताह (सामान्य एलएफटी), सामान्य हिस्टोपैथोलॉजी)।

(कग) अपेंडिसेक्टोमी (Appendicectomy)।

(i)**लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन न्यूनतम 04 सप्ताह की अवधि के बाद पोस्ट ओपरेटिव फ़िटनेस के लिए किया जाएगा। उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा यदि:-

(कक) ऑपरेशन के बाद निशान अच्छे से ठीक हो गए हैं।

(कख) निशान भर गए हैं।

(कग) एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध है।

(कघ) यूएसजी द्वारा पोर्ट साइट इंसीजनल हर्निया की अनुपस्थिति की पुष्टि।

(ii) न्यूनतम **12 सप्ताह** की अवधि के बाद पोस्ट ऑप फिटनेस के लिए **मसल्स स्प्लिट अप्रोच के साथ ओपन एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट माना जाएगा यदि:-

(कक) घाव अच्छे से ठीक हो गया है।

(कख) निशान भर गए हैं और दर्द/असहजता नहीं है।

(कग) एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध है।

(कघ) सर्जिकल साइट इंसीजनल हर्निया ना होने के संबंध में यूएसजी द्वारा पुष्टि।

(iii) न्यूनतम **06 महीने** की अवधि के बाद पोस्ट ऑप फिटनेस के लिए **मसल्स कट अप्रोच के साथ ओपन एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट माना जाएगा यदि:-

(कक) घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है।

(कख) निशान भर गए और दर्दरहित। एपेंडिसाइटिस मौजूद है।

(कग) एक्यूट की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट।

(कघ) सर्जिकल साइट इंसीजनल हर्निया ना होने के संबंध में यूएसजी द्वारा पुष्टि।

(कघ) <u>पायलोनीडल साइनस</u> (Pilonidal sinus) 12 सप्ताह

(कच) <u>फिस्ट्यूला-इन-एनो, गुदा विदर तथा ग्रेड-IV बवासीर</u>। संतोषजनक उपचार तथा रिकवरी के साथ ऑपरेशन के बाद 12 सप्ताह।

(कछ) **<u>हाईड्रोसील तथा वैरीकोसील</u>** ऑपरेशन के 8 सप्ताह के बाद संतोषजनक उपचार तथा रिकवरी सहित।

(कज) **यूराकल सिस्ट**: संतोषजनक उपचार और किसी भी अंतिमांश की अनुपस्थिति सहित 08 सप्ताह पश्चात्।

(कझ) गुदा में भगन्दर (फिस्ट्यूला), गुदा विदर (फिशर) और बवासीर (हैमरॉयड), जब तक कि संतोषजनक उपचार न किया गया हो।

(घ) **<u>यकृत (हेपैटिक) कैल्सीफिकेशन</u>**..

(i) फिट:-

(i) एकल कैल्शिफिकेशन ≤ 3 सेमी या एकाधिक पिन पॉइंट या छोटे कैल्शिफिकेशन, जिनकी संख्या 5 तक हो और जिनमें यकृत के 2 से अधिक

सन्निहित खण्ड शामिल न हों। जिसका क्लस्टर और कुल व्यास 3 सेमी से अधिक न हो, जिसमें कोई लक्षण (दर्द, बुखार, वजन में कमी) न हो।

(ii) टीबी, परजीवी संक्रमण या दीर्घकालिक यकृत रोग का कोई पिछला मामला /लक्षण न हो।

(iii) कोई अन्य अंग शामिल न हो (अर्थात, फेफड़े/प्लीहा का कैल्सीफिकेशन)।

(iv) सौम्य (बिनाइन) इमेजिंग विशेषताएँ (सपाट, स्पष्ट, कोई पिंड न हो)।

(v) सामान्य सीरम कैल्शियम, एएफपी, सीरम कैल्शियम, आईजीआरए और हाइड्रेटेड सीरोलॉजी और चिकित्सक के विवेकानुसार चिकित्सकीय रूप से कोई अन्य प्रासंगिक परीक्षण।

(ii) अनफ़िट:-

(i) एकल आकार > 3 सेमी.।

(ii) बहु कैल्सीफिकेशन या क्लस्टर आकार > 3 सेमी.।

(iii) किसी पिंड (मास) के भीतर कैल्सीफिकेशन (अनियमित, बढ़ता हुआ, या परिगलित रूप में)।

(iv) वॉल /डॉटर क्रिस्ट कैल्सीफिकेशन के साथ सक्रिय सिस्टिक घाव (पॉज़िटिव हाइडैटिड सीरोलॉजी सहित)।

(v) संबंधित निष्कर्षों (जैसे, यकृत फोड़ा, पित्त अवरोध, वैस्कूलर एन्युरिजम)।

(vi) सक्रिय टीबी/फंगल संक्रमण (जैसे, फेफड़े/तिल्ली कैल्सीफिकेशन + लक्षण)।

(vii) असामान्य सीरम कैल्शियम स्तर।

(viii) चिकित्सक के विवेकानुसार प्रत्येक मामले के आधार पर किए जाने वाले प्रासंगिक प्रयोगशाला परीक्षण।

(ङ) **<u>हेपेटिक हेमेंगीओमा</u>**

(i) फिट :-

(कक) यकृत में एकल हेमेंगीओमा, आकार में ≤ 2.5 सेमी तक, साथ ही यकृत का सामान्य इकोटेक्सचर और पीटी/आईएनआर, प्लेटलेट्स, अल्फा फीटो प्रोटीन और चुनिंदा मामलों में पीआईवीकेए या डीसीपी के सामान्य मान।

(ii) अनफ़िट :-

(कक) 2.5 सेमी से अधिक हेमेंगीओमा ।

(कख) एकाधिक हेमेंगीओमा ।

(कग) किसी भी आकार का असामान्य हेमेंगीओमा (सीटी स्कैन पर रेडियोलॉजिकल निदान)।

(कघ) किसी भी आकार या संख्या का सबकैप्सुलर हेमेंगीओमा ।

(कड) स्प्लीन (प्लीहा) में किसी भी आकार या संख्या का हेमेंगीओमा ।

(च) **<u>प्लीहा (स्प्लेनिक) कैल्सीफिकेशन और एसओएल</u>**

(i) फिट:-

(कक) एकल कैल्सीफिकेशन ≤ 2 सेमी या एकाधिक, कुल आकार 2 सेमी से अधिक न हो और कोई लक्षण (दर्द, बुखार, वजन घटना) न हो।

(कख) टीबी, परजीवी संक्रमण, या पुरानी यकृत रोग का कोई पिछला मामला/लक्षण न हो।

(कग) कोई अन्य अंग प्रभावित न हो (जैसे, फेफड़े/ स्प्लीन (तिल्ली) कैल्सीफिकेशन)।

(कघ) सौम्य (बिनाइन) इमेजिंग विशेषताएँ (सपाट, स्पष्ट, कोई पिंड न हो)।

(कड) सामान्य आईजीआरए, एचबी इलेक्ट्रोफोरिसिस, वास्कुलिटिक परीक्षण और हाइडैटिड सीरोलॉजी और चिकित्सक के विवेकानुसार चिकित्सकीय रूप से कोई अन्य प्रासंगिक परीक्षण।

(ii) अनफ़िट:-

(कक) एकल आकार > 2 सेमी.।

(कख) बहु कैल्सीफिकेशन या क्लस्टर आकार > 2 सेमी.।

(कग) किसी पिंड (मास) के भीतर कैल्सीफिकेशन (अनियमित, बढ़ता हुआ, या परिगलित रूप में)।

(कघ) वॉल/ डॉटर क्रिस्ट कैल्सीफिकेशन के साथ सक्रिय सिस्टिक घाव (पॉज़िटिव हाइडैटिड सीरोलॉजी सहित)।

(कड) संबंधित निष्कर्ष (जैसे, स्प्लेनिक (प्लीहा) फोड़ा, पित्त अवरोध, वैस्कूलर एन्युरिजम)।

(कच) सक्रिय टीबी/फंगल संक्रमण।

(कछ) चिकित्सक के विवेकानुसार प्रत्येक मामले के आधार पर किए जाने वाले प्रासंगिक प्रयोगशाला परीक्षण।

(छ) <u>गॉल ब्लैडर की एजेनेसिस</u> - बाइलेरी ट्रैक्ट की अन्य किसी असामान्यता की अनुपस्थिति में उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों के लिए एमआरसीपी की जाएगी।

16. ***<u>मूत्र-तंत्र (जेनिटो-न्यूरिनरी सिस्टम)</u>***

(क) जननांगों संबंधी रोग का कोई प्रमाण।

(ख) द्विपक्षीय अनवतीर्ण वृषण (बाइलाटरल अंडीसेंडेड टेस्टीस),एकपक्षीय अनवातीर्ण (यूनीलाटरल अनडिसेंडड टेसटिस), वृषण का वंक्षण नली में (इनग्वनाल केनाल) में या बाह्य उदर (अब्डोमिनल) वलय में होना, जब तक कि ऑपरेशन से सही न किया जाए।

<u>नोट:-</u> एक वृषण (टेस्टिस) की अनुपस्थिति तब तक अस्वीकृति का कारण नहीं है जब तक कि किसी रोग के कारण वृषण (टेस्टिस) को निकाल न दिया गया हो या इसकी अनुपस्थिति उम्मीदवार के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हो।

(ग) किडनी या मूत्रमार्ग (यूरेथ्रा) का रोग या इसकी बनावट में विकार।

(घ) मूत्र या रात्रि की शय्या मूत्रण असंयतता।

(च) मूत्र की जांच में एल्बुमिनुरिया या ग्लाइकोसुरिया सहित कोई असामान्यता।

(छ) अस्वीकृति के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं:

(i) रीनल कैलकूली। आकार, संख्या, अवरोधक या गैर अवरोधक होने पर ध्यान दिए बिना। रीनल कैलकुली का पुराना मामला (पुराना मामला अथवा रेडियोलोजिकल लक्षण) होने पर उम्मीदवार को अनफ़िट घोषित कर दिया जाएगा।

(ii) कैलीएक्डेसिस

(iii) ब्लैडर डायवर्टीकुलम

(iv) सामान्य रीनल सिस्ट > 1.5 सेमी

17. ***केन्द्रीय स्नायु तंत्र***

(क) केन्द्रीय स्नायुतंत्र का जैविक रोग।

(ख) स्पंदन (Tremors)

(ग) दौरा (मिरगी) तथा सिर दर्द/माइग्रेन का बार-बार दौरा पड़ने वाले उम्मीदवार स्वीकार्य नहीं होंगे।

18. ***मानसिक विकार -*** उम्मीदवार अथवा उसके परिवार में मानसिक रोग या तंत्रिका संबंधी अस्थिरता (नरवस इनस्टेबिलिटी) का पुराना इतिहास या प्रमाण।

19. **<u>लैब जांच (हेमेटॉलॉजी)</u>**

(क) **<u>पॉलीसिथेमिया-</u>** पुरुषों में 16.5 g/dl से अधिक तथा महिलाओं में 16 g/dl से अधिक हीमोग्लोबिन रहने पर पॉलीसिथेमिया माना जाएगा तथा अनफ़िट घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) **<u>मोनोसाइटोसिस-</u>** 1000/cu mm से अधिक ऐबसोल्यूट मोनोसाइट काउंट्स या कुल डबल्यूबीसी काउंट 10% से अधिक या बराबर रहने पर उम्मीदवार को अनफ़िट मान लिया जाएगा।

(ग) **<u>इओसिनोफिलिया-</u>** 500/cu mm से अधिक या बराबर ऐबसोल्यूट इओसिनोफिल काउंट्स रहने पर उम्मीदवार को अनफ़िट माना जाएगा।

20. **<u>महिला उम्मीदवार</u>** उन्हें गर्भवती नहीं होना चाहिए और उन्हें प्राथमिक या सेकेंडरी एमेनोरिया / डिसमेनोरिया / मेनोरेजिया आदि जैसे स्त्रीरोग संबंधी विकारों से भी मुक्त होना चाहिए। सभी महिला उम्मीदवारों को आंतरिक अंगों की किसी भी असामान्यता का पता लगाने के लिए पेट और श्रोणि अंगों की अल्ट्रा साउंड जांच से गुजरना होगा।

21. **<u>प्रवेश (एंट्री) पर स्वीकार्य दोष</u> -** नौसेना के लिए निम्नलिखित मामूली दोषों के साथ उम्मीदवारों को स्वीकार किया जा सकता है। तथापि प्रवेश के दौरान इन दोषों को चिकित्सकीय फॉर्म में नोट किया जाना चाहिए।

(क) आंतरिक मैलेओली (Malleoli) में 5 सेंमी से कम विच्छेद वाले नॉक नीज (knock knees)।

(ख) पैरों की हल्की वक्रता जो चलने या दौड़ने को प्रभावित नहीं करती है, इंटरकॉन्डाइलर दूरी 7 सेंमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) हल्का हकलाना जो अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करता हो।

(घ) वैरिकोसिल (varicocele) की हल्की डिग्री।

(च) वैरिकोज़ नसों (varicose veins) की हल्की डिग्री।

नोट:- जहां कहीं भी आवश्यक हो उपचारात्मक ऑपरेशन प्रवेश (एंट्री) से पहले करवा लिए जाए। अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के संबंध में निश्चित रूप से कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है और एक उम्मीदवार को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि एक ऑपरेशन वांछनीय है या अनिवार्य इसका निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहकार द्वारा किया जाना है। ऑपरेशन के परिणाम अथवा किए गए किसी भी खर्च के संबंध में सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

(ज) इसके अतिरिक्त कोई अन्य मामूली दोष जो कोई कार्यात्मक दिव्यांगता पैदा नहीं करता है और जो चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड की राय में एक अधिकारी के रूप में उम्मीदवार की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

अनुबंध 'ग'

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (वायु सेना) के लिए चिकित्सा मानक
(उड़ान (फ्लाइंग) और ग्राउंड ड्यूटी शाखाएं)

सामान्य अनुदेश

1. इस खंड में एनडीए के माध्यम से भारतीय वायु सेना की उड़ान (फ्लाइंग) और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कमीशन प्रदान किए जाने के लिए उम्मीदवारों का शारीरिक मूल्यांकन करने के लिए मानकीकृत दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन एक समान शारीरिक मानकों को निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार स्वास्थ्य संबंधी वैसी स्थितियों से मुक्त हैं जो संबंधित शाखा में उनके कार्य-निष्पादन को बाधित या सीमित कर सकते हैं। इस खण्ड में वर्णित दिशानिर्देश नैदानिक परीक्षण के मानक तौर-तरीकों के साथ लागू किए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

2. सभी उम्मीदवारों को अपने प्रवेश के दौरान बुनियादी शारीरिक फिटनेस मानक स्तर पूरे करने चाहिए जो उन्हें योग्यता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने और बाद में अलग-अलग तरह की जलवायु परिस्थितियों और कार्य परिवेशों में सेवा करने में समर्थ बनाएगा। एक उम्मीदवार तब तक शारीरिक रूप से फिट मूल्यांकित नहीं किया जाएगा/जाएगी जब तक कि संपूर्ण परीक्षण यह नहीं दिखाता कि वह लंबी अवधि तक कठोर शीरीरिक और मानसिक दबाव सहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम है। चिकित्सा फिटनेस की अपेक्षाएं अनिवार्य रूप से सभी शाखाओं के लिए समान हैं, सिवाय उन वायुकर्मीदलों के जिनके लिए पैनी नज़र एंथ्रोपोमीट्री और कुछ अन्य शारीरिक मानक स्तर के पैरामीटर और अधिक सख्त हैं।

3. उल्लिखित चिकित्सा मानक प्रारंभिक प्रवेश चिकित्सा मानकों से संबंधित हैं। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा फिटनेस की निरंतरता का मूल्यांकन कमीशनिंग से पहले एनडीए/एएफए में आयोजित चिकित्सा परीक्षाओं की अवधि के दौरान किया जाएगा। बीमारियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को देखते हुए वे संपूर्ण नहीं हैं। ये मानक वैज्ञानिक ज्ञान में उन्नति और सशस्त्र बलों की कार्य स्थितियों में बदलाव के साथ परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

4. **विशेष चिकित्सा बोर्ड के लिए प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल जांच**

(क) **हेमेटॉलॉजी**: पूर्ण हिमोग्राम (ह्यूमोग्लोबिन आकलन, डिफ्रेन्शियल ल्यूकोसाइट काउंट के साथ कुल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट)।

(ख) कमीशन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा ताकि हीमोग्लोबिनोपैथी वाले उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके।

(ग) **जैव-रसायन**: लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी), रीनल फंक्शन टेस्ट (आरएफटी), रक्त ग्लूकोज आकलन (फास्टिंग तथा 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज/ 82.5 ग्राम ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट लोडिंग के दो घंटे बाद), लिपिड प्रोफाइल।

(घ) यूरीन रुटीन एग्जामिनेशन (आरई) और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन (एमई)।

(च) ईसीजी

(छ) रेडियोलॉजी:-

(i) सभी उम्मीदवारों में रेडियोग्राफ़ चेस्ट पीए व्यू।

(ii) रेडियोग्राफ लिम्बोसैक्रल स्पाइन: सभी उम्मीदवारों में एपी और लेटरल व्यू।

(iii) उपरोक्त रेडियोग्राफ के अतिरिक्त, **उड़ान ड्यूटी** के लिए मूल्यांकन किए जा रहे सभी उम्मीदवारों में ग्रीवा रीढ़ (सर्वाइकल स्पाइन) - एपी और पार्श्व व्यू (Lateral view), पृष्ठीय रीढ़ (डोर्सल स्पाइन) - एपी और पार्श्व व्यू (Lateral view) भी किए जाएंगे।

(iv) यूएसजी पेट (Abdomen) और पेडू (Pelvis)।

(v) यदि कोई अन्य अतिरिक्त जांच आवश्यक समझी जाएगी तो वह अपील चरण के दौरान की जाएगी।

<u>सामान्य शारीरिक मूल्यांकन</u>

5. वायु सेना के लिए फिट होने हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को अगले पैराग्राफ में निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड स्वीकार्य सीमा के भीतर और समानुपातिक होने चाहिए।

6. पुराने फ्रैक्चरों/चोटों के बाद के असर का मूल्यांकन किया जाएगा कि वे कार्य-निष्पादन को किसी प्रकार बाधित तो नहीं करता। यदि कार्य-निष्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता तो उम्मीदवार को फिट मूल्यांकित किया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए:-

(क) <u>रीढ़ की चोट</u> - रीढ़ के पुराने फ्रैक्चर वाले उम्मीदवार अनफिट हैं। रीढ़ में आई कोई विकृति अथवा किसी कशेरूका (वर्टेब्रा) का दबा होना उम्मीदवार को अस्वीकृत किए जाने का एक कारण होगा।

(ख) <u>नस की चोट</u> - अधिक बड़ी नसों के स्कंध में आई चोट जिससे कार्य-निष्पादन में कमी आती हो अथवा न्यूरोमा (गांठ) बनना जिससे दर्द, अधिक भनभनाहट होती हो, उड़ान ड्यूटी में नियोजित किए जाने के लिए अनुपयुक्त होने के कारण होंगे।

(ग) <u>केलॉइड</u> - बड़े या एक से अधिक केलॉइड होने का मामला उम्मीदवार को अस्वीकृत किए जाने का कारण होगा।

(घ) <u>शल्य क्रिया के निशान</u> मामूली और अच्छी तरह भर चुके निशान जैसे कि किसी सतही शल्य क्रिया से बने निशान नियोजन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण नहीं हैं। हाथ-पैर या धड़ पर घाव के बहुत बड़े निशान जिससे कार्य-निष्पादन में बाधा आ सकती हो अथवा जो भद्दे दिखते हों वे अनफिट माने जाने का कारण होंगे।

(च) <u>जन्मजात निशान</u> हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में असामान्य पिगमेंटेशन (झाइयां) स्वीकार्य नहीं है। तथापि स्थानिक जन्मजात तिल/नेवस स्वीकार्य है बशर्ते इसका आकार 10 से.मी. से छोटा हो। जन्मजात एकाधिक तिल (नेवस) या वाहिकीय रसौली (वैस्कुलर ट्यूमर) जिससे काम-काज में बाधा आती हो या जिसमें लगातार जलन होती हो, स्वीकार्य नहीं है।

(छ) <u>त्वचा के नीचे सूजन</u> लिपोमा को तब तक फिट माना जाएगा जब तक कि लिपोमा आकार/अवस्थिति के कारण कोई बड़ी विकृति /कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न न कर रही हो। न्यूरोफाइब्रोमा, यदि एक हो, तो उसे फिट माना जाएगा। बड़े कैफ़े–ऑ-ले धब्बों (*Caf'e-au-lait* spots) (1.5 से.मी. आकार से बड़े या संख्या में एक से ज्यादा) से जुड़े एकाधिक न्यूरोफ्राइब्रोमा के मामले में अनफिट माना जाएगा।

(ज) <u>सर्वाइकल रिब</u> किसी न्यूरो-वैस्कुलर समस्या से रहित सर्वाइकल रिब स्वीकार्य होगी। ऐसे मामलों में कोई न्यूरो-वैस्कुलर समस्या की आशंका दूर करने के लिए बारीकी से नैदानिक परीक्षण किया जाना चाहिए। इसे चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाना चाहिए।

(झ) <u>क्रानियो-फेशियल विकृति -</u> चेहरे और सिर की विषमता या खोपड़ी, चेहरे या जबड़े की ठीक न कराई गई विकृतियां, जिनसे ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट या सैन्य हेडगियर सही तरीके से पहन पाने में समस्या होगी, अनफिट होने का कारण मानी जाएंगी। ठीक करने के लिए कराई शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद भी रह गई गंभीर विकृतियों को अनफिट होने का कारण माना जाएगा।

(ट) <u>ऑपरेशनों से संबंधित पूर्व विवरण</u> ऐसा उम्मीदवार, जिसके उदर (पेट) का ऑपरेशन हुआ हो, जिसमें बड़ी शल्य-क्रिया (सर्जरी) की गई हो अथवा कोई अंग अंशतः/ पूरा निकाल दिया गया हो, नियमतः, सेवा के लिए अनफिट है। खोपड़ी (क्रानियल वॉल्ट) से जुड़ा ऑपरेशन, जिससे हड्डी का कोई दोष रह गया हो, अनफिट होने का कारण होगा। छाती के बड़े ऑपरेशन हुए होने पर उम्मीदवार अनफिट होगा।

<u>माप और शारीरिक गठन</u>

7. <u>छाती का आकार और परिमाप</u>- छाती भली-भांति विकसित और समानुपातिक होनी चाहिए। छाती की कोई भी विकृति, जिससे प्रशिक्षण और सैन्य ड्यूटी के निष्पादन के दौरान शारीरिक परिश्रम में दिक्कत आने की आशंका हो अथवा जो सैन्य प्रभाव धारण करने में प्रतिकूल असर डालती हो अथवा किसी कार्डियो-पल्मोनरी या मस्कुलोस्केलेटल विसंगति से जुड़ी हो, अनफिट होने का कारण मानी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए छाती की परिधि का अनुशंसित न्यूनतम परिमाप 77 से.मी. है। सभी उम्मीदवारों के लिए छाती फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 05 से.मी. होना चाहिए। अभिलेख में दर्ज करने के प्रयोजनार्थ 0.5 से.मी. से कम कोई भी दशमलव अंश अनदेखा किया जाएगा, 0.5 से.मी. को उसी रूप में दर्ज किया जाएगा और 0.6 से.मी. तथा इससे अधिक को 01 से.मी. के रूप में दर्ज किया जाएगा।

8. <u>कद</u>

(क) **<u>ग्राउंड ड्यूटी शाखा-</u>** ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम कद इस प्रकार है-

(i) पुरूष - 157 सें.मी.

(ii) महिलाएं – 152 सें.मी.

<u>नोट 1</u>– लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य कद 2 से.मी. घटाया जा सकता है (पुरूषों के लिए 155 से. मी. और महिलाओं के लिए 150 से. मी.)। गोरखाओं और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य कद 5 से.मी. कम (पुरूषों के लिए 152 से. मी. और महिलाओं के लिए 147 से. मी) होगा।

<u>नोट 2</u>– पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के उम्मीदवारों में, गोरखा, कुमाउंनी, गढ़वाली, असमिया तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल हैं।

(ख) **<u>उड़ान ड्यूटी शाखाएं-</u>** उड़ान ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम कद (पुरूष एवं महिला दोनों के लिए) निम्नानुसार होगा:-

(i) पायलट, उड़ान परीक्षण इंजीनियर (एफटीई) तथा एसयू 30 एमकेआई के डब्ल्यू एस ओ के लिए –162 सें.मी.

(ii) एफ (पी), एफटीई ड्यूटी और एसयू 30 एमकेआई के डब्ल्यूएसओ को छोड़कर ऐसे अफसर और एयरमेन जो वायुकर्मीदल (एयरक्रू) ड्यूटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, के लिए-**157 से.मी**।

9. <u>पुरुष उम्मीदवारों के लिए कद, बैठे होने पर लंबाई, टांग की लंबाई और जांघ की लंबाई-</u> उड़ान शाखा के लिए न्यूनतम कद 162.5 से.मी होगा। ऐसे वायुकर्मीदल (एयरक्रू) के लिए टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई और बैठे होने पर स्वीकार्य माप के अनुसार लंबाई इस प्रकार होगी :-

(क) **बैठे होने पर लंबाई**	न्यूनतम	- 81.5 से.मी.
	अधिकतम	- 96.0 से.मी.
(ख) **टांग की लंबाई**	न्यूनतम	- 99.0 से.मी.
	अधिकतम	- 120.0 से.मी.
(ग) **जांघ की लंबाई**	अधिकतम	- 64.0 से.मी.

10. <u>शरीर के वजन के मानक</u>

(क) उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य वजन सीमा इस अध्याय के परिशिष्ट 'क' (पुरूष उम्मीदवारों के लिए) तथा परिशिष्ट 'ख' (महिला उम्मीदवारों के लिए) में उल्लिखित है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी आयु तथा कद, दी गई वजन सीमा के बाहर है उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट 'क'

(पैरा 8 एवं 10 देखें)

कद के अनुसार वजन संबंधी चार्ट : पुरूषों के लिए (प्रवेश के समय)

कद (से.मीटर)	न्यूनतम वजन (कि.ग्रा.)	अधिकतम वजन (कि.ग्रा.)		
		पिछली जन्मतिथि पर आयु 20 वर्ष से कम है	पिछली जन्मतिथि पर आयु 20 से 25 वर्ष है	पिछली जन्मतिथि पर आयु 25 से अधिक है
152	40	53	55	58
153	40	54	56	59
154	40	55	57	59
155	41	55	58	60
156	41	56	58	61
157	42	57	59	62
158	42	57	60	62
159	43	58	61	63
160	44	59	61	64
161	44	60	62	65
162	45	60	63	66
163	45	61	64	66
164	46	62	65	67
165	46	63	65	68
166	47	63	66	69
167	47	64	67	70
168	48	65	68	71
169	49	66	69	71
170	49	66	69	72
171	50	67	70	73
172	50	68	71	74
173	51	69	72	75
174	51	70	73	76
175	52	70	74	77
176	53	71	74	77
177	53	72	75	78
178	54	73	76	79
179	54	74	77	80
180	55	75	78	81
181	56	75	79	82
182	56	76	79	83
183	57	77	80	84
184	58	78	81	85
185	58	79	82	86
186	59	80	83	86

187	59	80	84	87
188	60	81	85	88
189	61	82	86	89
190	61	83	87	90
191	62	84	88	91
192	63	85	88	92
193	63	86	89	93
194	64	87	90	94
195	65	87	91	95
196	65	88	92	96
197	66	89	93	97
198	67	90	94	98
199	67	91	95	99
200	68	92	96	100

परिशिष्ट 'ख'

(पैरा 8 और 10 देखें)

कद के अनुसार वजन संबंधी चार्ट : महिला (प्रवेश के समय)

कद (से.मीटर)	न्यूनतम वजन (कि.ग्रा.)	अधिकतम वजन (.ग्रा.कि)		
		पिछली जन्मतिथि पर जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है	पिछली जन्मतिथि पर जिनकी आयु 20 से 25 के बीच है	पिछली जन्मतिथि पर जिनकी आयु 25 वर्ष से ऊपर है
147	37	45	48	51
148	37	46	48	51
149	37	47	49	52
150	37	47	50	53
151	37	48	50	54
152	37	49	51	54
153	37	49	51	55
154	38	50	52	56
155	38	50	53	56
156	39	51	54	57
157	39	52	54	58
158	40	52	55	59
159	40	53	56	59
160	41	54	56	60
161	41	54	57	61

162	42	55	58	62
163	43	56	58	62
164	43	56	59	63
165	44	57	60	64
166	44	58	61	65
167	45	59	61	66
168	45	59	62	66
169	46	60	63	67
170	46	61	64	68
171	47	61	64	69
172	47	62	65	70
173	48	63	66	70
174	48	64	67	71
175	49	64	67	72
176	50	65	68	73
177	50	66	69	74
178	51	67	70	74
179	51	67	70	75
180	52	68	71	76
181	52	69	72	77
182	53	70	73	78
183	54	70	74	79
184	54	71	74	80
185	55	72	75	80
186	55	73	76	81
187	56	73	77	82
188	57	74	78	83
189	57	75	79	84
190	58	76	79	85
191	58	77	80	86
192	59	77	81	87
193	60	78	82	88
194	60	79	83	88
195	61	80	84	89

कार्डियोवास्कुलर सिस्टम

11. **पल्स-** निरंतर रहने वाले साइनस टैकिकॉर्डिया (>100बीपीएम) तथा निरंतर रहने होने वाले साइनस ब्रेडिकार्डिया (<60 बीपीएम) को अनफ़िट माना जाएगा। यदि ब्रेडिकार्डिया शरीर क्रिया से संबंधित मानी जाती है तो उम्मीदवार को चिकित्सा विशेषज्ञ/हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच के उपरांत फिट घोषित किया जा सकता है।

12. **रक्त चाप -** कोई व्यक्ति जिसका सिस्टोलिक रक्तचाप 140 एमएमएचजी से अधिक या उसके बराबर रहता है और/या जिसका डायस्टोलिक रक्तचाप 90 एमएमएचजी से अधिक या उसके बराबर रहता है उसे अस्वीकृत किया जाएगा।

13. **कार्डियक मर्मर-** ऑर्गेनिक कार्डियोवस्कुलर रोग के लक्षण मिलना अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। डायस्टोलिक मर्मर अपरिवर्तनीय रूप से जैविक है। इजेक्शन सिस्टोलिक प्रकृति के छोटे सिस्टोलिक मर्मर जो थ्रिल से नहीं जुड़े हैं और जो खड़े होने पर कम हो जाते हैं, विशेषकर यदि वह सामान्य ईसीजी और छाती के रेडियोग्राफ से जुड़े हो, अधिकतर प्रकार्यात्मक होते हैं।

14. **ईसीजी -** एसएमबी/ भर्ती चिकित्सा परीक्षा में ईसीजी में पाई गई कोई भी अनियमितता अस्वीकृति का आधार होगी। सामान्य ईसीजी अनियमितताएं जैसे अपूर्ण आरबीबीबी निम्न लीड में टी वेव इनवर्जन (प्रतिलोमन), वी 1 से वी 3 में टी इनवर्जन (जूवनाइल पैटर्न), वोल्टेज मानक द्वारा एल वी एच (पतली चेस्ट वॉल के कारण), किसी भी संरचनागत हृदय रोग के बिना उपस्थित हो सकती है। ऐसे सभी मामलों में किसी अंतर्हित संरचनागत हृदय रोग की आशंका को मिटाने के लिए इकोकार्डियोग्राफी की जानी चाहिए और वरिष्ठ परामर्शदाता (मेडिसिन) या हृदयरोग विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए।

15. **हृदय संबंधी जन्मजात विसंगतियां** - हृदय संबंधी सभी जन्मजात विसंगतियों में अनफिट घोषित किया जाएगा।

16. **हृदय की सर्जरी तथा चीर-फाड़** - पूर्व में की गई हृदय की सर्जरी/पूर्व-उपचार वाले उम्मीदवार को अनफ़िट माना जाएगा।

श्वसन तंत्र (रेस्पीरेटरी सिस्टम)

17. **पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस**- चेस्ट रेडियोग्राम में किसी प्रमाण्य अपारदर्शिता के रूप में दिए गए साक्ष्य, पल्मोनरी पैरेनकीमा या प्लेयूरा में कोई भी अवशिष्ट स्कारिंग अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। पूर्व में इलाज किए गए मामले जिनमें कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट असामान्यता न हो उसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब निदान और इलाज दो वर्ष से भी अधिक पहले पूरा किया जा चुका हो।

18. **एफ्यूज़न सहित प्लूरिसी**- प्लीयूरल स्थूलता का कोई भी लक्षण अस्वीकृति का कारण बनेगा। अपील के समय इन मामलों को पल्मोनोलॉजिस्ट/चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा उचित जांच के साथ विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

19. **ब्रांकाइटिस**- खांसी /सांस लेने में घरघराहट/ ब्रोंकाइटिस के बार-बार होने वाले दौरों का पुराना इतिहास श्वसन पथ के क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अन्य क्रोनिक पैथोलॉजी का लक्षण हो सकता है। ऐसे

मामलों को अनफिट घोषित किया जाएगा तथा पल्मोनोलॉजिस्ट/चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अपील के समय उचित जांच के साथ उनका विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

20. **ब्रोंकियल अस्थमा-** ब्रोंकियल अस्थमा /सांस लेने में घरघराहट /एलर्जिक राइनिटिस के बार-बार होने वाले दौरों का पुराना इतिहास अस्वीकृति का कारण होगा।

21. **चेस्ट का रेडियोग्राफ करना-** फेफड़ों, मीडियास्टिनम और प्लूरा संबंधी रोगों के सुस्पष्ट रेडियोलॉजिकल लक्षण उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने का मापदंड होंगे।

22. **थोरासिक सर्जरी-** यदि पूर्व में उम्मीदवार की थोरेक्स की मेजर सर्जरी हुई हो तो वह अनफिट माना जाएगा।

पाचन तंत्र (Gastrointestinal System)

23. **सिर से पांव तक की जांच** -लिवर कोशिका की खराबी के किसी लक्षण की मौजूदगी (अर्थात बालों का झड़ना, पैरोटिडोमेगली, स्पाइडर नैवी, गाइनोकोमास्टिया, टेस्टीकुलर एट्राफी, फ्लैपिंग ट्रेमर आदि) तथा मालएब्सॉर्पशन का कोई भी लक्षण (पैलर, नाखून तथा त्वचा में बदलाव, एंगुलर चेलिटीस, पेडल एडेमा) अस्वीकार करने का आधार होगा।

24. **गैस्ट्रो डुओडेनल दिव्यांगता**- पहले हो चुकी सर्जिकल प्रक्रिया जिसमें किसी अंग (अवशेषांगों/ पित्ताशय के अतिरिक्त) को आंशिक रूप से या पूरा निकाला गया हो, अस्वीकृति का आधार होगी।

25. **यकृत (लीवर) के रोग** - यदि पूर्व में पीलिया (जॉण्डिस) होने का पता चलता है या यकृत (लीवर) के काम करने में किसी प्रकार की असामान्यता का संदेह होता है, तो मूल्यांकन के लिए पूरी जांच करना अपेक्षित है। वायरल यकृत-शोथ (हेपाटाइटिस) या पीलिया के किसी अन्य रूप से ग्रस्त उम्मीदवारों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को 06 माह की न्यूनतम अवधि बीत जाने के बाद फिट घोषित किया जा सकता है बशर्ते उसकी नैदानिक रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) पूरी हो गई हो,एचबीवी और एचसीवी – दोनों स्थिति निगेटिव हो और यकृत (लिवर) सामान्य रूप से काम कर रहा हो। बार-बार पीलिया होने पर और किसी भी प्रकार का हाइपरबिलिरूबिनेमिया होने पर उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

26. **प्लीहा (स्प्लीन) का रोग -** जिन उम्मीदवारों का आंशिक/पूर्ण प्लीहोच्छदन (स्प्लीनेक्टोमी) हुआ हो, वे अनफिट होंगे चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी रहा हो।

27. **फीमरल हर्निया सहित एनटीरियर एब्डोमिनल वॉल हर्निया**

27.1 फिट। सर्जरी के 24 सप्ताह बाद (ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों) बशर्ते कि कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं न हों।

27.2 अनफिट। (क) इनसीजनल हर्निया के सभी मौजूदा या ऑपरेशन किए गए मामले (ख) मौजूदा एनटीरीयर एबडोमिनल वॉल हर्निया के सभी मामले।

इंग्विनल हर्निया

27.3 **फिट।** हर्निया को ठीक करने संबंधी सर्जरी के 24 सप्ताह बाद (ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों) बशर्ते कि कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं न हों

27.4 **अनफिट**। मौजूदा इंग्विनल हर्निया के सभी मामले।

28. **एब्डोमिनल सर्जरी** - परंपरागत एब्डोमिनल सर्जरी (दाहिने इलियेक फॉसा इन्सीज़न को छोड़कर पैरा 3.5.9 (ख) देखें) के बाद इसके घाव के निशान जिस उम्मीदवार में अच्छी तरह भर चुके हों, उसे 24 सप्ताह के बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते किसी छुपी हुई विकृति के दोबारा उभरने की आशंका न हो, हर्निया में कोई चीरा लगने का प्रमाण न हो और उदरीय भित्ति पेशी-विन्यास ठीक हो।

29. **गुद-मलाशय (एनोरेक्टल) स्थितियां** - जांच करने वाले को डिजिटल रेक्टल से जांच करनी चाहिए और बवासीर, बाहरी बवासीर, गुदा के त्वचा टैग, विदर, विवर, नालव्रण, भ्रंश, मलाशय पुंज या पॉलिप के न होने की बात सुनिश्चित करनी चाहिए।

(क) **फिट**

(i) पॉलिप, बवासीर, विदर, नालप्रवण या व्रण (अल्सर) के लिए मलाशय की शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद बशर्ते बीमारी बची न होने/दोबारा न होने का प्रमाण हो।

(कक) गुदा संबंधी फिशर, बवासीर : सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद

(कख) पाइलोनिडल साइनस : सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद

(ख) अनफिट

(i) सुधार के लिए सर्जरी के बाद भी मलाशय भ्रंश।

(ii) सक्रिय गुदा संबंधी फिशर/बाहरी त्वचा संबंधी पट्टी

(iii) बवासीर (बाहरी या भीतरी)

(iv) गुदा संबंधी फिशटुला फिस्ट्यूला

(v) गुदा या मलाशय का पॉलिप

(vi) गुदा का निकुंचन

(vii) मल असंयति

30. एब्डोमन (पेट) की अल्ट्रासोनोग्राफी

(क) यकृत (लिवर)

फिट

(i) यकृत (लीवर), सीबीडी, आईएचबीआर, पोर्टल तथा शिराओं की सामान्य ईको-एनाटोमी के साथ मध्य-जत्रुकी रेखा (क्लैविक्युलर लाइन) में यकृत का विस्तार 15 सेमी से अधिक न हो।

(ii) 2.5 सेमी व्यास तक की एक साधारण रसौली (पतली भित्ति, ऐनईकोइक) बशर्ते एल एफ टी सामान्य और हाइडेटिड सीरम परीक्षण नेगेटिव हो।

(iii) यकृति कैल्सीकरण को फिट माना जाएगा यदि एक ही हो तथा 1 सेमी से कम आकार का हो और संगत नैदानिक परीक्षणों तथा उपयुक्त जांच के आधार पर तपेदिक, सार्काइडोसिस, हाईडेटिड रोग या यकृत में फोड़े के सक्रिय न होने का प्रमाण हो।

अनफिट

(i) मध्य- जत्रुकी रेखा (मिड-क्लैविक्युलर लाइन) में 15 सेमी से बड़ी यकृति वृद्धि।

(ii) वसीय यकृत (फैटी लिवर)।

(कक) असामान्य एल एफ टी के साथ ग्रेड 1 वसीय यकृत (फैटी लीवर)
(कख) ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वसीय यकृत (फैटी लीवर)।

(iii) एक अकेली रसौली > 2.5 सेमी।

(iv) मोटी भित्ति, पटभवन (सेप्टेशन), अंकुरक प्रक्षेप (पैपीलरी प्रोजेक्शन), कैल्सीफिकेशन और डैबरीज के साथ किसी भी आकार की एक रसौली।

(v) एकाधिक यकृति (लीवर) कैल्सीफिकेशन या गुच्छ जो 1 सेमी से अधिक हो।

(vi) किसी भी आकार की एकाधिक यकृति (लीवर) रसौली।

(vii) किसी भी आकार और अवस्थिति का कोई भी हीमेंगियोमा (रक्तवाहिकाबुर्द)।

(viii) प्रवेशद्वार पर शिरा घनास्रता (पोर्टल वेन थ्रैम्बोसिस)।

(ix) पोर्टल हाइपरटेंशन (पोर्टल नली >13 मीमी, कोलैटरल्स एसाइट्स) का प्रमाण।

31. **पित्ताशय (गॉल ब्लैडर)**

(क) फिट

(i) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) की सामान्य ईको-एनाटोमी।

(ii) **पोस्ट लैप्रोस्कोपिक कोलेकसिस्टेक्टॉमी** 8 (एलएफटी एवं हिस्टोपैथोलॉजी सामान्य सीमा में हो)।

(iii) **पोस्ट ओपरेटीव कोलेसिस्टेक्टोमी** 24 सप्ताह के बाद, बशर्ते एलएफटी और हिस्टोपैथोलॉजी सामान्य स्थिति में हों और अल्ट्रासाउंड द्वारा उदर (एब्डोमन) में इनसिजनल हर्निया की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई हो।

(ख) अनफिट

(i) कोलिलिथिएसिस या बिलिअरी स्लज।

(ii) कोलिडोकोलिथिएसिस ।

(iii) किसी भी आकार एवं संख्या का पॉलिप।

(iv) कोलिडोकल सिस्ट।

(v) गॉल ब्लैडर मास।

(iv) गॉल ब्लैडर वॉल की मोटाई >05 मिमी।

(vii) सेप्टेट गॉल ब्लैडर।

(viii) दोबारा यूएसजी होने पर लगातार सिकुड़ता हुआ गॉल ब्लैडर।

(ix) अपूर्ण कोलिसिस्टेक्टॉमी।

(ग) **अल्ट्रासाउंड में न दिखने वाला पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) -** इसे अनफिट माना जाएगा। पित्त संबंधी ट्रैक्ट की किसी अन्य असामान्यता की मौजूदगी में अगर गॉल ब्लैडर के निकास की मैग्नेटिक

रेसोनैन्स कॉलेनगिओ-पैनक्रिअटोग्राफी (एमआरसीपी) में पुष्टि होती है तो अपील के दौरान उन्हें फिट माना जाएगा ।

32. **<u>प्लीहा (स्प्लीन)</u>**

(क) **<u>अनफिट</u>**

(i) अक्षांशीय धुरी (लांगिट्यूडिनल एक्सिस) में प्लीहा (स्पलीन) 13 सेमी से अधिक हो (अथवा यदि चिकित्सीय रूप से सुस्पष्ट हो).

(ii) प्लीहा (स्प्लीन) में स्थान घेरने वाली कोई विक्षति।

(iii) एस्प्लेनिया।

(iv) ऐसे उम्मीदवार जिनकी आंशिक/पूर्ण स्प्लेक्टॉमी हुई है, चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो, अनफिट माने जाएंगे।

33. **<u>अग्न्याशय (पैंक्रियाज़)</u>**

(क) **<u>अनफिट</u>**

(i) अक्षांशीय धुरी (लांगिट्यूडिनल एक्सिस) में प्लीहा 13 सेमी से अधिक हो (अथवा यदि चिकित्सीय रूप से सुस्पष्ट हो)।

(ii) प्लीहा (स्पलीन) में स्थान घेरने वाली कोई विक्षति।

(iii) एस्प्लेनिया ।

(iv) ऐसे उम्मीदवार जिनकी आंशिक/पूर्ण स्प्लेनेक्टॉमी हुई है, ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो वे अनफिट माने जाएंगे।

34. **<u>उदर आवरण गुहिका (पेरीटोनियल कैविटी)</u>**

(क) **<u>अनफिट</u>**

(i) जलोदर (Ascites)।

(ii) सोलिटरी मे सेन्ट्रिक अथवा रेट्रोपेरिटोनियल लिंफ नोड 01 सेमी से बड़ा हो। (सिंगल रेट्रोपेरिटोनियल लिंफ नोड 01 सेमी से कम एवं बनावट में सामान्य होने पर फिट माना जाएगा)।

(iii) किसी भी आकार के दो या अधिक लिंफ नोड।

(iv) कोई भी मास या सिस्ट।

35. मेजर एब्डोमिनल वैस्क्युलेचर (आर्टो आईवीसी)। कोई संरचनात्मक असामान्यता, फोकल एक्टेसिया, एन्यूरिज़्म एवं कैल्शिफिकेशन होने पर अनफिट माना जाएगा।

36. **<u>एपेन्डीसेक्टॉमी</u>**

(क) न्यूनतम **04 सप्ताह** की अवधि के पश्चात **लेप्रोस्कोपिक एपेन्डीसेक्टॉमी** की पोस्ट-ऑपरेटिव फिटनेस के लिए जांच की जाएगी। उम्मीदवार को फिट समझा जाएगा, यदि:-

(i) उसके ऑपरेशन के बाद उस जगह के निशान (स्कार) अच्छे से भर गए हों।

(ii) निशान (स्कार) नरम हों।

(iii) एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध हो।

(iv) यूएसजी के द्वारा पोर्ट साइट इनसिश्जनल हर्निया न होने की पुष्टि हो।

(ख) **ओपन एपेंडिसेक्टॉमी** का न्यूनतम **12 सप्ताह** की अवधि के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव फिटनेस के लिए मसल स्प्लिट एप्रोच द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट समझा जाएगा, यदि:-

(i) घाव अच्छी तरह से भर गया हो।
(ii) निशान (स्कार) सुनम्य और कमजोर (नॉन टेंडर) न हों।
(iii) एपेंडिक्स की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध हो।
(iv) यूएसजी के द्वारा सर्जिकल साइट इनसिश्जनल हर्निया न होने की पुष्टि हो।

मूत्र-प्रजनन प्रणाली (Urogenital System)

निम्नलिखित फिटनेस मानदंडों का पालन किया जाएगाः-

37. **अनडिसेंडेड टेस्टिस (यूडीटी) ऑर्किडेक्टॉमी**

(क) **अनफिट**

(i) स्क्रेटिंग पोजीशन में उम्मीदवार की जांच हो जाने के बाद भी यदि टेस्टिस (एक पार्श्वी अथवा द्विपार्श्वी) स्पर्श्य न हो या छुआ न जा सकता हो।

(ii) ट्रॉमा, टॉर्शन अथवा इन्फेक्शन जैसे किसी भी कारण से द्विपार्श्वी ऑर्किडेक्टॉमी को अनफिट माना जाएगा।

(ख) **फिट**

(i) सर्जरी के कम से कम 04 सप्ताह बाद प्रवर्ती अथवा प्रभावी रूप से ठीक हो चुका यूडीटी, बशर्ते कि शल्यचिकित्सा सुधार (सर्जिकल करेक्शन) के बाद टेस्टिस सामान्य स्थान पर हो एवं घाव अच्छी तरह से भर चुका हो।

(ii) सुसाध्य कारणों के लिए एकपार्श्वी ऑर्किडेक्टॉमी, बशर्ते कि दूसरा टेस्टिस आकार, स्थिरिकरण एवं स्थान की स्थिति में सामान्य हो।

38. **एट्रोफिक टेस्टिस**

(क) **अनफिट-** द्विपार्श्वी एट्रोफाइट टेस्टिस

(ख) **फिट-** सुसाध्य कारणों के लिए एकपार्श्वी एट्रोफिक टेस्टिस, बशर्ते कि दूसरा टेस्टिस आकार, स्थिरिकरण एवं स्थान की स्थिति में सामान्य हो।

39. **वैरिकोसील**

(क) **अनफिट-** वर्तमान वैरिकोसील के सभी ग्रेड

(ख) **फिट-** ऑपरेशन के बाद वाले मामले जिनमें वैरिकोसील का कोई भी अवशेष न हो एवं सर्जरी के 08 सप्ताह बाद कोई ऑपरेशन पश्चात् समस्या अथवा टेस्टिक्युलर एट्रोफी न हो।

40. **हाइड्रोसील**

अनफिट- किसी भी तरफ मौजुदा हाइड्रोसील

फिट- सर्जरी के 08 सप्ताह बाद हाइड्रोसील के ऑपरेशन किए जा चुके मामले, यदि ऑपरेशन के बाद कोई भी समस्या न हो एवं घाव अच्छी तरह से भर गया हो।

.41 **एपिडीडिमल सिस्टमास/, स्पर्मेटोसील।**

)क (**अनफिट** –मौजूदा सिस्ट मास/

)ख (**फिट** -ऑपरेशन के 8 सप्ताह बाद पूरी तरह ठीक होने के मामले, पुनरावृत्ति नहीं होना तथा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में केवल बिनाइन लक्षण।

42. **एपिडिडीइमाइटिस/ऑर्काइटिस**

(i) अनफिट- वर्तमान ऑर्काइटिस अथवा एपिडीटाइमिटिस/ट्यूबरोक्युलॉसिस की उपस्थिति।

(ii) फिट - उपचार के बाद, बशर्ते कि स्थिति पूर्ण रूप से सुधर गई हो।

43. **एपिस्पैडियास/हाइपोस्पैडियास**

(i) अनफिट - हाइपोस्पैडियास एवं एपिस्पैडियास के ग्लैन्युलर प्रकार जो कि स्वीकार्य है, के अतिरिक्त सभी अनफिट हैं।

(i) फिट- सफल सर्जरी के कम से 08 सप्ताह बाद के ऑपरेशन के बाद वाले मामले, बशर्ते स्वास्थ्य सुधार पूरा हो चुका हो एवं कोई भी समस्या न हो।

44. **पेनाइल एम्प्युटेशन** -किसी भी प्रकार का अंग विच्छेदन उम्मीदवार को अनफिट बना देगा।

45. **फिमोसिस**

(i) अनफिट – मौजुदा फिमोसिस, यदि स्थानीय स्वच्छता और मूत्रत्याग में रुकावट डालने के लिए पर्याप्त रूप से तंग है और/या बैलेनाइटिस जेरोटिका ओब्लिटरन्स से जुड़ा हुआ है।

(ii) फिट - ऑपरेशन हो चुके मामलों को सर्जरी के 04 सप्ताह बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते कि घाव अच्छी तरह से भर गए हों एवं ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार की समस्या न देखी गई हो।

46. **मीटल स्टेनोसिस**

(क) अनफिट - वर्तमान बीमारी, यदि वॉइडिंग में को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रूप से छोटा हो।

(ख) फिट- हल्की बीमारी जो पेशाब करने में बाधा नहीं डालती है और सर्जरी के 04 सप्ताह के पश्चात के ऑपरेशन के मामले, जिसमें घाव पर्याप्त रूप से ठीक हो गया हो और ऑपरेशन के पश्चात कोई जटिलता न हो।

47. स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल फिस्टुला। ऐसे पुराने/वर्तमान मामलों अथवा ऑपरेशन के बाद वाले मामलों में उम्मीदवार अनफिट माना जाएगा।

48. सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी/इंटरसेक्स स्थिति- अनफिट।

49. नेफ्रेक्टॉमी- चाहे सर्जरी का प्रकार कुछ भी क्यों न हो, (सिम्पल /रेडिकल /डोनर /आंशिक /आरएफए /क्रायो-ऐब्लेशन) सभी मामले, अनफिट माने जाएंगे।

50. रीनल ट्रांसप्लांट ग्राही अनफिट।

51. यूरैकल सिस्टः 08 सप्ताह (किसी भी अवशेष के न होने पर फिट माने जाएंगे)।

52. ब्लैडर डायवर्टिक्युलम के मामलों को अनफिट माना जाएगा।

53. **पेशाब की जांच**

(क) **प्रोटीन्यूरिया-** प्रोटीन्यूरिया अस्वीकृति का एक कारण होगा, जब तक कि यह ऑर्थोस्टेटिक प्रमाणित न हो जाए।

(ख) **ग्लाइकोसूरिया**- जब ग्लाइकोसूरिया का पता चलता है, एक ब्लड शुगर जांच (खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोस के बाद) और ग्लाइको साइलेटिड हीमोग्लोबीन परीक्षण किया जाएगा, और परिणामों के आधार पर फिट होने का निर्धारण होता है। रीनल ग्लाइकोसूरिया अस्वीकृति का कारण नहीं है।

(ग) **मूत्र संक्रमण**- जब उम्मीदवार का मूत्र संक्रमण का पुराना मामला है या कोई प्रमाण है तब उसकी पूर्ण रीनल जांच की जाएगी। मूत्र संक्रमण का सतत प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(घ) **रक्तमेह (हेमेच्यूरिया) -** हेमेच्यूरिया के इतिहास वाले उम्मीदवारों की पूर्ण रीनल जांच की जाएगी।

54. **ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस**

(क) एक्यूट – इस परिस्थिति में एक्यूट चरण में ठीक होने की उच्च संभावना होती है, विशेषकर बचपन में। कोई उम्मीदवार जो पूरी तरह ठीक हो चुका है और जिसे प्रोटीन्यूरिया नहीं है, को पूरी तरह ठीक होने के न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद फिट माना जाएगा।

(ख) पुराना (क्रोनिक)- क्रोनिक ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस वाले उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

55. **रीनल कैल्कुली**- आकार, संख्या, अवरोधी अथवा गैर-अवरोधी के निरपेक्ष रीनल कैल्कुली का इतिहास (इतिहास अथवा रेडियोलॉजिकल प्रमाण) किसी उम्मीदवार को अनफिट बना देगा।

56. यौन संचारित रोग और ह्यूमन इम्युनो डेफिशिएंसी वायरस (एच आई वी) सीरोपॉजिटिव एच आई वी स्थिति और/या एस टी डी के प्रमाण वालों को अस्वीकार किया जाएगा।

57. एब्डोमन की अल्ट्रासोनोग्राफी – यूरोजेनिटल प्रणाली

58. **गुर्दा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर**

(क) अनफिट

(i) गुर्दों या यूरिनरी ट्रैक्ट की जन्मजात संरचनात्मत असामान्यताएं

(कक) एक-पार्श्वी रीनल एगनेसिस

(कख) 08 से.मी. से कम आकार के एकपार्श्वी या द्विपार्श्वी हाइपोप्लास्टिक/ कॉंट्रैक्टेड गुर्दा।

(कग) गुर्दे का मालरोटेशन

(कघ) हॉर्सशू गुर्दा (किडनी)

(कच) टॉस्ड गुर्दा (किडनी)

(कछ) क्रॉस्ड फ्यूज्ड/एक्टोपिक गुर्दा।

(ii) एक गुरदे में 1.5 से.मी. से अधिक आकार का सामान्य एकल रीनल सिस्ट।

(iii) जटिल सिस्ट/पॉलीसिस्टिक रोग/बहु या द्विपार्श्व सिस्ट।

(iv) रीनल/यूरेटेरिक/वेसिकल मास।

(v) हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाईड्रोयूरेटेरोनेफ्रोसिस।

(vi) कैल्कुली- रीनल/यूरेट्रिक/वेसिकल।

(vii) कैल्किटासिस

(ख) **फिट**

(i) एकल, एकपार्श्वी सामान्य रीनल सिस्ट <1.5 से.मी. बशर्ते सिस्ट बाहर स्थित है जो गोल/अंडाकार है जिसकी पतली चिकनी सतह है और कोई लोकल्यूकेशन नहीं है, पार्श्व भाग बढ़ा हुआ है, डिबरिस, सेप्टा और कोई ठोस घटक नहीं है।

अन्तःस्रावी (एंडोक्राइन) प्रणाली

59. एंडोक्राइन विकार दर्शाने वाला किसी भी प्रकार का पुराना मामला न हो।

60. चिकित्सीय परीक्षण- एंडोक्राइन रोग के किसी भी चिकित्सीय लक्षण वाला व्यक्ति अनफिट होगा।

61. थायरॉइड सूजन वाले सभी मामले अनफिट हैं। ऐसे मामलों की फिटनेस संबंधी अपील मेडिकल बोर्ड में उपयुक्त जांच के साथ मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित की जाएगी।

62. मधुमेह मैलिटस वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मधुमेह के पारिवारिक इतिहास वाले उम्मीदवार के ब्लड शुगर (खाली पेट और 75ग्राम एनहाइड्रस/ 82.5 ग्राम मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्रहण के बाद) और एचबीए1सी की जांच की जाएगी, जिसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

<u>त्वचाविज्ञान (डर्मेटोलॉजिकल) प्रणाली</u>

63. **<u>संबद्धित पिछला मामला और परीक्षण</u>** - ऐसे उम्मीदवार जिनमें व्यावसायिक यौन कार्यकर्ता (सीएसडब्ल्यू) के साथ यौन संपर्क का पुराने मामले का पता चलता है और एक निशान के रूप में लिंग पर चोट, जो भर गई है, का प्रमाण मिलता है, को स्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा चाहे प्रत्यक्ष यौन संचारित रोग न हों, क्योंकि ये उम्मीदवार समान संलिप्त संभोग व्यवहार के साथ संभावित 'पुनरावृत्ति' वाले हैं।

64. **<u>त्वचा रोगों का मूल्यांकन -</u>** एक्यूट नॉन-एक्जैनथिमेटस और विसंक्रामक रोग जो आमतौर पर अस्थायी समय के लिए होते हैं, अस्वीकृति का कारण नहीं होंगे। हल्की प्रकृति के रोग और जो सामान्य स्वास्थ्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करते या अक्षमता पैदा नहीं करते, वे अस्वीकृति का कारण नहीं होते हैं।

65. ट्रॉपिकल परिस्थितियों में कुछ निश्चित त्वचा रोगों के सक्रिय और अक्षमता पैदा करने वाले बनने की संभावना है। कोई व्यक्ति सेवा के लिए अनफिट है यदि उसमें क्रॉनिक या पुनरावृति वाले त्वचा रोग का निश्चित इतिहास या लक्षण हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियों का वर्णन नीचे किया गया है:-

66. **<u>पल्मोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस</u>** - पल्मोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस की कुछ मात्रा शारीरिक है जिसमें उस परिस्थिति पर विचार किया जाता है जिसका सामना चिकित्सा जांच के दौरान भर्ती होने वाला व्यक्ति करता है। हालांकि, विशिष्ट पल्मोप्लाटर हाइपरहाइड्रोसिस वाले उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाना चाहिए।

67. **<u>एक्ने वल्गारिस</u>**- हल्के (ग्रेड-I) मुहांसे जिसमें कुछ कोमिडोन या पाप्यूल्स जो केवल चेहरे तक सीमित होता है, स्वीकार्य हो सकता है। हालांकि, सामान्य से गंभीर डिग्री के मुहांसे (नोड्यूलोसिस्टिक प्रकार के या कीलोइडल दाग-धब्बों के साथ या बिना) या जिसमें पीछे का हिस्सा शामिल हो, को अनफिट माना जाएगा।

68. **<u>पल्मोप्लांटर केराटोडर्मा-</u>** हाइपरकेराटोइक हथेलियों, तलवों और एड़ियों पर फटी त्वचा के साथ जुड़ी पल्मोप्लांटर केराटोडर्मा की किसी भी डिग्री वाले उम्मीदवार को अनफिट समझा जाएगा।

69. **<u>इक्थियोसिस वल्गारिस-</u>** प्रत्यक्ष सूखी, धारीधार, फटी त्वचा वाले ऊपरी और निचले अंगों की इक्थियोसिस वालों को अनफिट समझा जाएगा। हल्के जेरोसिस (सूखी त्वचा) वालों को फिट समझा जा सकता है।

70. केलॉइड वाले उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाना चाहिए।

71. उंगलियों और पैरों के नाखूनों की क्लिनिकल प्रमाणित ओनिकोमाइकोसिस वालों को अनफिट घोषित किया जाएगा, विशेषकर यदि वे नाखून डिस्ट्रॉफी से जुड़े हैं। डिस्टल रंगहीनता वाले हल्के डिग्री के एक नाखून जिसमें कोई डिस्ट्रॉफी नहीं है, को स्वीकार किया जा सकता है।

72. जाइंट कॉनजेनिटल मेलानोसाइटिक नीवी, जो 10 से.मी. से अधिक हैं, को अनफिट माना जाए क्योंकि ऐसे विशाल आकार के नेवी में असाध्य होने की क्षमता है।

73. एकल कॉर्न /वार्ट / कैलोसिटीज वालों को सफल उपचार के तीन माह बाद और पुनरावृत्ति न होने पर फिट समझा जाएगा। हालांकि, हथेलियों और तलवों पर अनेक वार्ट/ कॉर्न/ कैलोसिटीज वाले उम्मीदवार अथवा हथेलियों और तलवों के दबाव वाले क्षेत्रों पर डिफ्यूस पल्मोप्लांटर मोसाइक वार्ट, विशाल कैलोसाइट्स वाले उम्मीदवारों को अस्वीकृत किया जाएगा।

74. सोरायसिस ऐसा दीर्घकालिक त्वचा रोग है जो बार-बार हो जाता है और/या पुनः हो जाता है और इसलिए इसे अनफिट समझा जाना चाहिए।

75. <u>विटिलिगो</u> - जिन व्यक्तियों को विटिलिगो होता है उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अपील पर, शरीर के ढके रहने वाले किसी-किसी हिस्से पर विटिलिगो हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है।
76. त्वचा संक्रमण के पुराने या बार-बार होने वाले मामले अस्वीकृति का कारण होंगे। फॉलिकुलिटिस या सायकोसिस बारबे जो पूरी तरह ठीक हो गया हो, उसे फिट माना जा सकता है।

77. ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक्जिमा जैसा गंभीर या अक्षम करने वाली प्रकृति का पुराना या बार-बार होने वाला त्वचा रोग है, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट माना जाएगा और अस्वीकृत किया जाएगा।

78. कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण अस्वीकृति का कारण होगा। सभी परिधीय नसों की मोटाई की जांच की जानी चाहिए और कुष्ठ रोग का संकेत देने वाला कोई भी नैदानिक प्रमाण अस्वीकृति का आधार होगा।

79. नीवस डेपिगमेनटोसस और बेकर्स नीवस को फिट माना जा सकता है। इन्ट्राडर्मल नीवस, वस्क्युलर नीवी को अनफिट माना जाए।

80. पिटिरियासिस वर्सिकलर को अनफिट माना जाएगा। यदि पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उन्हें अपील करने पर फिट माना जा सकता है।

81. शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का फंगल इंफैक्शन होने पर अनफिट समझा जाएगा। यदि पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उन्हें अपील करने पर फिट माना जा सकता है।

82. स्क्रोटल एग्जिमा को ठीक होने पर फिट माना जा सकता है।

83. कैनीटीस (बालों का असमय सफेद होना) को फिट माना जाएगा यदि वह थोड़ा बहुत हो और इसमें कोई क्रमबद्ध संबंध देखने में न आए।

84. इंटरट्राइगो को स्वास्थ्यलाभ के बाद फिट समझा जाएगा।

85. सभी एसटीडी रोगों को अनफिट समझा जाएगा।

86. खुजली (स्केबीज) को केवल स्वास्थ्यलाभ के उपरांत ही फिट समझा जाएगा।

87. खोपड़ी पर एकल और छोटा (व्यास में <2cm) एलोपीसिया एरियाटा को स्वीकार किया जा सकता है। यदि एकाधिक है जिसमें अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं या निशान हैं तो आवेदक को अस्वीकार किया जाए।

88. **गाइनेकोमेस्टिया** : ऑपरेशन के 12 सप्ताह बाद उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा यदि:-

(क) सर्जरी के घाव अच्छी तरह से ठीक हो गए हों और बीमारी शेष न हो।
(ख) ऑपरेशन के बाद कोई समस्या न हो।
(ग) सर्जरी के निशान पर्याप्त रूप से ठीक हो जाने चाहिए और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।
(घ) सामान्य व्यापक शारीरिक जांच।
(च) अंतस्त्रावी (एन्डोक्रोइन) कार्यप्रणाली सामान्य हो।

89. **पॉलीमेज़िया**- यदि सर्जरी के बाद कोई दिक्कत नहीं है और सर्जरी के घाव पूर्णत: ठीक हो गए हों और बीमारी शेष न हो तो उम्मीदवारों को ऑपरेशन के 12 सप्ताह की अवधि के बाद फिट माना जाएगा।

मास्कुलोस्केलेटल प्रणाली और शारीरिक क्षमता

90. **स्पाइनल परिस्थितियां** : रीढ़ की हड्डी या सैक्रोइलियक जोड़ों की बीमारी या चोट का पिछला मामला, चाहे वस्तुनिष्ठ लक्षणों के साथ हो या उसके बिना, जिसके कारण उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन जीने में असमर्थ हो, कमीशनिंग के लिए अस्वीकृति का कारण है। बार-बार होने वाले लूम्बेगो/स्पाइनल फ्रैक्चर/प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क का मामला और इन स्थितियों के लिए सर्जिकल उपचार अस्वीकृति का आधार होगा।

91. क्लीनिकल जांच - नॉर्मल थोरेसिक काईफोसिस और सर्वाइकल/ लुम्बर लोर्डोसिस को कम आंका जाता है और इन्हें दर्द या चलने में परेशानी से संबंधित नहीं माना जाता है।

(क) यदि क्लीनिकल जांच पर स्पाइन संचालन में परेशानी, विकृति, स्पाइन में जकड़न या कोई चलने में असामान्यता पाई जाती है तो वह अनफिट समझा जाएगा।
(ख) ग्रोस काइफोसिस, जो मिलिट्री बियरिंग को प्रभावित करता है, स्पाइनल संचलन की पूर्ण रेंज को रोकता है और/या छाती के फुलाव को रोकता है, अनफिट है।
(ग) यदि स्कोलियोसिस का पता चलता है या स्पाइन की कोई रोगात्मक दशा की संभावना है तब स्पाइन के उपर्युक्त भाग की रेडियोग्राफी जांच किए जाने की आवश्यकता है। स्कोलियोसिस अनफिट है, यदि वह विकृति पूरे स्पाइन पर हो, यह स्पाईन संचलन की प्रतिबंधित रेंज से संबद्ध हो जब यह एक आबद्ध पैथालॉजिकल कारण से होता है।
(घ) **स्पाइन बिफिडा** - क्लीनिकल जांच करने पर निम्नलिखित मार्करों पर विचार करना चाहिए और रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन से संपुष्ट करना चाहिए:-

(i) स्पाइन मे जन्मजात कमियां जैसे हाइपरट्राइकोसिस, त्वचा के रंग में हल्कापन, हिमेनजिओमा, पिग्मेन्टिड नेवस या डर्मल साइनस।

(ii) स्पाईन पर लिपोमा की मौजूदगी।

(iii) पैलपेबल स्पाइना बिफिडा।

(iv) न्यूरोलौजिकल जांच करने पर असामान्य निष्कर्ष।

92.**लम्बोसैक्रल ट्रांजिशनल वर्टेब्रा (एलएसटीवी) के लिए कास्टेलवी वर्गीकरण।**

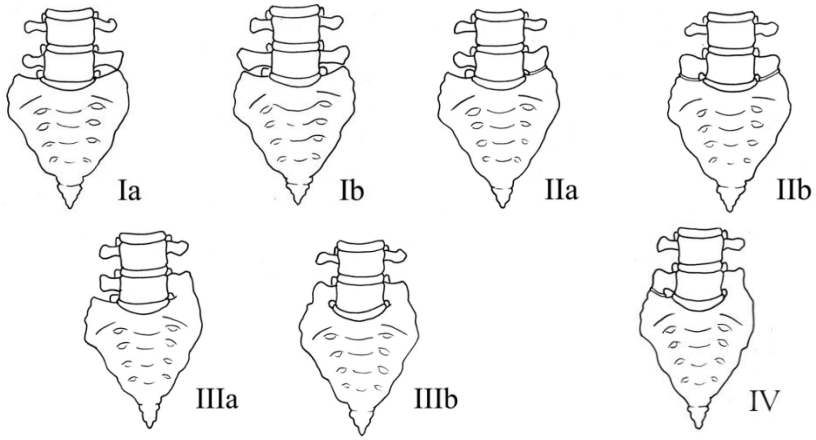

एलएसटीवी के लिए कास्टेलवी वर्गीकरण

(क) <u>टाइप I</u>- बढ़ी हुई और डिस्पलास्टिक अनुप्रस्थ प्रक्रिया (क्रैनियोकॉडल आयाम में कम से कम 19 मिमी चौड़ाई)।

1. **I (क)** युनिलेटरल
2. **I (ख)** बाइलेटरल

(ख)<u>टाइप II</u> – अपूर्ण लम्बराइजेशन/सैक्रालिस्टियन के साथ अनुप्रस्थ प्रक्रिया और सैक्रम का छद्म संधिकरण (स्यूडोआर्थ्रोसिस के साथ अनुप्रस्थ प्रक्रिया का विस्तार)

1. **II (क)** युनिलेटरल
2. **II (ख)** बाइलेटरल

(ग) <u>टाइप III</u> – अनुप्रस्थ प्रक्रिया सैक्रम के साथ जुड़ जाती है और पूर्ण लम्बराइजेशन या सैक्रम (पूर्ण संचलन के साथ बढ़ी हुई अनुप्रस्थ प्रक्रिया) होती है।

1. **III (क)** युनिलेटरल
2. **III (ख)** बाइलेटरल

(घ) <u>टाइप IV</u>– एक तरफ पर टाइप II और प्रतिपार्श्विक तरफ पर टाइप III

93. एयर फोर्स ड्यूटीज़ (फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों) के लिए अनफिट स्पाइन संबंधी दशाएं:-

(क) (क) <u>**जन्मजात/विकासात्मक असामान्यताएं**</u>

(i) वेज वर्टिबा

(ii) हेमिवर्टिबा

(iii) एन्टीरीयर सेंट्रल डिफेक्ट

(iv) सर्वाइकल रिब्स (एक पार्श्वी/द्विपार्श्वी) डेमोन्स्ट्रेबल न्यूरोलॉजिकल या सर्कुलेटरी डेफिसिट सहित

(v) स्पाइना बिफिडा:- सेक्रम और एल वी 5 को छोड़कर (यदि पूर्णत: सैक्रेलाइज़्ड है) सभी अनफिट हैं।

(vi) सर्वाइकल लोर्डोसिस की क्षति के साथ तंत्रिका तंत्र संबंधी कमी।

(vii) <u>स्कोलिओसिस का आंकलन</u> - लंबर स्पाइन के लिए 10 डिग्री और डॉर्सल स्पाइन के लिए 15 डिग्री तक ईडियोपैथिक स्कॉलिओसिस स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि:-

(कक) व्यक्ति में लक्षण न हों।

(कख) रीढ़ (स्पाइन) में चोट का कोई पुराना मामला न हो।

(कग) लंबर स्पाइन में छाती की विषमता/कंधे में असंतुलन या पेल्विक तिरछापन न हो।

(कघ) कोई तंत्रिका तंत्र संबंधी कमी न हो।

(कङ) रीढ़ में कोई जन्मजात असंगति न हो।

(कच) सिंड्रॉमिक विशेषताएं न हों।

(कछ) ई सी जी सामान्य हो।

(कज) रीढ़ के पूर्ण लचीलेपन पर कोई विकृति न हो।

(कझ) गति संबंधी कोई बाधा न हो।

(कञ) संरचनात्मक असामान्यता उत्पन्न करने वाला कोई ऑर्गनिक दोष न हो।

(viii) एटलांटो-ओसीपिटल और एटलांटो-एक्शियल विसंगतियां।

(ix) किसी भी स्तर पर अपूर्ण ब्लॉक वर्टिब्रा।

(x) **एक से अधिक स्तर** पर पूर्ण ब्लॉक वर्टिब्रा। (एकल स्तर स्वीकार्य है। ए एफ एम एस एफ-2 में एनोटेशन किया जाना है)।

(xi) **<u>लंबोसेकरल ट्रांजिशनल वर्टीब्रा/केशरुक(एलएसटीवी)</u>** : एकतरफा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन (पूर्ण या अपूर्ण) और दो तरफा अधूरा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन (एल एस टी वी- कास्टेवली टाइप II (क) और (ख), III क और IV) एल वी 5 का दोतरफा पूर्ण सैक्रलाइजेशन और एस वी 1, कास्टेलवी टाइप III ख और टाइप I क और ख दोतरफा पूर्ण लम्बराइजेशन स्वीकार्य है (ए एफ एम एस एफ-2 में एनोटेशन किया जाना है)।

(xii) स्पोंडिलोलिसिस/ स्पोंडिलोलिस्थीसिस

(xiii) केशेरूकाओं की भीतरी डिस्क का आगे खिसकना

(xiv) एक से अधिक स्तर पर श्मोरल नोड्स

(ख) **<u>ट्रॉमेटिक स्थितियां</u>**

(i) स्पोंडिलोलिसिस/ स्पोंडिलोलिस्थीसिस

(ii) वर्टिब्रा का दबाव से टूटना

(iii) केशेरूकाओं की भीतरी डिस्क का आगे खिसकना

(iv) एक से अधिक स्तर पर श्मोरल नोड्स

(ग) **<u>संक्रामक</u>**

(i) रीढ़ का तपेदिक और अन्य ग्रेनुलोमेटस बीमारी (पुरानी या सक्रिय)

(ii) संक्रामक स्पॉन्डिलाइटिस

(घ) **<u>स्व प्रतिरक्षक (ऑटो इम्यून)</u>**

(i) संधिशोथ गठिया और संबद्ध विकार

(ii) एंकीलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस

(iii) रीढ़ के अन्य संधिशोथ संबंधी विकार जैसे पॉलीमायोसाइसटिस, एस एल ई. और वास्कुलिटिस।

(च) **<u>क्षयकारी</u>**

(i) स्पॉन्डिलाइसिस

(ii) जोड़ के क्षयकारी विकार

(iii) क्षयकारी डिस्क रोग

(iv) ऑस्टियोऑर्थोर्सिस/ ऑस्टियोआर्थराइटिस

(v) श्यूरमेन की बिमारी (किशोरावस्था काइफोसिस)

(छ) **रीढ़ की हड्डी की अन्य कोई असामान्यता, यदि विशेषज्ञ द्वारा ऐसा माना जाता है।**

<u>भुजा (अपर लिंब्स) की जांच को प्रभावित करने वाली स्थितियां</u>

94. **ऊपरी अंगों का विच्छेदन तथा विरूपता** भुजा या उनके हिस्सों की विकृतियां अस्वीकृति का कारण होंगी। जिन उम्मीदवारों के अंगों अथवा उंगलियों सहित अंग के किसी हिस्से में विच्छेदन होगा उनको प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

95. **उंगलियां और हाथ** – विकृतियों और सीमित मूवमेंट को अनफिट माना जाएगा।

(क) **<u>बहुअंगुलिता (पॉलीडेक्टली)</u>** – सर्जरी के पश्चात, रेडियोग्राफ किए जाने पर यदि हड्डी की कोई असामान्यता नहीं है, घाव पूरी तक भर गया है, इसका निशान हल्का है और चिकित्सीय परीक्षण में न्यूरोमा का कोई प्रमाण नहीं है तो इसे सर्जरी के 12 सप्ताह के पश्चात फिट घोषित किया जा सकता है।

(ख) **<u>साधारण सिंडैक्टली</u>** – सर्जरी के पश्चात, रेडियोग्राफ किए जाने पर यदि हड्डी की कोई असामान्यता नहीं है, घाव भर गया है, इसका निशान हल्का है और वेबस्पेस संतोषजनक है तो इसे सर्जरी के 12 सप्ताह के पश्चात फिट घोषित किया जा सकता है।

(ग) **<u>जटिल सिंडैक्टली</u>** – अनफिट

(घ) **<u>अतिप्रसार (हाइपरएक्सटेंसिबल) उंगल जोड़</u>** – सभी उम्मीदवारों की हाइपरएक्सटेंसिबल उंगली के जोड़ के लिए अच्छी प्रकार से जांच की जानी चाहिए। उंगलियों का पीछे की ओर 90 डिग्री से परे कोई भी विस्तार हाइपरएक्सटेंसिबल समझा जाएगा और उसे अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। अन्य जोड़ों जैसे घुटना, कोहनी, रीढ़ की हड्डी तथा अंगूठे की भी हाइपरलेक्सिटी/हाइपरमोबिलिटी के लक्षणों के लिए ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी। यद्यपि व्यक्ति अन्य जोड़ों में हाइपरलेक्सिटी के गुणों को प्रदर्शित नहीं भी कर सकता है लेकिन उंगली के जोड़ों पर हाइपएक्सटेंसिबिलिटी के अलग-अलग प्रदर्शित होने को अनफिट समझा जाएगा क्योंकि यदि ऐसे उम्मीदवारों को कठिन शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा तो बाद में विभिन्न प्रकार के रोग सामने आ सकते हैं।

(च) **<u>मॉलेट फिंगर</u>** – डिस्टल इंटरफैलेंजल जोड़ में एक्सटेंसर मैकेनिज्म का ह्रास होने से मैलेट फिंगर होता है। गंभीर मॉलेट विकार होने से प्रोक्सिमल इंटर-फैलेंजल (पीआईपी) तथा मैटाकार्पो-फैलेंजल (एमसीपी) जोड़ों में अन्य प्रकार के बदलाव हो सकते हैं जिसका परिणाम हाथ से कार्य करने में परेशानी के रूप में सामने आ सकता है। डिस्टल इंटर-फैलेंजल (डीआईपी) जोड़ों में फ्लेक्सियन तथा एक्सटेंशन दोनों में ही हिलाने (मूवमेंट) की साधारण सीमा 0-80 डिग्री तथा पीआईपी जोड़ में 0-90 डिग्री होती है। मॉलेट फिंगर में उम्मीदवार उंगलियों के डिस्टल फैलेंक्स को पूर्ण रूप से बढ़ाने/सीधा करने में असमर्थ होता है।

(i) कम गंभीर स्थिति वाले उम्मीदवारों अर्थात विस्तार लैग की 10 डिग्री से कम वाले उम्मीदवार, जिनमें ट्रॉमा, दबाव लक्षण एवं कोई प्रकार्यात्मक कमी दिखाई नहीं दे रही है, को फिट घोषित किया जाएगा।

(ii) उंगलियों की स्थायी विरूपता वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित किया जाएगा।

96. **कलाई** - कलाई को हिलाने में दर्द रहित सीमा का आकलन कठोरता के स्तर के अनुसार किया जाएगा। पालमर फ्लेक्सन के नुकसान की तुलना मे डोरसिफ्लेक्सियन का नुकसान अधिक गंभीर है।

97. **कोहनी** - संचलन की मामुली सीमा के कारण अस्वीकृति नहीं होती बशर्ते कार्यात्मक क्षमता पर्याप्त हो। एंकिलोसिस से अस्वीकृति होगी। जब वहन कोण (शारीरिक मुद्रा में हाथ और अग्रभाग के बीच का कोण) बढ़ा होता है तब क्यूबिटिस वल्गस को विद्यमान कहा जाता है तब कार्यात्मक अक्षमता और स्पष्ट कारण जैसे फ्रैक्चर मैल-यूनियन, फाइब्रोसिस आदि के अभाव में पुरुष उम्मीदवारों में 15 डिग्री और महिला उम्मीदवारों में 18 डिग्री तक का कैरिंग कोण फिट माना जाएगा।

98. **कोहनी के जोड़ में हाइपरएक्सटेंशन** – उम्मीदवारों की स्वाभाविक रूप से हाइपरएक्सटेंडेड कुहनियां हो सकती हैं। यह स्थिति कोई चिकित्सीय समस्या नहीं है परंतु विशेष रूप से सैन्य कार्य से जुड़े तनाव तथा थकान को ध्यान में रखते हुए यह अस्थिभंग (फ्रैक्चर) अथवा अत्यधिक दर्द का कारण हो सकती है। साथ ही, कोहनी को इसकी स्वाभाविक स्थिति में 10 डिग्री के भीतर वापिस लाने की अक्षमता से दैनिक कार्यों एवं गतिविधियों में कमी आती है।

(क) मापन मानदंड : गोनियोमीटर का उपयोग करके मापी जाती है।

(ख) सिफारिश : साधारण कोहनी का प्रसार 0 डिग्री होता है। यदि रोगी का इस जोड़ में चोट लगने का कोई पुराना मामला नहीं है तो 10 डिग्री तक का हाइपरएक्सटेंशन साधारण सीमाओं के भीतर है। 10 डिग्री से अधिक के हाइपरएक्सटेंशन के उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाएगा।

99. 5 डिग्री से अधिक का क्यूबिटस वारस अनफिट माना जाएगा।

100. क्यूबिटस रिकर्वटम - 10 डिग्री से अधिक का क्यूबिटस रिकर्वटम अनफिट माना जाएगा।

101. कंधे का कटिबंध - कंधे के बार-बार विस्थापन का पुराना मामला, भले ही सुधारात्मक सर्जरी की गई हो या ना हो, अनफिट माना जाएगा।

102. क्लैविकल - क्लैविकल के पुराने बिना जुड़े फ्रैक्चर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कार्यक्षमता के नुकसान के बिना और स्पष्ट विरूपता के बिना गलत ढंग से जुड़ा क्लैविकल फ्रैक्चर स्वीकार्य है।

<u>निचले अंगो के आकलन को प्रभावित करने वाली शर्तें</u>

103. 20^0 से अधिक कोण वाला हॉलक्स वाल्गस और 10^0 से अधिक का पहला-दूसरा सेकण्ड मेटाटार्सल कोण अनफिट है। गोखरु, कॉर्न्स या कॉलोसिटीज के साथ किसी भी डिग्री का हॉलक्स वाल्गस अनफिट है।

104. हॉलक्स रिगिडस सैन्य सेवा के लिए अनफिट है।

105. बिना लक्षण वाले एकल लचीले माइल्ड हैमर टो को स्वीकार किया जा सकता है। मेटा-टारसों फैलेंजियल जोड़ (पंजे की विकृति) पर कॉर्न्स, कॉलोसिटीज मैलेट-टो या हाइपरटेंशन से जुड़ी स्थायी (कठोर) विकृति या हैमर टो को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

106. पैरों के अंगुलियों की संख्या/उंगली का न होना अस्वीकृति का कारण होगा।

107. निचले अंगों या उनके हिस्सों की विरूपता अस्वीकृति का कारण होगी। जिन उम्मीदवारों के अंगों अथवा पंजे सहित अंग के किसी हिस्से में विच्छेदन होगा उनको प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

108. **पेस प्लानस (फ्लैट फीट)**

(क) यदि पैर की उंगलियों पर खड़े होने पर पैरों के मेहराव फिर से दिखाई देते हैं, यदि उम्मीदवार के पैर की उंगलियों पर अच्छी तरह से उछल और दौड़ सकता है और यदि पैर कोमल, गतिशील और दर्द रहित है, तो उम्मीदवार स्वीकार्य है।

(ख) कठोर या स्थिर फ्लैट पैर, प्लेनोवालगस के साथ ग्रॉस फ्लैट फीट, एड़ी का उलटा होना, ऐसे उम्मीदवार स्वयं को पंजों पर बैलेंस नहीं कर सकते, पैर के अगले हिस्से पर उछल नहीं सकते, कमजोर टार्सल जोड़ो में लगातार दर्द, तालु के सिरे का दिखना अनफिट माना जाएगा। पैर की गतिविधियों का सीमित होना भी अस्वीकृति का कारण होगा। पैर की कठोरता, चाहे पैर का आकार कुछ भी हो अस्वीकृति का कारण होगा।

109. **पेस कैवस और टैलिप्स (क्लब फुट)** - किसी कार्यात्मक सीमा के बिना इडियोपैकिक पेस कैवस की हल्की स्थिति स्वीकार्य है। ऑर्गेनिक रोग के कारण पेस कैवस और मध्यम और गंभीर पेस कैवस को अस्वीकार कर दिया जाएगा। टैलिप्स (क्लब फुट) के सभी मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

110. टखने के जोड़ - पिछली चोटों के बाद संचलन में कोई बड़ी कमी/सीमा स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां भी आवश्यक हो, इमेजिंग के साथ कार्यात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

111. घुटने का जोड़ - किसी भी लिगामेंट शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों की एसीएल पुनर्निमाण सर्जरी हुई है उन्हें अनफिट माना जाएगा।

112. जेनु वल्गम (नॉक नी) के बीच की दूरी पुरूषों में 5 से.मी. से अधिक और महिलाओं में 8 से.मी. से अधिक होने पर अनफिट माना जाएगा।

113. इंटरकॉन्डाइलर दूरी के 7 से.मी. से अधिक होने पर जेनु वरूम (धनुष टांगे) को अनफिट माना जाएगा।

114. **जेनु रिकर्वटम** - यदि घुटने का हाइपरएक्सटेंशन 10 डिग्री के भीतर है और कोई अन्य विरूपता नहीं है तो उम्मीदवार को फिट स्वीकार किया जाना चाहिए।

115. कूल्हे के जोड़ के घाव या गठिया के शुरूआती लक्षण को अस्वीकृत माना जाएगा।

<u>ठीक हुए फ्रैक्चर</u>

116. **<u>इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर</u>** – विशेष रूप से मुख्य जोड़ों (कंधा, कोहनी, कलाई, कुल्हा, घुटना तथा टखना) के सभी इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर, सर्जरी के साथ अथवा सर्जरी के बिना, इंप्लांट के साथ अथवा इसके बिना, को अयोग्य (अनफिट) समझा जाएगा।

117. **<u>एक्सट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर</u>** -

(क) सर्जरी के बाद इंप्लांट इन-सिटु के साथ सभी एक्सट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर को अनफिट समझा जाएगा और इंप्लांट हटाए जाने के न्यूनतम 12 सप्ताह के पश्चात उन पर फिट किए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा।

(ख) सभी लंबी हड्डियों (दोनों ऊपरी तथा निचले अंगों) में चोट के पश्चात न्यूनतम नौ माह की अवधि के बाद ही एक्स्ट्रॉ-आर्टिकुलर चोटों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिनका उपचार परंपरागत तरीके से किया गया है। उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा यदि :-

(i) मैल-अलाइनमेंट / मैल-यूनियन का कोई प्रमाण नहीं है।
(ii) कोई न्यूरो-वॉस्कुलर कमी नहीं है।
(iii) सॉफ्ट ऊत्तकों का कोई ह्रास नही है।
(iv) कोई प्रकार्यात्मक कमी नहीं है।

(v) ओस्टियोमाईलिटिस/सिक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन का कोई प्रमाण नहीं है।

118. परिधीय संवहन तंत्र

119. वेरिकोज़ शिराएं - सक्रिय वेरिकोज़ शिराओं वाले सभी मामलों को अनफिट घोषित किया जाएगा। ऑपरेशन के पश्चात् भी वेरिकोज शिराओं के मामले अनफिट रहेंगे।

120. धमनीय प्रणाली - धमनियों और रक्तवाहिकाओं जैसे ऐन्युरिज्म, धमनी-शोध और बाह्य धमनीय रोग की वर्तमान या पुरानी असामान्यताओं को अनफिट माना जाएगा।

121. लिम्फोइडेमा - पुरानी/वर्तमान बीमारी का मामला उम्मीदवार को अनफिट बनाता है।

केंद्रीय स्नायु तंत्र

122. **मानसिक बीमारी का इतिहास** – मानसिक अस्वस्थता/मनोविकार रोगों से पीड़ित उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

123. **मनोवैज्ञानिक रोगों का पारिवारिक इतिहास** - जब परिवारिक इतिहास में मनोवैज्ञानिक रोगों जैसे नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक बीमारी, या नजदीकी रिश्तेदार की आत्महत्या का पता चलता है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत पूर्व इतिहास की सावधानीपूर्ण जांच की जानी चाहिए। व्यक्तिगत इतिहास या वर्तमान स्थिति में थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का कोई प्रमाण मिलना अस्वीकृत किए जाने का कारण होगा।

124. **मिर्गी (एपिलेप्सी) का पारिवारिक इतिहास** – यदि किसी निकट संबंधी में मिर्गी का पुराना मामला पाया जाता है तो उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए तथा अपील के समय उचित जांच के साथ विस्तृत मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

125. **गंभीर या विदारक सिरदर्द और माइग्रेन** – माइग्रेन से पीड़ित उम्मीदवार जिसे इतना गंभीर माइग्रेन हो कि उसे डॉक्टर से परामर्श लेना पड़े तो वह अस्वीकृत कर दिया जाएगा। दिखने में समस्या या माइग्रेन मिर्गी के साथ माइग्रेन का एक भी दौरा पड़ने पर उम्मीदवार को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

126. **दौरे तथा ऐंठन** – उम्मीदवार में मिर्गी का पुराना मामला अयोग्यता का कारण है। दौरे गंभीर होने पर बेहोशी का रूप ले सकते हैं तथा इसी कारण 'बेहोशी' की आवृत्ति और यह जिन स्थितियों में हुई हो उन्हें स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। चाहे दौरे किसी भी प्रकार के हों, इनके होने पर उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा। बेहोशी के दौरे का अकेला मामला होने पर सभी संबद्ध कारकों की जांच की आवश्यकता है ताकि बेहोशी तथा दौरे के बीच अंतर किया जा सके। गंभीर आंशिक दौरे, उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने के मानदंड हैं।

127. **हीट स्ट्रोक** – हीट स्ट्रोक, हाइपरपीरेक्सिया या गर्मी से थकान के बार-बार पड़ने वाले दौरों का पुराना मामला वायुसेना सेवा की नौकरी से प्रतिबंधित करता है, क्योंकि यह दोषपूर्ण ताप विनियमन तंत्र का प्रमाण है। हीट स्ट्रोक का एक भी गंभीर दौरा, बशर्ते जोखिम का पुराना मामला गंभीर रहा हो, और कोई स्थायी परिणाम स्पष्ट न हुआ हो, तो यह स्वयं में उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने का कारण नहीं है।

128. **<u>सिर में चोट या आघात</u> –** सिर में गंभीर चोट/खोपड़ी का फ्रेक्चर/अंतर-कपालीय क्षति का पुराना मामला या कैल्वेरिया में कोई अवशिष्ट हड्डी दोष अनफिट होने का कारण है। सिर में किसी भी छिद्र (burr holes) का होना अस्वीकृति का कारण होगा।

129. **<u>मनोविकृति</u> –** मनोविकृति से पीड़ित सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। किसी भी रूप में नशीली दवाओं पर निर्भरता भी अस्वीकृति का कारण होगी।

130. **<u>साइकोन्यूरोसिस</u> –** मानसिक रूप से अस्थिर तथा विक्षिप्त व्यक्ति कमीशन के लिए अनफिट होते हैं। किशोर तथा वयस्क अपराध, नर्वस ब्रेकडाउन का पुराना मामला या पुरानी बीमारियाँ अस्वीकृति का कारण हैं।

131. **<u>जैविक तंत्रिका संबंधी स्थितियां</u> –** तंत्रिका संबंधी कोई भी स्पष्ट कमी अस्वीकृति का कारण होगी।

132. **<u>कंपन</u> –** उम्मीदवार को आश्वस्त करने के बाद भी लगातार कम्पन होने पर उसे अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। अपील करने पर केवल रोगात्मक कंपन के आधार पर ही उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा।

133. **<u>हकलाना</u> –** हकलाने वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। हकलाना अनफिट होने का कारण होगा, भले ही पहली बार इसका पता अपील मेडिकल बोर्ड के समय चला हो।

134. परिवार में या स्वयं उम्मीदवार में मानसिक विकार का कोई पुराना मामला या बौद्धिक, भावनात्मक या आचरण संबंधी विकार या मनोदैहिक विकारों के लक्षण होने पर उसे अनफिट घोषित किया जाना चाहिए तथा यह मनोचिकित्सक द्वारा अपील के समय विस्तृत मूल्यांकन तथा उचित जांच के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

135. **हाइपरस्टोसिस फ्रंटलिस इंटर्ना** को किसी अन्य मेटाबॉलिक असामान्यता की अनुपस्थिति में फिट माना जाएगा।

<u>कान, नाक तथा गला</u>

136. **<u>नाक तथा पैरा-नेजल साइनस</u>**

(क) **<u>नाक की बाहरी विकृति या नेजल सेप्टम का मुड़ा होना।</u>**

(i) अनफिट – नाक की गंभीर बाह्य विकृति, जो कॉस्मेटिक विकृति या चिन्हित सेप्टल के अपने स्थान से हटने के परिणामस्वरूप मुक्त रूप से श्वास लेने में बाधा उत्पन्न करती है।

(ii) अपील पर –वायुमार्ग के पर्याप्त खुलेपन के साथ अवशिष्ट हल्के विचलन के साथ सर्जरी के चार सप्ताह बाद पोस्ट सुधारात्मक सर्जरी, स्वीकार्य होगी।

(ख) **<u>सेप्टल छिद्रण</u> –** अनफिट

(i) अपील पर – कोई भी पूर्ववर्ती सेप्टल छिद्रण जो सबसे बड़े आयाम में 01 सेमी से अधिक हो, अस्वीकृति का आधार है। एक सेप्टल छिद्रण जो नाक की विकृति माना जाता

है, का संबंध नाक की पपड़ी, एपिस्टेक्सिस तथा दाने के समान भले ही आकार कैसा भी है और यह अस्वीकृति का आधार है।

(ग) एट्रोफिक राइनाइटिस – अनफिट

(घ) एलर्जिक राइनाइटिस/वासोमोटर राइनाइटिस का संकेत देने वाले किसी भी पुराने मामले/क्लिनिकल प्रमाण को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए।

(ङ) पेरा-नेजल साइनस का कोई भी संक्रमण अनफिट माना जाएगा। अपील मेडिकल बोर्ड में सफल उपचार के बाद ऐसे मामलों को स्वीकार किया जा सकता है।

(च) **नेजल पोलीपोसिस** – अनफिट (उपचारित या अनुपचारित)

137. **ओरल केविटी**

(क) **(अनफिट)**

(i) ल्यूकोप्लेकिया, इरिथरोप्लेकिया, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, अंकाइलोग्लोसिया तथा ओरल कारसीनोमा के वर्तमान/ऑपरेटेड मामले।

(ii) वर्तमान समय में मुंह के छाले (ओरल अल्सर)/ग्रोथ तथा म्यूकस रिटेंशन सिस्ट।

(iii) किसी भी कारण से ट्रिसमस।

(iv) सर्जरी होने के बाद भी कलेफ्ट पालेट, अस्वीकृति का कारण होगा।

(ख) **फिट**

(i) सिद्ध बेनाइन हिस्टोपैथोलॉजी की स्थिति में सर्जरी के चार सप्ताह बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके मुंह के छाले (ओरल अल्सर)।

(ii) किसी पुनरावृति के बिना तथा सिद्ध बेनाइन हिस्टोलॉजी के साथ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट के ऑपरेटेड मामले।

(iii) बिफिड युवुला के साथ अथवा उसके बिना यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन पैदा करने वाले पैलेट के सब-म्यूकस क्लेफ्ट को ईएनटी विशेषज्ञ स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि पी टी ए, टिम्पेनोमेट्री और बोलना सामान्य हो।

138. **फैरिन्क्स और लैरिंक्सः**- अस्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगीः

(क) फैरिन्क्स की कोई अलसरेटिव बृहत क्षति

(ख) जिन उम्मीदवारों में टॉन्सिलेक्टोमी दिखाई देता है, उनको सफल सर्जरी के न्यूनतम चार सप्ताह बाद स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कोई जटिलता न हो तथा हिस्टोलॉजी सुसाध्य हो।

(ग) क्लेफ्ट पैलेट

(घ) फैरिन्क्स और लैरिंक्स में किसी प्रकार की खराब स्थिति जिससे स्थायी स्वर-भंग या डिस्फोनिया हो जाता है।

(च) क्रोनिक लैरिन्जाइटिस, वोकल कॉर्ड पाल्सी, लैरिंगियल पॉलिप्स और ग्रोथ।

139. **यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन** – अनफिट – यूस्टेशियन ट्यूब की रूकावट या अपर्याप्तता अस्वीकृति का कारण होगी। सेवा में उम्मीदवारों को स्वीकार करने से पहले एल्टीट्यूट चेंबर ईयर क्लीयरेंस टेस्ट किया जाएगा।

140. **टिनिटस** – अनफिट

141. **<u>मोशन सिकनेस के प्रति संवेदनशीलता</u>** - मोशन सिकनेस की किसी भी संवेदनशीलता के लिए भी विशिष्ट जांच की जानी चाहिए। इस आशय की पुष्टि ए एफ एम एस एफ-2 में किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और अगर मोशन सिकनेस के लिए अतिसंवेदनशील पाए जाते हैं, तो उन्हें **उड़ान ड्यूटी के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा**। किसी भी कारण से पेरिकेरल वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन का कोई भी प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

142. **<u>कम सुनाई देना</u>** -निम्नलिखित स्वीकार्य नहीं हैं –

(क) सी वी/एफ डब्ल्यू में 600 सेमी से कम किसी प्रकार की कमी।

(ख) पी टी ए पर 250 से 8000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों में 20 डी बी से अधिक ऑडियोमेट्रिक की कमी।

143. **<u>बाहरी कान</u>**- बाह्य कान के निम्नलिखित दोषों को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए:-

(क) पिन्ना की गंभीर विकृति जो वर्दी/व्यक्तिगत किट/सुरक्षात्मक उपकरण पहनने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, अथवा जो सैन्य आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

(ख) क्रॉनिक ओटिटिस एक्सटर्ना के मामले।

(ग) कोई भी स्थिति (कान का मैल, बाह्य श्रवण नाल का अट्रेसिया/संकीर्ण होना या रसौली, नलिका की अतिरंजित टेढ़ी-मेढ़ी बनावट, बाह्य श्रवणनाल की हड्डीदार वृद्धि) जो टिम्पेनिक झिल्ली के उचित दृश्य को बाधित करती है।

(घ) बाहरी श्रवण नलिका में कणिकायन या पॉलीप।

144. **<u>मिडिल इयर</u>** – मिडिल इयर की निम्नलिखित स्थितियां अस्वीकृति का कारण होंगी:-

(क) **<u>ओटिटिस मीडिया</u> –** किसी भी प्रकार के मौजूदा ओटिटिस मीडिया को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक हो चुके क्रोनिक ओटिटिस मीडिया (टिम्पेनोस्क्लेरोसिस/टिम्पेनिक झिल्ली के निशान के रूप में केवल टिम्पेनिक झिल्ली के पार्स टेंसा भाग को प्रभावित करने वाले) और टिम्पेनोप्लास्टी/मायरिंगोटॉमी के सभी ऑपरेशन किए गए मामलों का मूल्यांकन ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा और यदि प्योर टोन ऑडियोमेट्री पीटीए और टिम्पेनोमेट्री सामान्य हैं तो वे स्वीकार्य होंगे। अपील पर, यदि संकेत दिया जाता है, तो एयरक्रू, एटीसी/एफसी, पनडुब्बी/गोताखोरों के लिए डिकंप्रेशन चैंबर का परीक्षण किया जा सकता है।

(ख) किसी भी प्रकार की टीएम परफोरेशन या टिमपोनिक मेमब्रेन के पार्स फ्लेसिडा में ठीक हुआ परफोरेशन/ रिट्रेक्शन अनफिट माना जाएगा।

(ग) न्यूमेटिक ओटोस्कोपी में टीएम मोबिलिटी में चिह्नित प्रत्यावर्तन (मार्क्ड रिट्रेक्शन) अथवा बाधा का देखा जाना।

(घ) टाइप 'ए' टिमपेनोग्राम के अलावा कोई दूसरा पैटर्न दिखाने वाली टिमपेनोमेट्री।

(च) किसी भी प्रकार का श्रवण यंत्र जैसे कि कोकलियर इंप्लाट, बोन एंकर हियरिंग ऐड इत्यादि।

(छ) मिडिल इयर सर्जरी के बाद जैसे कि स्टेपिडक्टमी, ओसिकुलोप्लास्टी या किसी भी प्रकार की मास्टोइडक्टमी।

145. **कान की विविध स्थितियां** – कान की निम्नलिखित स्थितियां अस्वीकृति का कारण होंगी

(क) ओटोसक्लीरोसिस।

(ख) मिनियरी डिज़ीज़।

(ग) वेस्टीबुलर डिस्फंक्शन जिसमें वेस्टीबूलर ओरिजिन के निस्टेगम्स शामिल हैं।

(घ) कान में संक्रमण के बाद होने वाली बेल्स पाल्सी।

ऑपथेलमिक सिस्टम

146. **चिकित्सकीय जांच के परिणाम**

(क) उम्मीदवार, जो चश्मा पहनते है या जिन्हें दृष्टि दोष है, को उचित तरीके से जांचा जाना चाहिए। भेंगेपन (स्किवंट) के सभी मामले अनफिट माने जाएंगे।

(ख) **टॉसिस (PTOSIS)**

(i) उम्मीदवार, जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते है वे **फिट** हैं।

(कक) माइल्ड टॉसिस

(कख) क्लियर विजुअल एक्सिस

(कग) नॉर्मल विजुअल फील्ड

(कघ) अबेरेंट डीजनरेशन/हेड टिल्ट/हॉर्नर सिन्ड्रोम के कोई निशान न हो।

(ii) अन्य सभी मामले – **अनफिट**

(iii) अपील करने पर- उम्मीदवार जिन्होंने सर्जिकल करेक्शन किया है, को योग्य माना जा सकता है बशर्ते सर्जरी के बाद एक वर्ष बीत गया हो और कोई रिअकरेंस न हुआ हो ऊपर उल्लिखित मापदंड पूरे हो रहे हों और अपर आईलिड सुपीरियर लिंबस से 02 मीमी से अधिक नीचे न हो।

(ग) **एक्सट्रोपिया** – अनफिट

(घ) **एनिसोकोरिया** – यदि पुतलियों के बीच का अंतर 01 मि.मी से अधिक है, तो उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

(ङ) **हेट्रोक्रोमिया इरिडीस** – अनफिट

(च) **स्फिन्कटर टियर्स** - यदि पुतलियों के बीच का अंतर 01 मी.मी से कम है, तो उम्मीदवार को योग्य फिट जा सकता है, बशर्ते प्यूपिलियरी रिफ्लेक्सेस कॉर्निया, लेंस या रेटिना में कोई पेथोलोजी नहीं हो और ब्रिस्क हो।

(छ) **सूडोफेकिया**- अनफिट

(ज) **ब्लिफेरिटिस** – ब्लिफेरिटिस वाले उम्मीदवार, विशेषतः जिनकी पलकें न हों को अस्वीकृत किया जाए।

(झ) **इक्ट्रोपियन/एनट्रोपियन** - इन मामलों को अनफिट माना जाए। अपील करने पर, माइल्ड इक्ट्रोपियन और एनट्रोपियन, जो नेत्र विशेषज्ञ के मतानुसार दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, को फिट माना जा सकता है।

(ञ) **टेरिजियम (Pteregium)** – टेरिजियम के सभी मामलों को अनफिट माना जाए। अपील करने पर, रिग्रेसिव नॉन-वस्कूलराइजड टेरिजियम, जो पेरिफेरल कॉर्निया पर 1.5 मीमी से कम जगह ले रहा हो, को नेत्र विशेषज्ञ द्वारा स्लिट लैंप पर जांचने के बाद फिट माना जा सकता है।

(ट) **निस्टेगमस** – निस्टेगमस के सभी मामले केवल फिजियोलॉजिकल निस्टेगमस को छोड़ कर अनफिट माने जाएं।

(ठ) एपीकोरा उत्पन्न करने वाले नेसो-लेक्रिमल डक्ट ओकल्शन या म्यूकोसिल अस्वीकृति का कारण होंगे।

(ड) सक्रिय यूवेइटिस (इरिटिस, साइक्लीटिस एवं कोरोडिटिस) अस्वीकृति का कारण होंगे। पूर्व में इस स्थिति का होना भी अनफिट होने का कारण होगा।

(ढ) **कॉर्निया**

(i) अनफिट

(कक) कॉर्नियल स्कार/ओपेसिटिज

(कख) कोई भी उम्मीदवार जिसे प्रोग्रेसिव कॉर्नियल डिस्ऑडर हो जैसे कि कॉर्नियल डाइस्ट्रोफिस, केराटोकोनस, केराटोग्लोबस, कोई भी कॉर्नियल डिजनरेशन हो।

(कग) कोई सक्रिय कॉर्नियल डिसऑडर

(ii) अपील करने पर, कॉर्नियल स्कार स्वीकार्य है यदि वह देखने में बाधा उत्पन्न न करें।

(ण) **लेंटिकुलर ओपेसिटी**- अनफिट

अपील करने पर

(i) अनफिट - कोई भी लेंटीकुलर ओपेसिटी, जो दृश्य क्षति का कारण बनती है, या विजुअल एक्सीस या सेंट्रल एरिया में पुतलियों के आसपास 04 मि मी के क्षेत्र में है। बार-बार ओपेसिटी होने की प्रवृत्ति आकार में न बढ़े और उनकी संख्या का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ii) फिट - जन्मजात नीले बिंदु मोतियाबिंद जैसी परिधि में छोटी स्टेशनरी लेंटिकुलर ऑपेसिटीज के विजुअल फील्ड को प्रभावित न करने पर (संख्या 10 से कम हो और 04 मि मी केन्द्रीय क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए)।

(त) **ऑप्टिक नर्व ड्रुसेन** – अनफिट

(थ) **हाईकप-डिस्क अनुपातः** उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा अगर निम्नलिखित में से कोई स्थिति विद्यमान हो-

(i) कप डिस्क अनुपात >0.2 में इंटर-आई एसिमेट्री

(ii) ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी (ओसीटी) से आर एन एफ एस विश्लेषण करने पर रेटिनल नर्व फाइबर लेयर (आर एन एफ एल) दोष देखा जाना।

(iii) विजुअल फील्ड विश्लेषक द्वारा विजुअल फील्ड दोष का पता लगना।

(द) विजुअल सिम्पटम के साथ माइग्रेन एक ऑक्यूलर समस्या नहीं है और इसे पैरा 124 के अनुसार जांचा जाना चाहिए।

(ध) चूंकि रतौंधी का टेस्ट नियमित रूप से नहीं किया जाता है, इसलिए सभी मामलों में प्रत्येक उम्मीदवार को रतौंधी न होने का प्रमाणपत्र देना होगा। प्रमाणपत्र इस अधिनियम के **परिशिष्ट ग** के अनुसार होना चाहिए। रंतौंधी होने का प्रमाणित मामला अनफिट है।

(न) किसी भी दिशा में आईबॉल की गति का प्रतिबंध तथा आईबॉल का अनुचित डिप्रेशन प्रॉमिनेंस अनफिट होने का कारण है।

(प) **रेटिनल घाव**- रेटिना परिधि में ठीक हो चुका एक छोटा कोरियो-रेटिनल घाव, जो दृष्टि को प्रभावित नहीं करता है तथा किसी अन्य जटिलता से संबंधित नहीं है, उसे फिट माना जाएगा। इस प्रकार, परिधि में एक छोटा जालीदार निशान, जिसमें कोई अन्य जटिलता नहीं है, उसे फिट माना जाएगा। **सेंट्रल फंडूस में कोई घाव होने पर अनफिट माना जाएगा।**

(फ) **लैटिस डिजनरेशन**

(i) निम्नलिखित लैटिस डिजनरेशन उम्मीदवार के अनफिट होने का कारण होगा:-

(कक) किसी एक या दोनों आँखों में एकल परिधिक/वृत्ताकार लैटिस का विस्तार 2 घंटे से अधिक होना।

(कख) किसी एक या दोनों आँखों में दो परिधिक/वृत्तकार लैटिस में से प्रत्येक का विस्तार 1 घंटे से अधिक होना।

(कग) रेडियल लैटिस।

(कघ) एट्रोफिक होल/फ्लैप टियर्स के साथ कोई लैटिस।

(कच) इक्वेटर के पीछे लैटिस अपविकास (डिजनरेशन)।

(ii) लैटिस डिजनरेशन से प्रभावित उम्मीदवार निम्नलिखित स्थितियों में फिट माने जाएंगे:-

(कक) एक या दोनों आँखों में दो घंटे से कम समय की छिद्र रहित एक सर्कमफ्रेंशीयल लेटिस।

(कख) छिद्र रहित दो सर्कमफ्रेंशीएल लेटिस, जिनमें प्रत्येक का विस्तार एक या दोनों आँखों में दो घण्टे से कम समय में विस्तार हो।

(कग) पोस्ट-लेजर डिलिमेटेशन, एकल सर्कमफ्रेंशीएल लेटिस का छिद्र/फ्लैप टियर के बिना एक या दोनों आँखों में दो घंटे से कम समय में विस्तार।

(कघ) पोस्ट लेजर डिलिमिटेशन, दो सर्कमफ्रेंशीएल लेटिस छिद्र/फ्लैप टियर के बिना प्रत्येक का एक या दोनों आँखों में एक घंटे से कम समय में विस्तार होता हो।

(x) **केराटोकोनस** - केराटोकोनस अनफिट है।

147. **दृश्य तीक्ष्णता/रंगबोधक दृष्टि** – इस अध्याय के **परिशिष्ट 'घ'** में दृश्य तीक्ष्णता और रंग दृष्टि संबंधी अपेक्षाओं का विवरण दिया गया है। जो इन अपेक्षाओं के पूरा नहीं करते, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

148. **मायोपिया**

(क) अनफिट, यदि निर्धारित दृश्य सीमा से बाहर हो।

(ख) अनफिट, यदि उपयुक्त दृश्य तीक्ष्णता स्वीकार्य सीमा के भीतर भी हो बशर्ते-

(i) उच्च मायोपिया का पारिवारिक इतिहास है, विशेष रूप से जब यह दृष्टि दोष हाल में ही हुआ है।

(ii) यदि शारीरिक विकास अभी भी प्रत्याशित है।

(iii) यदि फंडुस की उपस्थिति प्रोग्रेसिव मायोपिया का सूचक है।

149. **रिफ्रेक्टिव सर्जरी-** वायुसेना के सभी शाखाओं में कमीशन प्रदान करने के लिए जिन उम्मीदवारों ने केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी (पी आर के, लेसिक, फेमटो लेसिक, इस्माइल या सामान प्रक्रियाएं) करवाई है उनका निपटान इस प्रकार होगा-

(क) **फिट**

(i) पैरा **146** के परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित शाखा के लिए दृश्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले भा.वा.से के उम्मीदवार। उन शाखाओं के लिए जहां सुधारात्मक अपवर्तक त्रुटियों की अनुमति है वहां ऐसी प्रक्रिया के बाद अवशिष्ट अपवर्तन +/- 1.0 डी एसपीएच या सी वाई एल से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं होनी चाहिए।

(iii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के बाद किसी समस्या के बिना से कम से कम 12 महीनें बीत गए हो।

(iv) आँख की अक्षीय लंबाई 26 एम एम से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि आई ओ एल मास्टर द्वारा मापा जाता है।

(v) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के बाद कॉर्नियल पेकीमीटर से मापे जाने पर कॉर्नियल की मोटाई 450 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) **अनफिट**

(i) रिफ्रेक्टिव एरर के सुधार के लिए रेडियल केराटोटॉमी (आरके) सर्जरी।

(ii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के पहले उच्च रिफ्रेक्टिव एरर (>6 डी) वाले व्यक्ति।

150. **मोतियाबिंद सर्जरी** – आई ओ एल इम्पलांट के साथ अथवा इसके बिना मोतियाबिंद की सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

151. **नेत्र की अन्य सर्जरी**- जिन उम्मीदवारों ने किसी भी प्रकार की इनवेसिव सर्जरी करवाई हो, जैसे कि इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस (आईसीएल), ट्रेबेक्यूलेक्टोमी, इम्प्लांट के साथ या बिना ग्लूकोमा सर्जरी, राइबोफ्लेविन (सी3आर) के साथ कॉर्नियल कोलेजन क्रॉसलिंकिंग, आईएनटीएसीएस, कोई भी इंट्रा ऑक्यूलर इंजेक्शन, रेटिनल सर्जरी आदि, उन्हें अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

ऑक्यूलर मांसपेशी संतुलन

152. स्पष्ट रूप से भेंगे व्यक्ति कमीशन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

153. वायुकर्मी के मामले में अप्रत्यक्ष भेंगेपन अथवा हेटरोफोरिया का मूल्यांकन मुख्य रुप से फ्यूजन क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होगा। अच्छे फ्यूजन संवेदन से तनाव और थकान में भी दोनों आंखों की दृष्टि सुनिश्चित होती है। अतः यह स्वीकार्यता का मुख्य मानदंड है।

(क) **कन्वर्जेन्स (आर ए एफ नियम के अनुसार मूल्यांकित)**

(i) **ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस**

(कक) 10 सेमी तक – फिट

(कख) 10 सेमी से अधिक - अनफिट

(ii) **सब्जेक्टिव कन्वर्जेंस (एससी)** यह कन्वर्जेंस के दाब में बाइनोक्युलर विजन के अंतिम सिरों को दर्शाता है। यदि सब्जेक्टिन कन्वर्जेंस, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस की सीमा से 10 सेमी से ज्यादा होता है तो फ्यूज़न क्षमता खराब होती है। यह विशेषतः तब होता है जब ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस 10 सेमी और इससे ऊपर होता है।

(ख) **समंजन (अकॉमडेशन)** – मायोप्स के मामले में, करैक्टिव चश्मा ठीक से लगा कर ही समंजन (अकॉमडेशन) का मूल्यांकन किया जाएगा। विभिन्न आयु वर्गों में समंजन (अकॉमडेशन) के स्वीकार्य मान सारणी 1 में दिए गए है।

सारणी -1 समंजन (अकॉमडेशन) मान – आयुवार

आयु (वर्षों में)	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
समंजन (सेमी में)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

154. नेत्र मांसपेशी संतुलन गतिशील है और एकाग्रता, चिंता, थकान, हाइपोक्सिया, दवाओं और शराब के साथ बदलता रहता है। अंतिम मूल्यांकन के लिए उपर्युक्त परीक्षणों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। नेत्र मांसपेशी संतुलन के मूल्यांकन के लिए मानक इस अध्याय के परिशिष्ट च में विस्तृत हैं।

155 मीडिया (कॉर्निया, लेंस, विट्रियस) अथवा फंडूस में पाया गया कोई चिकित्सकीय जांच परिणाम जो कि पैथोलॉजिकल प्रवृत्ति का हो और जिसके बढ़ने की संभावना हो, वह अस्वीकृति का कारण होगा। यह जांच स्लिट लैंप और माइड्रियासिस के तहत ऑप्थेलमोस्कॉपी द्वारा की जाएगी।

परिशिष्ट – ग

[ऑप्थेलमोलॉजी मानकों का पैरा 2 (एम) देखें]

रतौंधी से संबंधित प्रमाणपत्र

नाम, आद्याक्षर सहित_____बैच संख्या_____ चेस्ट संख्या_____

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे परिवार में रतौंधी का कोई मामला नहीं है और मुझे रतौंधी नहीं है।

दिनांकः (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(चिकित्सा अधिकारी का नाम)

परिशिष्ट – घ
(ऑप्थल्मोलोजी मानकों का
उपर्युक्त पैरा 3 देखें)

प्रारंभिक प्रवेश पर पुरूष/महिला उम्मीदवारों के लिए विज्युअल स्टैंडर्ड

क्र. सं.	चिकित्सा श्रेणी	शाखा	रिफ्रेक्टिव ऐरर की अधिकतम सीमाएँ	अधिकतम सुधार की सीमाओं के साथ विजुअल एक्यूटी(वीए)	रंग (विजन)
1.	ए1जी1	एनडीए तथा एएफए में फ्लाइंग शाखा तथा डब्ल्यूएसओ सहित एफ (पी)	हाइपरमैट्रोपिया+ 1.5 डी एसपीएच मैनिफेस्ट मायोपिया: शून्य ऐस्टिग्मैटिज्म: + 0.75 डी सीवाईएल (अधिकतम +1.5 डी के अंदर) रैटिनोस्कोपिक मायोपिया : शून्य	एक आँख में 6/6 तथा दूसरी में 6/9, हाइपरमैट्रोपिया के लिए 6/6 तक सुधार योग्य	सीपी-I
2.	ए4जी1	10+2/ एनडीए भारतीय वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में एंट्री (वैमानिकी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक) एई (एल), प्रशासनिक, लॉजिस्टिक)	हाइपरमेट्रोपिया: + 2.5डी गोलाकार मायोपिया: -2.5डी गोलाकार आस्टिमैटिज्म: +/- 2.0D सिलेंड्रीकल	अनउपचारित VA 6/36 और 6/36 अच्छे से उपचारित VA 6/6 और 6/6	सीपी-II

टिप्पणी-1 संख्या 1 तथा 2 में दिए कार्मिकों का ऑक्यूलर मसल्स बैलेंस इस अध्याय के परिशिष्ट 'ड़' के अनुरूप होना अनिवार्य है।

टिप्पणी-2 एनडीए के एयरविंग के उम्मीदवारों तथा एएफए में एफ (पी) के उड़ान कैडेटों के दृश्यता मानक ए1 जी1 एफ (पी) मानक के अनुरूप होने चाहिए। (परिशिष्ट घ के क्रम सं. 1)

टिप्पणी-3 ऊपर वर्णित एस पी एच के सुधार कारकों में विनिर्दिष्ट एस्टिगमैटिक सुधार कारक भी शामिल हैं। विनिर्दिष्ट विजुअल एक्यूटी स्टैंडर्ड तक न्यूनतम संशोधन के कारकों को स्वीकार किया जा सकता है।

परिशिष्ट – ङ

(पैरा 154 देखें)

फ्लाइंग ड्यूटी के लिए नेत्र मांसपेशियों के संतुलन के मानक

क्र.सं.	टेस्ट	फिट
1.	06 मी पर मैडोक्स रॉड टेस्ट	एक्सो – 06 प्रिज्म डी ईएसओ – 06 प्रिज्म डी हाइपर – 01 प्रिज्म डी हाइपो – 01 प्रिज्म डी
2.	33 सेमी पर मैडोक्स रॉड टेस्ट	एक्सो – 16 प्रिज्म डी ईएसओ – 06 प्रिज्म डी हाइपर – 01 प्रिज्म डी हाइपो – 01 प्रिज्म डी
3.	टी एन ओ टेस्ट या टिटमस फ्लाई टेस्ट	सभी बी एस वी ग्रेड
4.	कन्वरजेंस	10 सेमी तक
5.	दूर और नजदीक के लिए कवर टेस्ट	अंतर्निहित विचलन/ कन्वर्जेन्स रिकवरी तीव्र एवं पूर्ण

हीमोपोइटिक सिस्टम

156. एस एम बी के दौरान एनीमिया के सभी मामलों (पुरुषों में <13 ग्रा/डीएल तथा महिलाओं में <12 ग्रा./डीएल) को अनफिट माना जाएगा।

157. ऐसे सभी उम्मीदवार जो वंशानुगत हीमोलाइटिक एनीमिया (लाल कोशिका झिल्ली में विकृति के कारण या लाल कोशिका में एंजाइम की कमी के कारण) तथा हीमोग्लोबिनोपैथिज (सिकल सैल रोग, बीटा-थैलेसिमिया: मेजर, इंटरमीडिया, माइनर, ट्रेट तथा अल्फा थैलेसीमिया इत्यादि) से पीड़ित हैं, उन्हें सेवा के लिए अनफिट माना जाएगा।

158. हीमोफीलिया या वॉन विलेब्रांड रोग के पुराने मामलों वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए। पर्पुरा या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नैदानिक प्रमाण वाले उम्मीदवारों को अनफिट माना जाना चाहिए। पर्पुरा सिंप्लेक्स (सरल आसान चोट) के मामले, जो अन्यथा स्वस्थ महिलाओं में देखा जाने वाला एक सौम्य विकार है, को स्वीकार किया जा सकता है।

159. **मोनोसाइटोसिस** : 1000/सी यू एम एम से अधिक या कुल डब्ल्यू बी सी के 10% से अधिक या के बराबर पूर्ण मोनोसाइट काउंट को अनफिट माना जाएगा।

160. **इओसिनोफिलिया** : पूर्ण इओसिनोफिलिया काउंट यदि 500/सी यू एम एम से अधिक या बराबर है तो उन्हें अनफिट माना जाएगा।

161. पुरुषों में 16.5 ग्राम/डी एल से अधिक तथा महिलाओं में 16 ग्राम/डी एल से अधिक हीमोग्लोबिन को पॉलिसीथिमिया माना जाएगा और उन्हें अनफिट श्रेणी में रखा जाएगा।

दंत संबंधी स्वस्थता मानक

162. **दंत संबंधी मानक (डेंटल स्टैंडर्ड)**

(क) उम्मीदवार के न्यूतम 14 डेंटल प्वाइंट होने चाहिए और ऊपरी जबड़े में उपस्थित निम्नलिखित दांत निचले जबड़े के तदनुरूपी दांत के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए।

(i) छह एंटीरियर में से कोई चार

(ii) दस पोस्टीरियर में से कोई छह

(ख) ऊपरिलिखित दंत मानकों का पालन किया जाए और जो उम्मीदवार इन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं,उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

163. **मुँह की अतिरिक्त जांच**

(क) **चेहरे की पूरी जांच** – किसी असिमेट्री अथवा सॉफ्ट/हार्ड टिशु डिफेक्ट/स्कार्स अथवा जबड़े की कोई इनसिपिंट पैथोलॉजिकल दशा का संदेह होने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) **क्रियात्मक जांच**

(i) **टेम्पोरो-मेनडिब्यूलर ज्वाइंट (टी एम जे)** – टेंडरनेस तथा/अथवा क्लिकिंग के लिए टी एम जे को दुतरफा रूप से स्पर्श करके देखा जाएगा। उम्मीदवार जिनमें रोग सूचक क्लिकिंग तथा/अथवा टेंडरनेस है अथवा अधिक खोलने पर टी एम जे हट जाता है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) **मुख खोलना** – इन्सिजल किनारों पर 30 एम एम से कम मुख खुलना, अस्वीकृति का कारण होगा।

164. **विशेष परिस्थितियों में डेंटल प्वाइंटों के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश**

(क) दंत क्षय (क्षरण) – डेंटल कैरीज वाले दांत जिन्हें ठीक नहीं किया गया हो अथवा दांत के क्षतिग्रस्त क्राउन, जिनकी पल्प (मज्जा) दिखाई देती हो, रेजिड्युअल रूट स्टम्प्स हो, एब्सेसिस (विदध्रि) वाले दंत तथा/अथवा साइनस वाले दंत को डेंटल प्वाइंटों के निर्धारण हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) रेस्टोरेशन्स – ऐसे दांत जिनका पुन: स्थापन (रेस्टोरेशन) हुआ हो, लेकिन वे टेढ़े-मेढ़े/टूटे हुए/बदरंग दिखाई देते हों, उन्हें डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे। जिन दांतों का रेस्टोरेशन अनुपयुक्त सामग्री से किया गया हो, अस्थायी अथवा फ्रेक्चर होने पर रेस्टोरेशन हो तथा जिनकी संदेह-युक्त न्यूनतम सुस्वस्थता हो अथवा पेरि-एपिकल पैथोलॉजी को डेंटल प्वाइंट निर्धारण करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ग) दांतों का हिलना – हिले हुए दांत जिनमें चिकित्सकीय (रोग विषयक) रूप से मोबिलिटी दिखाई देती हो, उन्हें डेंटल प्वाइंट निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

(घ) रिटेण्ड डेसीडुअस दांत – रिटेण्ड डेसीडुअस दांत को डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे।

(ड) आकृति मूलक कमियां – आकृतिमूलक कमियों वाले दांत जिनसे ठीक ढंग से चबाया जाना बाधित होता हो, उन्हें डेंटल प्वाइंट प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(च) पीरियोडोंटियम

(i) मसूड़ों की स्थिति, डेंटल प्वाइंट्स गणना हेतु शामिल होगी, इनका स्वस्थ होना आवश्यक है अर्थात् गुलाबी रंग के हों, सुसंगत हों तथा दांतों पर मजबूती से कसे हों, दिखाई देने वाले कैलकुलस नहीं होनी चाहिए।

(ii) व्यक्ति जिनके दांत पीरियोडोन्टिटाइस (सूजे, लाल अथवा संक्रमित मसूढ़े हों या दांतों में स्पष्टत: दिखाई देने वाले कैलकुलस हों) से ग्रस्त हों, उन्हें डेंटल प्वाइंट प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(iii) गंभीर पेरियोडोंटल रोग से ग्रस्त (सामान्य कैलकुलस वाले उम्मीदवार जिनके मसूढ़ों में अधिक सूजन है एवं मसूढ़े लाल हैं और जिनमें रिसाव हो रहा हो अथवा न हो,) उम्मीदवारों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि पेरियोडॉन्टल रोग गंभीर नहीं है तथा दांत स्वस्थ हैं एवं दंत-चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे निकाले जाने के अलावा सरल पेरियोडॉन्टल थेरेपी द्वारा ठीक किया जा सकता है तो उम्मीदवार को स्वीकार किया जा सकता है।

(छ) कुसंयोजन (मेलोक्लूजन) – मेलोक्लूजन वाले ऐसे उम्मीदवारों जिनकी मेस्टीकेटरी दक्षता एवं फोनिटिक्स उससे प्रभावित हो, का चयन नहीं किया जाएगा। ओपन बाइट टीथ (दांत) को डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें कार्यात्मक स्थिति में नहीं माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार

जिनमें ओपन बाइट है, रिवर्स ओवरजेट है अथवा कोई अन्य मेलोक्लूसियन दिखाई देने वाला है, तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तथापि, यदि डेंटल अधिकारी की यह राय है कि मेलोक्लूसियन के कारण दांतों के के ठीक ढंग से चबाने फोनेटिक्स, ओरल हायजीन बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण अथवा ड्यूटी को भली-भांति निष्पादित करने में कोई बाधा नहीं है तो उम्मीदवार फिट घोषित किया जाएगा। मेलोक्यूशन के आकलन में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा:

(i) <u>एज टू एज बाइट</u> – एज टू एज बाइट को क्रियात्मक स्थिति माना जाएगा।

(ii) <u>एंटीरियर ओपन बाइट</u> - एंटीरियर ओपन बाइट संबंधित दांतों को फंक्शनल अपोजीशन में कमी के रूप में लिया जाता है।

(iii) <u>क्रॉस बाइट</u> – क्रॉस बाइट दांत, जो अभी भी क्रियात्मक ओक्लूजन के रूप में हों, और यदि ऐसा है, तो उन्हें प्वाइंट दिए जाएंगे।

(iv) <u>ट्रॉमेटिक बाइट</u> – यदि एंटीरियर दांतों, से डीप इमर्पिंजिंग बाइट की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, जो पेलेट पर ट्रॉमिक इंडेटेशन उत्पन्न करती हो, तो उसे प्वाइंट देने हेतु नहीं गिना जाएगा।

(ज) <u>कठोर (हार्ड) तथा कोमल (सोफ्ट) ऊतक (टिश्यू)</u> – गाल, होंठ, तालु, जीभ तथा जीभ का निचला भाग व मैक्सिला/मेन्डिबुलर बोनी अपरेटस की जांच किसी भी प्रकार की सूजन, बदरंग होने, अल्सर, स्कार्स, सफेद दाग-धब्बों, सब-म्यूकस फाइब्रोसिस इत्यादि के लिए अवश्य की जाएगी। सभी संभावित घातक घाव अस्वीकृति का कारण हो सकते हैं। मुख खोल पाने की सीमा के साथ या उसके बिना, सब-म्यूकस फोइब्रोसिस हेतु चिकित्सीय निदान (डायग्नॉसिस) अस्वीकृति का कारण होगा। बोनी लेज़न का उनकी पैथोलॉजिकल/फिजियोलॉजिकल प्रकृति जानने हेतु आकलन किया जाएगा और तदनुसार टिप्पणी की जाएगी। कोई भी हार्ड अथवा सॉफ्ट टिश्यू लेज़न अस्वीकृति का कारण होगा।

(झ) <u>ऑर्थोडॉन्टिक उपकरण</u> – फिक्स्ड ऑर्थोडॉन्टिक्स लिंगुअल रीटेनर्स को पेरियोडॉन्टल स्पिलिंट्स नहीं माना जाएगा तथा इन रिटेनरों में शामिल दांतों को फिटनेस हेतु प्वाइंट दिए जाएंगे। उम्मीदवार जो फिक्स्ड अथवा रिमूवेबल ऑर्थोडॉन्टिक उपकरण पहने हों, उन्हें अनफिट घोषित किया जाएगा।

(ट) <u>डेंटल इम्प्लांट्स</u> – इम्प्लांट्स तथा इम्प्लांट्स से सहायता प्राप्त प्रोस्थेसिस को कोई डेंटल प्वाइंट्स प्रदान नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामले जिसमें भूतपूर्व-सैनिक जो पुन:पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें डेंटल प्रोस्थेसिस हटवाने के लिए डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

(ठ) <u>स्थायी पार्शियल डेंचर्स (एफ पी डी)/इम्प्लांट सपोर्टेड एफ पी डी</u> – मजबूती या तथा सामने के दांतों के क्रियात्मक, अपोजिशन तथा एबटमेंट्स के पेरियोडोंटल स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सीय तथा रेडियोलॉजी की सहायता से एफपीडी का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि सारे मानक संतोषजनक पाए जाते हैं तो वास्तविक दांतों के लिए, डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

<u>नोट</u> – किसी भी कृत्रिम अंग, हटाए जाने योग्य/स्थिर या प्रत्यारोपण जनित उस घटक में वास्तविक दांत/दांतों को डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

165. **<u>उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने के निम्नलिखित मानदंड होंगे</u> –**

(क) <u>ओरल हायजीन</u> - ओरल हायजीन की खराब स्थिति के रूप में ग्रोस विजिबल कैलकुलस, पीरियोडॉटल पॉकेट्स तथा/अथवा मसूड़ों से रक्तस्त्राव के रूप में खराब ओरल हेल्थ वाले उम्मीदवार अनफिट घोषित किए जाएंगे।

(ख) <u>मैक्सिलो-फेशियल सर्जरी/मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार</u> - फेशियल सर्जरी/मैक्सिलो-फेशियल ट्रॉमा की सूचना देने वाले उम्मीदवार – जिनकी कॉस्मेटिक अथवा ट्रॉमेटिक मैक्सिलोफेसियल सर्जरी/ट्रॉमा हुआ है, ऐसे उम्मीदवार सर्जरी/इंजरी, जो भी बाद में हो, की तिथि से न्यूनतम 24 सप्ताह के लिए अनफिट होंगे। इस अवधि के पश्चात् यदि कोई

रेजिडुअल (डिफार्मिटी) अथवा कार्यात्मक कमी न हो तो उनका मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) पायरिया के सामान्य एक्टिव घाव (विक्षति) की एडवांस स्टेज से तथा एक्यूट अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस से ग्रसित तथा अत्यधिक असामान्य दांतों तथा जबड़े वाले उम्मीदवार अथवा जिनमें असंख्य कैरिस (दंतक्षय) हो अथवा जो सेप्टिक दांतों से प्रभावित हों, उन्हें अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

<u>महिला उम्मीदवारों का मूल्यांकन</u>

166. **<u>इतिहास-</u>** सामान्य चिकित्सकीय इतिहास के साथ-साथ मासिक धर्म व प्रसूति संबंधी विस्तृत इतिहास भी पूछकर लिखा जाना चाहिए। यदि मासिक धर्म, प्रसूति या पेल्विस संबंधी असामान्यता बताई जाती है तो स्त्री-रोग विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए।

167. **<u>सामान्य चिकित्सकीय एवं शल्य मानक</u>**

(क) स्तन में किसी भी गांठ के चलते अस्वीकार किया जाएगा। स्तन में फाइब्रोएडिनोमा के मामलों को सफलता से सर्जिकल रूप से निकाल देने पर सर्जरी विशेषज्ञ की राय एवं एक सामान्य हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर फिट माना जाएगा।

(ख) गैलेक्टोरिया को अनफिट होने का कारण माना जाएगा। जांच/उपचार के बाद मामले के गुणों एवं ए एम बी के दौरान संबंधित विशेषज्ञ की राय के आधार पर फिट होने के बारे में विचार किया जा सकता है।

(ग) एस एम बी के दौरान अमेज़िया, पॉलिमेज़िया एवं पॉलिथीलिया (अतिरिक्त निपल) को अनफिट माना जाएगा। पॉलिमेज़ियॉ/पॉलिथीलिया के ऑपरेशन वाले मामलों को ऑपरेशन के 12 सप्ताह बाद ही फिट माना जाएगा यदि सर्जरी का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया हो और ऑपरेशन के बाद कोई समस्याएं न उत्पन्न हुई हों।

168. **<u>स्त्री रोग विषयक जांच-</u>** बाह्य जननांगों की किसी भी असामान्यता पर प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(क) निम्नलिखित स्थितियां स्वीकार्य हैः-

(i) सर्विक्स का जन्मजात रुप से इन्ट्राइटस तक बढ़े होना।

(ii) जन्मजात रूप से आर्कुएट प्रकार की गर्भाशय की असामान्यता

(ख) निम्नलिखित स्थितियों के चलते अस्वीकार किया जाएगाः-

(i) मासिक धर्म न होने पर अस्वीकार किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की जांच की जाएगी और ए एम बी के दौरान जांच के बाद गुणों के आधार पर फिटनेस पर विचार किया जाएगा।

(ii) मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्त स्राव और/अथवा अत्यंत कष्ट होना।

(iii) स्ट्रेस युरिनरी इनकांटिनेंस

(iv) जन्म से सर्विक्स का बड़ा होना या पूर्ण प्रोलैप्स जो कि करेक्टिव सर्जरी के बाद भी इन्ट्राइटस के बाहर आ जाता है। (गर्भाशय का पूरा प्रोलैप्स अस्वीकृति का कारण होगा। सर्जिकल करेक्शन के बाद छोटे स्तर पर प्रोलैप्स के गुणों के आधार पर फिटनेस के लिए विचार किया जा सकता है।)

(v) गंभीर या पुराना पेल्विक संक्रमण, एंडोमीट्रियोसिस एवं अडीनोमायोसिस।

(vi) लिंग भेद की असामान्यताएं।

(vii) अत्यधिक अतिरोमता, विशेषतः पुरुषों के सदृश बाल उगना।

(ग) जो अन्य स्त्री रोग संबंधी स्थिति यहां नहीं दी गई हैं, उनपर प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर स्त्री-रोग विशेषज्ञ द्वारा विचार किया जाएगा।

गर्भधारण

169. वर्तमान में गर्भवती होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाएगा। गर्भावस्था के बाद जिस न्यूनतम अवधि के बाद उम्मीदवार का अपील के लिए पुनरावलोकन किया जाएगा, वह इस प्रकार हैः-

(क) **सामान्य प्रसव** किसी जटिलता के बिना हुए सामान्य प्रसव के 24 हफ्तों बाद।

(ख) **एम टी पी/गर्भपात** न्यूनतम 4 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक।

(ग) **सिज़ेरियन सेक्शन** किसी जटिलता के बिना सिज़ेरियन ऑपरेशन द्वारा हुए प्रसव के 52 हफ्तों बाद।

170. उसके बाद व्यक्ति को स्त्री-रोग विशेषज्ञ द्वारा जांचा जाएगा एवं उसके स्वास्थ्य के संबंध में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जिन मामलों में पिछली चिकित्सा जांच की छः महीनों से अधिक समय बीत चुका है, उन मामलों में उम्मीदवार को वर्तमान विनियमों के मुताबिक पूरी चिकित्सकीय जांच को दोहराना होगा।

171. **महिला उम्मीदवारों के लिए निचले उदर एवं पेल्विस की अल्ट्रासोनोग्राफी-** यह वर्तमान आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(क) **फिट**

(i) अकेले छोटे फाइब्राइड वाला अलाक्षणिक गर्भाशय (व्यास में 03 सेंटीमीटर या उससे कम) ।

(ii) व्यास में 06 सेंटीमीटर से कम यूनीलोक्यूलर क्लियर गर्भाशय की रसौली।

(iii) सर्विक्स का जन्मजात रूप से लम्बा होना (जो कि इन्ट्राइटस तक हो) ।

(iv) आर्कुएट यूट्रस प्रकार की जन्मजात गर्भाशय की असामान्यता।

(v) पाउच ऑफ डगलस में न्यूनतम तरल पदार्थ।

(ख) **अनफिट-**

(i) जिन उम्मीदवारों के पाउच ऑफ डगलस में तरल पदार्थ के साथ इंटर्नल एकोज़ भी हों।

(ii) **गर्भाशय-** गर्भाशय का न होना, या आर्कुएट यूट्रस छोड़कर अन्य कोई भी जन्मजात संरचनात्मक असामान्यता।

(iii) **फाइब्राइड्स-**

(कक) दो से अधिक फाइब्राइड, जिनमें से बड़ा वाला आकार में 15 एम एम से बड़ा न हो।

(कख) 03 सेंटीमीटर से अधिक आकार का एकल फाइब्राइड

(कग) एंडोमौट्रियल कैविटी को विकृत करने वाला कोई फाइब्राइड

(iv) एडीनोमायोसिस

(v) **एडनेक्सा-**

(कक) 06 सेंटीमीटर या उससे अधिक आकार की सामान्य अंडाशय की रसौली।

(कख) किसी भी आकार की जटिल अंडाशय की रसौली।

(कग) एण्डोमीट्रियॉसिस

(कघ) हाइड्रोसैलपिंक्स

(ग) अपील चिकित्सकीय बोर्ड/पुनरावलोकन चिकित्सकीय बोर्ड के दौरान अनफिट उम्मीदवारों की विशेष एवं विस्तृत चिकित्सकीय जांच की जाएगी। विशेष परिस्थितियों के लिए फिटनेस का निर्णय निम्नलिखित रूप से किया जाएगाः-

(i) इंटर्नल एको के साथ पी ओ डी में तरल पदार्थ का टी एल सी, डी एल सी एवं सी-रिएक्टिव प्रोटीन से मूल्यांकन किया जाएगा। वरिष्ठ सलाहकार (स्त्री रोग एवं प्रसूती विशेषज्ञ) फिटनेस पर अपनी राय देगा।

(ii) एण्डोमीट्रियल मोटाई 15 एम एम से अधिक मोटा हो या एण्डोमीट्रियल कैविटी में रैसिडुअल एकोजनिक शैडो हों। वरिष्ठ सलाहकार (स्त्री रोग एवं प्रसूती विशेषज्ञ) से फिटनेस पर राय ली जाएगी।

172. **<u>लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या लैपरोटॉमी के बाद चिकित्सकीय फिटनेस-</u>** सिस्टेक्टॉमी या मायोक्टॉमी करवाने के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा, यदि वह अलाक्षणिक हैं, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड सामान्य है, हटाए गए टिशु की हिस्टोपैथॉलजी रिपोर्ट में बिनाइन पैथोलॉजी प्रकट होती है और पर ऑपरेशन से पता चलता है कि एण्डोमीट्रियोसिस नहीं है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद फिटनेस तभी मानी जाएगी जब घाव पूरी तरह भर जाएगा। सिज़ेरियन सेक्शन एवं लैप्रोटॉमी के मामलों में ऑपरेशन के एक वर्ष बाद उम्मीदवार को फिट माना जाएगा।

<u>परिशिष्ट-III</u>

<u>(सेवा आदि से संबधित संक्षिप्त विवरण)</u>

1. किसी उम्मीदवार के अकादमी में भर्ती होने से पूर्व उसके माता-पिता या अभिभावक को निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे :-

   (क) इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह यह अच्छी तरह समझता है कि वह या उसका पुत्र या आश्रित प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लगने या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा हुई चोट का इलाज करने के लिए आवश्यक किसी शल्य चिकित्सा या एनेस्थीसिया के परिणामस्वरूप कोई शारीरिक दिव्यांगता हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर सरकार से कोई मुआवजा या अन्य प्रकार की सहायता का दावा करने का पात्र नही होगा।

   (ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर निलंबित या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-पत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा तथ्यात्मक जानकारी को छिपाया अथवा यदि वह उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा देता है अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में नहीं है, वह अपने प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी नहीं करता है अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए अनुसार कमीशन दिए जाने पर उसे स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग सरकार को तत्काल वह नकद राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि सरकार द्वारा कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की गई राशि तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित संपूर्ण राशि से अधिक नहीं होगी और इस पर ब्याज भी लगेगा और इसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होगी।

2. आवास, पुस्तकों, वर्दी,भोजन व्यवस्था तथा चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण पर हुआ व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, कैडेट के माता-पिता या अभिभावक को उनके जेब खर्च व अन्य निजी खर्च का वहन करना होगा। सामान्यत: यह व्यय 3,000.00 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगा। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या अभिभावक इस व्यय को भी पूरी तरह या आंशिक रूप से वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे कैडेटों के माता-पिता या संरक्षक जिनकी मासिक आय **45,000/-रुपए प्रति माह** से कम है, के मामले में सरकार द्वारा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान **2,500.00 रुपए प्रति माह** की वित्तीय

सहायता प्रदान की जा सकती है। जिन कैडेट्स के माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय **45,000/- रुपए प्रति माह** से अधिक है, वे वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। यदि एक से अधिक पुत्र/आश्रित एनडीए, आईएमए, ओटीए तथा नौसेना और वायुसेना की समकक्ष प्रशिक्षण स्थापना में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो वे दोनों ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता/अभिभावक सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हों तो वे अपने पुत्र/आश्रित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने जाने के बाद तत्काल अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो उस आवेदन को अपनी संस्तुतियों के साथ कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे – 411023 को भेज देंगे।

3. प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को अकादमी में वहां पहुँचने पर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:—

(क)	प्रतिमाह 4000.00 रुपए की दर से पांच माह का जेब खर्च भत्ता	रुपए 20,000.00
(ख)	कपड़ों एवं उपकरण की मदों के लिए (उम्मीदवारों को कपड़ों एवं उपकरणों की मदों के लिए राशि जॉइनिंग अनुदेशों के दौरान सूचित की जायेगी)	
(ग)	सेना समूह बीमा निधि	रूपए 7200.00
(घ)	ज्वाइनिंग के समय अपेक्षित कपड़ों की मदें (उम्मीदवारों के लिए कपड़ों एवं उपकरणों की मदों के लिए लागत की सूचना जॉइनिंग अनुदेशों के दौरान दी जायेगी	
(च)	पहले सेमेस्टर के दौरान होने वाले आनुषंगिक व्यय	रूपए 13176.00
	योग ((ख और (घ)की राशि शामिल नहीं है जो कि बाद में सूचित की जायेगी)	रुपए 40,376.00

यदि उम्मीदवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मंजूरी मिल जाती है तो ऊपर उल्लिखित राशि में से निम्नलिखित राशि वापिस लौटा दी जाएगी:-

(क) जेब खर्च भत्ता **2,500.00 रूपए** प्रति माह

(ख) कपड़ों एवं उपकरण की मदों के लिए

(ज्वॉइन के दौरान क्रय किया गया)

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता दी जाती हैं:

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्द्धन छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति पासिंग आउट पाठ्यक्रम के अंतर्गत अकादमिक क्षेत्र में समग्रत: प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को प्रदान की जाती है। एकबारगी छात्रवृत्ति की राशि 5000/-रू है।

(2) **कर्नल कैंडल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति:** इस छात्रवृत्ति की राशि 4800 रूपए प्रति वर्ष है और यह एक मराठा कैडेट को दी जाती है जो पूर्व सैनिक का पुत्र होना चाहिए। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) **असम सरकार छात्रवृत्ति:** दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। यह छात्रवृत्ति **असम** के दो सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को प्रदान की जाएगी जिसका उनके माता-पिता की आय से कोई संबंध नहीं होगा। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, वे सरकार की ओर से कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(4) **उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहन योजना—** उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल के अधीन उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि नामक एक ट्रस्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सैन्य/अकादमी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमीमहि/नौसेना अकादमी/वायुसेनाअकादमी /ला प्रवेश में ज्वॉइन करने वाले उन राष्ट्रीय कैडेटों के लिये एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो उत्तर प्रदेश के जेसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिको उनकी विधवाओं के आश्रित हैं, और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इसमें विशेष प्रोत्साहन के रूप में प्रति उम्मीदवार 50,000/- रु के अनुदान का प्रावधान है।

(5) **केरल सरकार छात्रवृत्ति —** किसी भी लिंग-भेद और किसी पूर्व शर्त के बिना केरल राज्य के सभी पुरुष /महिला कैडेटों को, जिन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी /भारतीय सैन्य अकादमी/ नौसेना अकादमी/वायुसेना अकादमी/सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज/राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्कूलो में प्रवेश मिलता है, मात्र 2,00,000/- रु। की सांत्वना राशि दी जाएगी और जिन्हें सैन्य, नौसेना और वायुसेना नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश मिलता है, उन्हें 1,00,000/- रु .की सांत्वना राशि दी जाएगी।

(6) **बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार:** अकादमी के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बंगाली लड़के के लिए 500/- रूपये का नकद पुरस्कार है। आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास उपलब्ध है।

(7) **उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां:** यह छात्रवृत्तियां–एक थलसेना, एक नौसेना तथा एक वायुसेना के कैडेट के लिए 80 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां उन कैडेटों की योग्यता तथा आय के साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा एक अन्य छात्रवृत्ति माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखे बिना सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दी जाएगी।

क्रम. सं.	राज्य सरकार	राशि	पात्रता
8	पश्चिम बंगाल *आय प्रारंभिक एकमुश्त अनुदान प्रति सत्र छात्रवृति प्रति माह से अधिक	निम्न मध्य उच्च रु. 5000/- रु. 3,750/- रु. 2500/- रु. 1800/- रु. 1350/- रु. 900/-	(i) कैडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और कैडेट और/अथवा उसके माता-पिता पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए (ii) कैडेट को मैरिट पर प्राप्त होने

	*** आय समूह सारणी** निम्न - प्रति माह 9000/- रुपए तक मध्य- प्रति माह 9001/- रुपए से 18000/- उच्च-- प्रति माह 18000/-रुपए		वाली छात्रवृत्ति अथवा वजीफे के सिवाए भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
09	**गोवा** प्रशिक्षण की अवधि के दौरान1000/- रुपए प्रति माह(अधिकतम 24 माह अथवा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान, जो भी कम हो) और 12000/- रुपए का एकमुश्त आउटफिट भत्ता।		(i) कैडेट के माता-पिता/ अभिभावक की आय की सीमा 15,000/- रुपए प्रति माह (1,80,000/- रुपए प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii)अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित कैडेटों की आय सीमा 37,500/- रुपए प्रति माह (4,50,000/-रुपए प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) वे किसी भी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता/निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त न कर रहे हों।
10	नागालैंड	1,00,000/- रुपए एकमुश्त भुगतान	नागालैंड राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
11	मणिपुर	1,00,000/- रुपए एकमुश्त भुगतान	मणिपुर राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
12	अरुणाचल प्रदेश	छात्रवृत्ति 1000/- रुपए प्रति माह एकमुश्त आउटफिट भत्ता 12,000/-रुपए	अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
13	गुजरात	छात्रवृति 6000/- रुपए प्रति वर्ष	गुजरात के सेवारत/भूतपूर्व मूल/अधिवासी सैनिक (भूतपूर्व/सेवारत अधिकारी सहित) के आश्रित को
14	<u>उत्तराखंड</u> (क) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों हेतु 250/- रु. प्रतिमाह की जेब खर्च राशि कैडेटों के पिता/अभिभावक को प्रदान की जाती है (पूर्व-सैनिक/विधवा के मामले में संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से)। (ख) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों के पिता/अभिभावक को उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी के माध्यम से 50,000/- रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।		

15	पंजाब	1,00,000/- रुपए एकमुश्त भुगतान	पंजाब राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
16	सिक्किम राज्य सरकार	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए रु.1,50,000/-	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए सिक्किम के सफल उम्मीदवारों हेतु पुरस्कार
17	फ्लाइंग अफसर अनुज नांचल स्मारक छात्रवृत्ति- छठे सत्र में सभी क्षेत्रों में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले वायुसेना कैडेट को क्रमशः1500/- तथा 1000/- रु.(एकमुश्त भुगतान)।		

(18) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति: हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए30 रूपए प्रतिमाह तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 48 रूपए प्रतिमाह मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रूपए प्रतिमाह से कम होगी।जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो वह छात्रवृत्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(19) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति: तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति पाठ्यक्रम रु. 30 प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 वर्दी भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय 500 रु. से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत कार्यरत पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय, चेन्नई ने स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में एनडीए/आईएमए/नौसेना या वायुसेना अकादमी में ज्वॉइन करने वाले पूर्व सैनिकों के पात्र बच्चों को 1,00,000/-रु. (केवल एक लाख रूपए) का एकमुश्त अनुदान (one time grant) मंजूर किया है।

(20) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां- कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले कर्नाटक राज्य के कैडेटों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1,500/-रु.(एक हजार पाँच सौ रुपए) प्रतिमाह और प्रथम सत्र में वर्दी भत्ता की राशि-18,000/-रु. (अठारह हजार रुपए) प्रति वर्ष होगी।

(21) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति: बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में योग्यता क्रम के आधार पर छः सत्र की पूरी समयावधि के लिए 50/- रु. प्रतिमाह की दर से 25 छात्रवृत्तियां और वर्दी तथा उपकरण के लिए एकमुश्त 650/-रु. देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से किसी अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(22) फ्लाईंग अफसर डीवी पिंटू मेमोरियल छात्रवृत्ति: ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में योग्यता क्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

(23) महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

महाराष्ट्र के पूर्व सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के जो आश्रित एनडीए में कैडेट के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में 1,00,000/-रुपए दिए जाएंगे।

कैडेटों के माता-पिता/अभिभावकों को अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्तियों पर लागू निबंधन और शर्तें, कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे – 411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

(24) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हरियाणा के अधिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता।

हरियाणा राज्य सरकार ने एनडीए/आईएमए/ओटीए तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य रक्षा अकादमियों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले हरियाणा राज्य के अधिवासी प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

(25) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अधिवासी कैडेटों को प्रोत्साहन।

चंडीगढ़ प्रशासन ने उन कैडेटों को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना प्रारंभ की है जो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के निवासी हैं तथा जिन्होंने एनडीए में प्रवेश लिया है।

(26) <u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए छात्रवृत्ति/अनुदान</u>

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जो कैडेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं उन्हे मासिक अनुदान 2000/- रु मिलेगा। एक प्रमाणिक निवासी का मतलब उन कैडेटों से होगा जिनका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के समय दस्तावेजो में दर्ज स्थायी घर का पता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है, (और इसमें एनसीआर शामिल नहीं हैं)। इसके लिए निवास प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उनके माता पिता के सेवा रिकॉर्ड आदि) की एक प्रति साथ लगानी होगी।

प्रशिक्षण:

5. तीनों सेनाओं, अर्थात् थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए),जो कि अंतर-सेवा संस्थान है, में 3 वर्ष की अवधि का अकादमिक और शारीरिक, दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पहले ढाई वर्षों के दौरान दिया जाने वाला प्रशिक्षण तीनों स्कंधों के उम्मीदवारों के लिए समान है। पास आउट होने वाले सभी उम्मीदवारों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा निम्नानुसार डिग्रियां प्रदान की जाएंगी :-

(क) थलसेना कैडेट - बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर)/ बी.ए.

(ख) नौसेना कैडेट - बी.टेक. डिग्री*

(ग) वायुसेना कैडेट - बी.टेक. डिग्री*/बी एस सी/बी एस सी (कम्प्यूटर)

*नोट: बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर)/ बी.ए. डिग्री पाठ्यक्रम वाले सभी कैडेटों को एनडीए में अकादमिक, शारीरिक तथा सेना संबंधी प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर डिग्री प्रदान की जाएगी।बीटेक पाठ्यक्रम में शामिल सभी कैडेटों को बीटेक की डिग्री संबंधित कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण अकादमी/संस्थान/पोत/विमान में प्रशिक्षण के उपरांत प्रदान की जाएगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, एजिमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए अकादमिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट प्रवेश योजना के कैडटों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

6. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के बाद थलसेना कैडेट भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में, नौसेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी, एझीमला में और वायुसेना कैडेट और ग्राउंड ड्यूटी Non-Tech शाखाएं, वायुसेना अकादमी, हैदराबाद में जाएंगे एवम वायुसेना कैडेट ग्राउंड ड्यूटी Tech शाखा वायुसेना तकनीकी कालेज, बैंगलुरु में जाएंगे।

7. भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के सेना कैडेटों को जेंटलमैन/लेडी कैडेट कहा जाता है। इन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए कड़ा सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य इन कैडेटों को इन्फैन्ट्री सब-यूनिटों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम अधिकारी बनाना है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जेन्टलमैन/लेडी कैडेटों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य "शेप-वन"होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

8. (क) नौसेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौसेना की कार्यकारी शाखा के लिए चुना जाता है और, भारतीय नौसेना अकादमी, एजिमाला में और एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें सब लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

(ख) नौसेना अकादमी के लिए 10+2 कैडेट प्रवेश योजना के तहत चुने गए उम्मीदवारों को नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (कार्यकारी शाखा के लिए), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (नेवल आर्किटेक्ट स्पेशलाइजेशन सहित इंजीनियरिंग शाखा के लिए) अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल शाखा के लिए) में चार वर्षों के बी. टेक पाठ्यक्रम के लिए कैडेट के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे एन यू) द्वारा बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

9. (क) वायुसेना उड़ान शाखा के कैडेटों को डेढ़ वर्ष तक उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें एक वर्ष का मूलभूत (पायलट) प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें फ्लाइंग अफसर के रैंक में छ माह का अस्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान किया जाता है। इसके बाद लगभग छह माह की अवधि का उड़ान प्रशिक्षण कन्वर्जन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाता है।

(ख) वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी शाखा के कैडेटों को एएफ़ए में छः माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद फ्लाइंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान किया जाता है। लगभग छः माह की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर स्थायी कमीशन की पुष्टि की जाती है।

(ग) नौसेना अकादमी के लिए (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग में (केवल कार्यकारी शाखा हेतु) चार वर्षीय बी.टेक पाठ्यक्रम के लिए कैडेट के रूप में शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा होने पर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा बी.टेक की डिग्री प्रदान की जाएगी।

सेवाओं की शर्तें और नियम

10. सेना अधिकारी तथा वायुसेना एवं नौसेना के समकक्ष रैंक

(क) **<u>कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वजीफा (स्टाइपेंड)</u>:-**

सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए)में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, पुरुष/महिला कैडेटों को दिया जाने वाला स्टाइपेंड	56,100/- रु. प्रतिमाह* (वेतन स्तर 10में आरंभिक वेतन)

*सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्त करने के उपरांत, कमीशन प्राप्त अधिकारी का वेतन वेतन मेट्रिक्स के स्तर 10 के प्रथम सेल में निर्धारित किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा की अवधि नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान यथालागू देय भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कैडेटों को किया जाएगा।

(ख) **<u>वेतन</u>**

(i)

रैंक	**पे लेवल (रु. में)**
लेफ्टिनेंट से मेजर	लेफ्टिनेंट–स्तर10 (56,100-1,77,500) कैप्टन – स्तर10 बी(61,300- 1,93,900) मेजर – स्तर11 (69,400-2,07,200)
लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	लेफ्टिनेंट कर्नल –स्तर12 ए(1,21,200-2,12,400) कर्नल–लेवल13 (1,30,600-2,15,900) ब्रिगेडियर –स्तर13 ए(1,39,600-2,17,600) मेजर जनरल - स्तर14 (1,44,200-2,18,200)
लेफ्टिनेंट जनरल (एच ए जी वेतनमान)	स्तर15 (1,82,200-2,24,100)
(लेफ्टिनेंट जनरल एच ए जी+ वेतनमान)	स्तर16(2,05,400-2,24,400)
उप सेनाध्यक्ष/ सेना कमांडर/ लेफ्टिनेंट जनरल	स्तर17(2,25,000/-)(नियत)
सेनाध्यक्ष	स्तर18(2,50,000/-)(नियत)

(ii) अधिकारियों को दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन(एमएसपी) निम्नानुसार है:-

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन (एम एस पी)	15,500/- रु. प्रतिमाह नियत

(iii) पद और तैनाती के क्षेत्र के आधार पर,फील्ड क्षेत्रों में तैनात अधिकारी निम्नलिखित फील्ड क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होंगे-:

RH अधिकतम अधिकारी – रु -/ . 42500/-* सियाचिन भत्ता	**हार्डशिप**		
	उच्च	**मध्यम**	**कम**
उच्च	R1H1 अधिकारी – रु.25000* • उड़ान भत्ता • मार्कोस और चैरियट भत्ता • विशेष बल भत्ता • सबमेरीन भत्ता • सोओबीआरए भत्ता • हाई एल्टिट्यूड भत्ता - श्रेणीIII	R1H2 अधिकारी - रु.16900* • एचएएफए भत्ता • सीआई भत्ता (एफडी) सीआई एमओडी एफडी) @ %77ऑफ सीआई एफडी(	R1H3 अधिकारी– रु. 5300* • अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए) • रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) • टेस्ट पायलट और फिट इंजीनियर भत्ता
मध्यम	R2H1 अधिकारी– रु. 16900* शून्य	R2H2 अधिकारी– रु. 10500* • एफडी एरिया भत्ता %60 एफडी भत्ते का)@ एमओडी एफडी एरिया(• सीआई भत्ता (शांति) • समुद्र में जाने का भत्ता • फ्री फॉल जंप इंस्ट्र भत्ता • पैरा जंप इंस्ट्र भत्ता • पैरा भत्ता	R2H3 अधिकारी– रु .3400* शून्य

कम	R3H1	R3H2	R3H3
	अधिकारी– रु. 5300*	अधिकारी– रु. 3400*	अधिकारी– रु. 1200*
	• हाई एल्टिट्यूडभत्ता – श्रेणीII • कठिन स्थान भत्ता-I • बॉयलर वॉच कीपिंग भत्ता • पनडुब्बी ड्यूटी भत्ता	• हाई एल्टिट्यूडभत्ता - श्रेणीI • कठिन स्थान भत्ता-II • प्रोजेक्ट भत्ता • प्रतिपूरक कॉन्स्ट या) भत्ता (एसवीवाई • हाइड्रो एसवीवाई भत्ता (सर्वेक्षकों को छोड़कर-गैर)	• कठिन स्थान भत्ता-III • खाना पकाने का भत्ता • हार्डलाईंग मनी पूर्ण) (दर • स्वास्थ्य और मलेरिया भत्ता • विशेष एलसी गेट भत्ता •सबमेरीन टैक भत्ता • हाइड्रो एसवीवाई भत्ता (सर्वेक्षकों के लिए-गैर)

*(प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ने पर यह दर 25% बढा दी जाएगी)

(iv)**[अन्य भत्ते]:-**

महंगाई भत्ता	उन्हीं दरों और शर्तों पर देय होगा जो समय-समय पर सिविलियन कार्मिकों के मामले में लागू हैं
पैरा भत्ता	रु.10,500/-* प्रति माह
पैरा रिज़र्व भत्ता	रु.2,625/-* प्रति माह
पैरा जंप प्रशिक्षक भत्ता	रु.10,500/-* प्रति माह
परियोजना भत्ता	रु.3,400/-* प्रति माह
विशेष बल भत्ता	रु.25,000/-* प्रति माह
तकनीकी भत्ता (टियर-I)	3,000/- प्रति माह
तकनीकी भत्ता (टियर-II)	4,500/- प्रति माह

(v) **<u>वर्दी भत्ता</u>** 20,000/-* रु. प्रतिवर्ष। (प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ने पर यह दर 25% बढा दी जाएगी)

(vi) **<u>राशन सामग्री</u> : फील्ड और शांति क्षेत्र में**

(vii) **परिवहन भत्ता (TPTA)**

पे-लेवल	अधिक परिवहन भत्ते वाले शहर (रु. प्रति माह)	अन्य स्थान (रु. प्रति माह)
अधिकारी	7200 रु. + उस पर महंगाई भत्ता	3600 रु. + उस पर महंगाई भत्ता

(viii) **<u>संतान शिक्षा भत्ता</u>** - केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए 2,250/-* रु. **प्रतिमाह प्रति बच्चा**। संतान शिक्षा भत्ता नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए देय होगा ।

(ix) **<u>छात्रावास की सब्सिडी</u>** - केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए **6,750/-* रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा** । छात्रावास की सब्सिडी नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए देय होगी ।

*(प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ने पर यह दर 25% बढा दी जाएगी)

(x) कैडट (डायरेक्ट) के समक्ष सैन्य प्रशिक्षण के कारण उत्पन्न या विकट हुई चिकित्सा आधार पर अशक्तताकी स्थिति/ उसकी मृत्यु हो जाने पर, कैडेट (सीधी भर्ती)/निकटतम संबंधियों को निम्नानुसार आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा:

(I) **<u>दिव्यांगता के मामले में</u>**

(i) 9000/- रु. प्रतिमाह की दर से मासिक अनुग्रह राशि।

(ii) दिव्यांगता की अवधि के दौरान 100% दिव्यांगता के लिए 16,200/- रु. प्रतिमाह की दर से दिव्यांगता अनुग्रह राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी जो कि दिव्यांगता की डिग्री 100% से कम होने पर समानुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। दिव्यांगता की डिग्री 20% से कम होने की स्थिति में कोई दिव्यांगता राशि देय नहीं होगी।

(iii) दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड (आई बी एम) की सिफारिश पर 100% दिव्यांगता के लिए 6,750/- रु. प्रतिमाह की दर से स्थाई परिचारक भत्ता (सीएए)।

(।।) **<u>मृत्यु के मामले में</u>**

(i) निकटतम संबंधियों को12.5 रु॰ लाख की अनुग्रह राशि

(ii) निकटतम संबंधियों को 9,000 रु॰ प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि

नोट: 1 कैडेटों (सीधी भर्ती)/ निकटतम संबंधियों को अनुग्रह राशि पूर्णत: अनुग्रह आधार पर स्वीकृत की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए पेंशन नहीं माना जाएगा।

2 मासिक अनुग्रह राशि के साथ-साथ अनुग्रह दिव्यांगता राशि पर लागू दरों के अनुसार महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

11. (क) सेना सामूहिक बीमा फंड 3 साल के लिए प्री-कमीशन प्रशिक्षण ज्वाइनिंग की तारीख से कैडेट्स द्वारा 7,200/- रुपए (समय-समय पर संशोधन के अध्यधीन) के वापस न होने वाले एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर 15 लाख रूपए का बीमा कवर प्रदान करता है। यदि किसी कैडेट को निर्वासित किया जाता है तो उसे निर्वासित अवधि के लिये 1355/- रु (समय-समय पर संशोधन के अधीन) की दर से अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। दिव्यांगता के कारण जिन्हें दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा बाहर कर दिया जाता है और जो किसी प्रकार की पेंशन के पात्र नहीं हैं, उन्हें 100% दिव्यांगता के लिए 15 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे। 20% दिव्यांगता के लिए इसे समानुपातिक रुप से कम करके तीन लाख तक कर दिया जाएगा। तथापि, 20% से कम दिव्यांगता के लिए प्रशिक्षण के पहले दो वर्ष के लिए केवल रु॰ 50,000/- का अनुग्रह अनुदान और प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान1,00,000/-रु॰ का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार पर निकाले गए, अवांछनीय के तौर पर निष्कासित अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना में कोई बचत घटक नहीं है।

(ख) कमीशन प्राप्त करने से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे पुरुष/महिला कैडेटों के लिए सेना के नियमित अधिकारियों हेतु यथालागू 1.25 करोड़ रूपए का बीमा किया जाता है। मासिक Rs. 12,500/- रूपए का एजीआईएफ अंशदान पीसीडीए (ओ), पुणे द्वारा सीधे काट लिया जाएगा। **दिव्यांगता के कारण जिन्हें दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, और जो किसी प्रकार की पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100% दिव्यांगता के लिए 25 लाख रुपए प्रदान किये जायेंगे। 20% दिव्यांगता के लिए इसे समानुपातिक रूप से कम करके 5 लाख रु॰ दिया जाएगा। तथापि, 20% से कम दिव्यांगता के लिए केवल 50,000/-रु॰ का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।** मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार पर निकले गए, अवांछनीय के रूप में निष्कासित अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले पुरुष/महिला कैडेट भी दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. प्रोन्नति के अवसर:

क्रम सं.	सेना	नौसेना	वायुसेना	स्थायी पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
1	2	3	4	5
(क)	लेफ्टिनेंट	सब लेफ्टिनेंट	फ्लाइंग आफिसर	कमीशन प्राप्त होने पर
(ख)	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट	02 वर्ष
(ग)	मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर	06 वर्ष
(घ)	लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर	13 वर्ष
(च)	कर्नल (चयन)	कैप्टन (चयन)	ग्रुप कैप्टन(चयन)	चयन होने पर
(छ)	कर्नल (टाइम स्केल)	कैप्टन (टाइम स्केल)	ग्रुप कैप्टन(टाइम स्केल)	26 वर्ष
(ज)	ब्रिगेडियर	कमोडोर	एअर कमोडोर	चयन होने पर
(झ)	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एअर वाइस मार्शल	
(ट)	लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एअर मार्शल	
(ठ)	जनरल	एडमिरल	एअर चीफ मार्शल	

14. सेवा निवृत्ति पर प्रदान किए जाने वाले लाभ

पेंशन, उपदान और कैजुअल्टी पेंशन संबंधी लाभ समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार्य होगी।

*****